खण्ड-240, अंक-10
गुरूवार, 30 फाल्गुन, शक संवत् 1884
(21 मार्च, 1963 ई0)

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

# कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 240 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

---

मुद्रक:

अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

१९६३

---

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

# विषय–सूची


| विषय | पृष्ठ-संख्या |
|---|---|
| उपस्थित सदस्य .. .. .. .. | ६०३–६०७ |
| प्रश्नोत्तर .. .. .. .. | ६०७–६४४ |
| प्रश्न ३२–३४ के स्थगन की सूचना .. .. .. | ६४४–६४५ |
| बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐन्ड इंटरमीडियेट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र खुल जाने से सम्बन्धित शिक्षा मंत्री के वक्तव्य में कथित असत्य कथन के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय .. | ६४५–६४७ |
| विधान सभा के सदस्य, श्री भूपसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना (विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट) | ६४७–६४८ |
| रुदौली नोटीफाइड एरिया, बाराबंकी के मेहतरों की अभिकथित हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. | ६४८–६५० |
| नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं .. .. .. | ६५०–६५१ |
| प्रदेश के कुछ जिलों में उपलवृष्टि तथा वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. .. | ६५१–६५५ |
| गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अंतर्गत वक्तव्य (जारी) .. .. .. .. | ६५५–६६३ |
| रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्यक्रम (प्रस्ताव स्वीकृत) .. .. .. | ६६३–६६४ |
| गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (जारी) .. .. .. | ६६४–६६६ |
| १९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान-अनुदान संख्या ४८– औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत (स्वीकृत) .. .. | ६६६ |
| अनुदान संख्या ४६––राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (जारी) .. .. | ६६६ |
| गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य .. .. .. .. .. | ६६७–६६८ |
| १९६३–६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान––अनुदान संख्या ४६––राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय (जारी) .. .. | ६६८–१००२ |
| नत्थियां .. .. .. .. | १००३–१०१८ |

# उत्तर प्रदेश विधान सभा

## बृहस्पतिवार, २१ मार्च, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री मदनमोहन वर्मा की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

## उपस्थित सदस्य—३६३

अक्षयवरसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अब्दुल हसीब खां, चौधरी
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधनारायणप्रतापसिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवेद्यनाथ, श्री
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजा हुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उग्रसेन, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
ऋषिनारायण शास्त्री, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
कंघईलाल, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनार्थसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथ बहादुर पाल, श्री
काशीनाथ मिश्र, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खुशीराम, श्री
खूबसिंह, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसाद वर्मा, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री

गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गुप्तारसिंह, श्री
गुलाबसिंह, श्री
गंदादेवी, श्रीमती
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
गोविन्दसहाय, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चन्दनसिंह, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रबलीसिंह, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छत्रपति अम्बेश, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशप्रसाद, श्री (मुरादाबाद)
जगदीशशरण अग्रवाल एडवोकेट, श्री
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जगवीरसिंह, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जसरामसिंह, श्री
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम वक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जुगलकिशोर, आचार्य
जेड० ए० अहमद, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखंडेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
दयाराम शाक्य, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवीदत्त, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेवसिंह, श्री
नरसिंहनारायण पांडेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियाज हसन खान, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
पंचमदास, श्री
पशुपतिनाथसरनसिंह, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री

पीतमसिंह प्रधान, श्री
पुरुषोत्तमलाल बधवार, श्री (राजाजी)
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
प्रेमसुन्दर, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नूसिंह)
बंशीधर पांडेय, श्री
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजभूषणशरण, श्री
बृजमोहनलाल गुप्त, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगल, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मतोलासिंह, श्री
मदनपालसिंह, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूद हसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेन्द्रसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारीलाल, श्री
मुजफ्फर हसन, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मैनेजरसिंह, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूड़ी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीर, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रतापसिंह, श्री

रामनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रकुमारी बाजपेयी, डाक्टर
राजेन्द्रसिंह, श्री
राधेश्याम शर्मा, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री
रामअनन्त पांडेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पांडेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासत हुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखीसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर, श्री
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विद्यावती राठौर, श्रीमती
विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव', श्री
विश्वनाथप्रसाद, श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पांडेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवराजसिंह, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
शौकत हमीद खां, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रद्धादेवी, कुमारी
श्रीनिवास, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईद अहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पांडेय, श्री

सत्यवीर कुंवर, श्री
सर्न्तासिह यूसुफ, श्री
सहदेवसिह, श्री
सालिग्राम जैसवाल, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखदेवप्रसाद, श्री
सुखरामदास, श्री
सुखलाल, श्री (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री
सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्र विक्रम, श्री
सुशीला रोहतगी, श्रीमती
सूबेदार सिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकेट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हिम्मतसिंह, श्री
हुकुमसिंह विसेन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

नियोजन मंत्री, श्री हरगोविन्दसिंह, वन मंत्री, श्री अलगूराय शास्त्री, तथा लघु उद्योग उप-मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

---

## प्रश्नोत्तर

## बृहस्पतिवार, २१ मार्च, १९६३

## तारांकित प्रश्न

---

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३० (४) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये तारांकित प्रश्न]

### कालिंजर के निकट नरभक्षी का कथित आतंक

*१—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बांदा के कालिंजर जिले से ६ मील दूरी पर सेदना जंगल में जंगली जानवरों ने बहुत से आदमियों को जान से मार डाला है और दिनांक १६ फरवरी, १९६३ को जंगल में लकड़ी काटने वाले एक पुरुष तथा उसकी स्त्री को मार डालने के कारण उसके आस-पास के गांव के लोग भयभीत होकर गांवों को छोड़ कर भाग रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उन खूंखार जानवरों से बचाने हेतु कोई कदम उठा रही है ? यदि हां, तो क्या ?

विद्युत् उपमंत्री (श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा)—

कुछ समय हुआ दो आदमियों को जो जंगल में लकड़ी काटने गये थे, एक रीछ ने मार डाला था । यह घटना मध्य प्रदेश के क्षेत्र में हुई थी । इसके पश्चात् इस प्रकार की कोई घटना नहीं हुई । थाना कालिंजर के क्षेत्र के अन्तर्गत कोई भी घटना नहीं हुई है और न वहां किसी प्रकार के जंगली जानवरों का आतंक है ।

अन्य प्रश्न नहीं उठते ।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—

क्या सरकार को पता है कि आज के पायनियर के प्रथम पृष्ठ पर समाचार है कि बहराइच जिले में, फतेहपुर में जंगली जानवरों ने ६ आदमियों को मार डाला जिससे आतंक फैला हुआ है ? ऐसी घटनाएं प्रदेश में बहुत हो रही हैं इसको देखते हुये क्या मंत्री जी कोई वक्तव्य देंगे ?

श्री शान्ति प्रपन्न शर्मा--

बहराइच जिले की घटना मुझे मालूम नहीं है । आपने कालिंजर का सवाल किया था, वहां ऐसी घटना नहीं हुई ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

## थानेदारों की मुस्तकिली

*१--श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस वक्त उत्तर प्रदेश में कुल कितने थानेदार हैं, उनमें से परमानेंट और टेम्पोरेरी कितने हैं और कुल कितनी परमानेंट जगहें हैं ?

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)--

इस समय उत्तर प्रदेश में कुल ३,०७० थानेदार (सब इंस्पेक्टर) हैं । उनमें से १,९११ स्थायी तथा १,१५९ अस्थायी हैं । कुल स्थाई स्थानों की संख्या २,२१७ है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थानेदारों को मुस्तकिल करने के लिये सरकार ने क्या आधार बनाया है ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, थानेदारों के अप्वाइंटमेंट होने के कुछ साल बाद उनके सर्विस रिकार्ड से मुस्तकिल किया जाता है ।

श्री गणेशचन्द्र काछी--

क्या सरकार बतायेगी कि मुस्तकिल जगह कम हैं और टैम्पोरेरी थानेदार बहुत अधिक हैं, इसको देखते हुये सरकार कोई व्यवस्था करेगी कि जगहें बढ़ा दी जायं ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, समय समय पर विभाग से पेपर्स सामने आते रहते हैं और उन पर अमल होता है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि कानून के मुताबिक सब इंस्पेक्टर जब नौकरी पर आता है तो २ साल में परमानेंट किया जाना जरूरी है ? लेकिन १९५३ के बाद इन ९ सालों में कोई थानेदार मुस्तकिल नहीं किया गया, इसका क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर--

मान्यवर, ९ साल की बात की मेरे पास सूचना नहीं है ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या मंत्री जी अपने कल के भाषण पर गौर करेंगे जिसमें उन्होंने कहा था कि थानेदारों की संख्या प्रदेश में बढ़ाई जा रही है तो क्या टैम्पोरेरी थानेदारों को इनकी जगह पर एबजार्व करके मुस्तकिल करने की कृपा करेंगे ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

वह तो किया जायगा । जो नौकरी में आये हैं वे स्थायी भी बनेंगे ।

श्री अध्यक्ष--

स्थान हो जायेंगे तो स्थायी भी हो जाँयेंगे ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि थानेदारों का आखिरी बैच किस साल में मुस्तकिल किया गया ?

श्री नवल किशोर--

मान्यवर, इसके लिये सूचना की आवश्यकता है ।

## रेढ़र व कैलिया थानों की सड़कें पक्की करने का सुझाव

*२—श्री विजय सिंह (जिला जालौन)—

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जालौन जिले में आपरेशन एरिया को ध्यान में रखकर थाना रेढ़र व कैलिया तक पहुंचने के लिये अधिकारियों को क्या साधन हैं ? क्या बरसात में वहां तक जाने में कोई पक्का रास्ता नहीं है ? यदि हां, तो सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ?

श्री नवलकिशोर—

थाना रेढ़र और कैलिया तक पहुंचने के लिये अधिकारियों को मोटर, गाड़ी, जीप इत्यादि घोड़ा तथा प्राइवेट बस सर्विस के साधन उपलब्ध हैं ।

उरई से रेढ़र तक जाने के लिये वंगरा तक २४ मील पक्की सड़क तथा वंगरा से रेढ़र तक ६ मील १ फर्लांग कच्ची सड़क है ।

उरई से कैलिया तक जाने के लिये कौच तक १८ मील पक्की सड़क है तथा कौच से कैलिया तक १० मील कच्ची सड़क है ।

सड़कों का कच्चा भाग अन्तरिम जिला परिषद् के अधीन है और इनके पक्का किये जाने की योजना सरकार के सामने इस समय नहीं हैं ।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उस एरिया से आपरेशन एरिया तक पहुंचने के लिये कम से कम ४० या ३८ मील का फासला तय करना पड़ता है और ऐसी जीप गाड़ियां उन स्थान पर नहीं हैं जिससे तुरन्त घटनास्थल पर पहुंच सकें तो क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी ताकि रेढ़र, कैलिया, रमपुरा और कुठौंद में दो या दो से अधिक गाड़ियों की व्यवस्था हो जाय ताकि जल्दी पहुंचा जा सके ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने यह उत्तर नहीं दिया कि वहां गाड़ियां नहीं हैं । मैंने यह कहा कि गाड़ियों की सुविधायें हैं ।

श्री अध्यक्ष—

वह रास्ते के लिये परेशान हैं ।

श्री नवल किशोर—

कच्चे रास्ते अंतरिम जिला परिषद् के अधीन हैं । हमारा कोई सवाल ही नहीं है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मंत्री जी, इस बात को ध्यान में रखते हुये कि पक्की सड़कों के बीच में कच्चे टुकड़े आ जाते हैं जो जिला परिषद् के अधीन हैं, इसलिये यात्रियों को बड़ी असुविधा होती है, ऐसा कोई इंतजाम करेंगे कि जिला परिषदों को हिदायत दी जाय और अनुदान दिया जाय कि छोटे छोटे टुकड़ों को पक्का करें ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, बहुत सी बातों की आवश्यकता है । लेकिन यह सब को मालूम है कि नेशनल इमर्जेन्सी में किस कदर फंड्स की कमी है ।

श्री विजयसिंह—

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि थाना रेढ़र व कैलिया में कितनी जीप गाड़ियां दी गयी हैं इस आपरेशन को पूरा करने के लिये ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, गाड़ियों की संख्या मेरे पास नहीं है ।

## थाना पश्चिम शरीरा, इलाहाबाद म अपराध

*३—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार इस बात से सदन को अवगत करायेगी कि मौजूदा इंचार्ज थानेदार, थाना पश्चिम शरीरा, इलाहाबाद उक्त थाने में कब से तैनात हैं ? और तब से अब तक की अवधि में थाना के अन्तर्गत कितने कत्ल, डकैती और चोरी कहां-कहां हुई हैं और उन पर क्या-क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१—उक्त थाने के मौजूदा थानेदार दिनांक ७-८-६१ से वहां तैनात हैं। उस समय से अब तक २२-२-६३ तक थाने के अन्तर्गत ६ कत्ल व ३ डकैती की घटनाओं की रिपोर्ट हुई । इनसे संबंधित वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है ।

२—उक्त अवधि में ९९ चोरियों की रिपोर्ट हुई । इनसे संबंधित वांछित सूचना का आकार बहुत बड़ा है । इसे सदस्य महोदय चाहें तो मेरे कार्यालय में देख सकते हैं ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १००३-१००४ पर । )

## थाना स्याना में श्री फकीरचन्द के लापता होने की रिपोर्ट

*४—श्री गंगाप्रसाद वर्मा (जिला एटा)—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पं० फकीरचन्द, ग्राम मंड्रौना, थाना स्याना, जिला बुलन्दशहर २८ नवम्बर, १९६२ को बुलन्दशहर से ४ बजे शाम मोटर से सैदपुर थाना गुलावटी आये और वहां से जब वह पैदल ग्राम मंड्रौना जा रहे थे तो रास्ते में उनका कत्ल कर दिया गया ? इसकी रिपोर्ट थाना स्याना में कर दी गई है, पुलिस ने अभी तक इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

श्री नवलकिशोर—

इस संबंध में दिनांक ७-१२-६२ को श्री फकीरचन्द के पुत्र ने थाना स्याना में एक रिपोर्ट लिखाई जिसमें उन्होंने अपने पिता के गुम होने या कत्ल किये जाने का उल्लेख किया । अब तक की जांच से यह पता चला है कि श्री फकीरचन्द दिनांक २८-११-६२ को अपने गांव मंड्रोना जाने के लिये गाड़ी में बैठ कर सैदपुर तक आये थे परन्तु उसके बाद कोई बात ज्ञात नहीं हुई । अतः यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी हत्या की गई या वह कहीं छिपाये गये हैं । पुलिस छानबीन कर रही है ।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जो फकीरचन्द के लड़के ने रिपोर्ट की है वह नामजद की है ?

श्री नवलकिशोर—

यह बात सही है कि जो इन्होंने रिपोर्ट की उसमें एक व्यक्ति को नामजद किया है।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि जिस व्यक्ति के नाम रिपोर्ट की है उससे मुकदमा चल रहा था फकीरचन्द का और इस व्यक्ति ने इसी तरह से तीन कत्ल किये और उनकी लाशें गायब कीं ?

श्री अध्यक्ष—

यह तो जांच हो रही है।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि स्याना थाने म कितने कत्ल हुये हैं जिनकी सही जांच नहीं कर सके ?

श्री नवलकिशोर—

यह तो एक नया प्रश्न है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि २८-११-६२ को फकीरचन्द के साथ यह घटना हुई और अभी तक छानबीन न हो पाई इसके बावजूद कि उस रिपोर्ट में उस आदमी का नाम लिखा हुआ है जिस पर उनको शुबहा है, तो क्या सरकार ने उसको गिरफ्तार किया या नहीं? यदि नहीं, तो क्या कारण है?

श्री नवलकिशोर—

जिस व्यक्ति के ऊपर शुबहा था उसके घर की तलाशी ली गई थी। फर्श भी खुदवाया गया। लेकिन कोई चीज इससे नहीं मालूम हुई जिससे कोई बात साबित हो सके।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतायेंगे कि प्रान्त के अन्दर जो अल्सेशियन कुत्तों का स्क्वाड है क्या उसका इस्तेमाल किया गया और वह कहां तक पहुंच पाये हैं?

श्री नवलकिशोर—

हमारे डाग स्क्वाड्स पांच कवाल टाउंस में ही हैं।

श्री गंगाप्रसाद वर्मा—

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि फकीरचन्द सैदपुर से अपने गांव के लिये जा रहे थे, उस रास्ते में जहां उनका कत्ल किया गया वहां तीन रहट चल रहे थे, वहां कुछ कपड़े पाये गये हैं किसी कुयें पर?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, ऐसी सूचना मेरे पास नहीं है।

## क्रशरों के लाइसेंस

*५—श्री शराफत हुसैन रिजवी (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मन्त्री यह बतलायेंगे कि पहली नवम्बर, १९६२ से २५ जनवरी, १९६३ तक प्रदेश भर में कितने क्रशरों के लाइसेंस का नवीनीकरण किया गया और उससे कुल कितनी आय हुई?

गन्ना विकास राज्य मन्त्री (श्री दाऊदयाल खन्ना)—

निर्दिष्ट अवधि में प्रदेश भर में ८४४ क्रशरों के लाईसेंस का नवीनीकरण किया गया तथा उससे २,५६,३६५ रुपये की आय हुई।

*६—श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या उद्योग मन्त्री यह बतायेंगे कि इस वर्ष कितने नये क्रशरों को लाइसेंस दिये गये और वह क्रशर किन-किन स्थानों पर काम कर रहे हैं?

श्री दाऊदयाल खन्ना—

इस वर्ष प्रदेश में नये क्रशरों की दिये गये लाइसेंस की संख्या तथा उक्त क्रशर जिन-जिन स्थानों पर चालू हैं उसका जिलेवार विवरण संलग्न तालिका में दिया हुआ है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १००५ पर)

श्री शराफत हुसैन रिजवी—

क्या गन्ना विकास मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि इस साल शुरु में यह पालिसी निर्धारित की गई थी कि मौजूदा सीजन में किसी भी नये क्रशर को लाइसेंस नहीं दिया जायगा और साथ में यह भी तय हुआ था कि जिन लोगों ने तीन चार साल चलाये हैं पिछले साल नहीं चलाया है, उनको भी नहीं दिया जायगा, तो वह कौन से विशेष कारण हैं जिनको देखकर गन्ना मन्त्री जी ने ऐसे क्रशरों के लिये आज्ञा दी है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

हर केस को मेरिट के ऊपर तय किया गया। कहीं पर कोआपरेटिव बेसिस पर चलाये गये, कहीं पर ऐसा था कि गन्ना उस एरिया में ज्यादा था, कहीं पर ऐसा हुआ कि जो लाइसेंस हमारे डिपार्टमेंट से नहीं दिये गये थे उसके लिये गवर्नमेंट में अपील हुई और वह मन्जूर हो गई, इसलिये हर केस को अलग-अलग एग्जामिन किया गया और वह संख्या बहुत कम है, कुल २० से अधिक रिजर्व्ड एरिया में नहीं दिये गये हैं।

श्री शराफ़त हुसैन रिजवी---

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि वह कौन सा जिला हैं जिसमें सबसे ज्यादा इस वर्ष नये क्रशरों के लिये लाइसेंस दिये गये?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

वह जो लिस्ट आपके सामने है उसमें वह मौजूद है। मुरादाबाद में ४ रिजर्व एरिया में दिया गया है और एक एसाइंड एरिया में दिया गया है....

श्री अध्यक्ष---

वह आप लिस्ट में देख सकते हैं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि नये क्रशरों के लिये तो लाइसेंस दिये गये लेकिन जो पुराने क्रशर मुद्दत से चल रहे थे चार पांच साल से, मेरठ के ऐसे तीन चार आदमियों के नाम मैं बता सकता हूं, उनको लाइसेंस दरख्वास्त देने पर भी नहीं दिया गया इसका क्या कारण है?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जो पुराने केसेज थे मैंने जैसा अर्ज किया मेरिट्स पर उनके ऊपर विचार किया गया और वहां जरूरत समझी गई दिया गया।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि मुरादाबाद में जिन लोगों को नये क्रशर चलाने के लिये लाइसेंस दिये गये हैं उनके नाम क्या हैं और वह कौन सी तहसील है मुरादाबाद की जिसमें सबसे ज्यादा लाइसेंस दिये गये हों?

श्री अध्यक्ष---

यह जो आप पूछ रहे हैं उसकी लिस्ट आपको दी हुई है, उसमें देख सकते हैं। नाम पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री दाऊदयाल खन्ना---

नाम मेरे पास नहीं हैं।

श्री शराफत हुसैन रिजवी---

मुरादाबाद में किन लोगों को लाइसेंस दिये गये और दूसरे यह कि मुरादाबाद की वह कौन सी तहसील है जिसमें सबसे ज्यादा नये क्रशर चलाने वालों को लाइसेंस दिये गये?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जिलेवार सूची है, अगर तहसीलवार चाहते हैं तो उसके लिये नोटिस की आवश्यकता है।

श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)---

माननीय मन्त्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि अब की बार मिलें ९० दिन के अन्दर बन्द हो गई हैं, तो पन्द्रह बीस दिन का गन्ना जो खड़ा रह गया है ऐसी हालत में उसके लिये क्या क्रशरों को लाइसेंस देने की कृपा करेंगे?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

जहां पर ऐसे हमारे पास केस आ रहे हैं कि जहां गन्ना खड़ा है और मिलें बन्द हो गई हैं और वहां क्रशर्स ऐसे हैं कि जो पिछले साल चलते थे, उनके ऊपर हम विचार कर रहे हैं और कुछ ऐसे लाइसेंस दिये भी गये हैं।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट (जिला फैजाबाद)--

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि वे लोग जो पुराने क्रशर चला रहे थे उनको लाइसेंस नहीं दिया गया इसका मुख्य कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने कहा कि मैरिट पर कंसीडर किया गया।

श्री हरिनाथ तिवारी एडवोकेट---

मैरिट पर किस तरह से डिटरमिन किया गया ?

श्री दाऊदयाल खन्ना---

मैरिट पर डिटरमिन करने का तरीका यह है कि यह देखा गया कि कितना गन्ना है, लाइसेंस अगर दिया जायगा तो उससे मिलों को कितना नुकसान होगा। यही बातें थीं जिनके कारण यह फैसला किया गया।

## ऊंचाहार थाने में गोलीकांड

*७---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि थाना ऊंचाहार जिला रायबरेली के अन्तर्गत माह जनवरी, या फरवरी के अन्दर जो गोलीकांड हुआ ? उसमें किन-किन व्यक्तियों का चालान हुआ और इस सम्बन्ध में अब सरकार क्या कर रही है ?

श्री नवलकिशोर---

थाना मुस्तफाबाद के अन्तर्गत माह जनवरी में एक गोली कांड हुआ था, मुस्तफाबाद को ऊंचाहार भी कहते हैं, उसमें श्री सादुल्ला तथा उसके पुत्र वाहिद जाहिद व ताहिर के विरुद्ध चार्जशीट न्यायालय भेज दी गई। मुकदमा न्यायालय के विचाराधीन है।

श्री रतीपाल---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो गोलीकांड हुआ वह ऊंचाहार थाने से कितने मील के फासले पर हुआ ?

श्री नवलकिशोर---

इसमें यह लिखा हुआ है कि यह वाकया मुस्तफाबाद गांव में एक दुकान के पास हुआ। थाने से उसका कितना फासला है यह मालूम नहीं है।

श्री रतीपाल---

क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि जिस स्थान पर यह कत्ल हुआ और जिन लोगों ने यह कत्ल किया था वह लोग किस पार्टी से सम्बन्धित थे ?

श्री नवलकिशोर---

इसकी मेरे पास कोई सूचना नहीं है।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी को इस बात की सूचना है कि यह जो कत्ल हुआ इस कत्ल की रिपोर्ट लिखाने के लिये लोग गये तो रपट में कुछ व्यक्तियों का नाम लिखने से अधिकारियों ने छोड़ दिया ?

श्री नवलकिशोर---

यह तहरीरी रिपोर्ट है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या माननीय मन्त्री जी को सूचना है कि जिनका यह कत्ल किया गया वह प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता थे और यह जो कत्ल किया गया इसमें कुछ पार्टी की आपस में रंजिश थी जिसके कारण यह कत्ल हुआ ?

श्री नवलकिशोर—

वह किस पार्टी के थे इसका तो मुझे ज्ञान नहीं है लेकिन यह बात सही है कि आपस में पार्टीबाजी थी और पार्टी बाजी के कारण आपस में रंजिश थी।

श्री ब्रह्मदत्त मायर—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि इस गोलीकांड के अन्दर जिस बन्दूक का इस्तेमाल हुआ वह लाइसेंस्ड थी या अनलाइसेंस्ड ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मैंने इसमें अर्ज किया कि इसमें कुछ लोगों का चालान हुआ है और वह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। यह केस सब जुडिस है।

श्री रघुवीर (जिला गाजीपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलायेंगे कि यह जो गोलीकांड हुआ इस गोली कांड का कारण क्या था ?

श्री अध्यक्ष—

इसमें कुछ लोगों का चालान हो गया है और यह मामला सब जुडिस है।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

क्या मन्त्री महोदय बतलायेंगे कि उस पार्टीबाजी का रूप क्या था जिसके कारण यह कत्ल हुआ ?

श्री नवलकिशोर—

वहां पर यह सभापति थे और दफा १०७–११७ का मुकदमा भी चल रहा था। दोनों पार्टी एक दूसरे को गिराने की कोशिश कर रही थी। इसी बीच यह मर्डर हो गया।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)—

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि रिपोर्ट में घटनास्थल से थाने को कितनी दूर पर दिखाया गया है ?

श्री नवलकिशोर—

मैंने अर्ज किया कि तहरीरी रिपोर्ट में इस बात का जिक्र नहीं है कि कितना फासला है।

## फर्रुखाबाद जिले में पुलिस सर्किल इन्स्पेक्टर

*८—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिला में कितने सर्किल इंस्पेक्टर एप्रूव्ड हैं और उनमें से कितनों को सीटी कोतवाली चार्ज मिला है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

फर्रुखाबाद जिले में तीन सर्किल इंस्पेक्टर एप्रूव्ड हैं। इन में से ज्येष्ठतम सर्किल इंस्पेक्टर को थाना कोतवाली का दूसरे को थाना कन्नौज का चार्ज मिला है और तीसरे को जिला आगरा में स्थानापन्न पदोन्नति पर भेजा जा रहा है।

*९—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (अनुपस्थित)—

क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद शहर कोतवाली का चार्ज किसके पास है ? क्या मौजूदा इंचार्ज सब-इंसपेक्टर एप्रूव्ड C. I. है ? यदि नहीं, तो इनके पास चार्ज क्यों है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

फर्रुखाबाद शहर कोतवाली का चार्ज इस समय श्री जगबीर सिंह सिरोही के पास है जो एक एप्रूव्ड सर्किल इंस्पेक्टर हैं।

प्रश्न का तीसरा भाग नहीं उठता।

## थाना एतमादपुर में श्री रोशनलाल के कत्ल की रिपोर्ट

*१०---श्री शिवचरण (जिला आगरा)---

क्या मुख्य मन्त्री बतायेंगे कि ग्राम नगला तुरसी माजरा वास सोभा, थाना एतमादपुर, जिला आगरा में ८ जनवरी, १९६३ को रोशनलाल यादव नामक किसी व्यक्ति का कत्ल हुआ जिसकी लाश २९ जनवरी, १९६३ को गडीरामी थाना खदौली कुंआ में मिली? यदि हां, तो क्या सरकार को उस कत्ल का कारण ज्ञात हो गया है और अब इस सम्बन्ध में सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री नवलकिशोर---

दिनांक १८-१-६३ को थाना एतमादपुर में श्री रोशनलाल के दि० ८-१-६३ से गुम होने या कत्ल किये जाने के सम्बन्ध में उनके भाई ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई। श्री रोशनलाल की लाश दि० ३०-१-६३ को ग्राम गढ़ीरामी थाना खन्दौली के एक कुयें से बरामद हुई। अब तक की जांच से मृत्यु का सही कारण ज्ञात नहीं हो सका है। अतः यह कहना सम्भव नहीं कि श्री रोशनलाल का कत्ल हुआ अथवा नहीं। अनुसन्धान जारी है।

श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)---

क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जब २१ दिन बाद लाश मिली तो वह मारा गया या खुद मर गया या आत्महत्या की इसका पता पोस्टमार्टम से नहीं चल सकता, इसलिये क्या वे इसकी जांच सी० आई० डी० द्वारा कराने की कृपा करेंगे ताकि घटना पर पूरा प्रकाश पड़ सके और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो?

श्री नवलकिशोर---

जब यह लाश निकली तो उस समय जो इंक्वेस्ट तैयार की गई उसमें उनकी बाडी पर कुछ चोटें बतलायी गयीं, लेकिन पोस्ट मार्टम रिपोर्ट में बाडी पर कोई इंजरी नहीं दिखाई गई। इसलिये अब उनके विसरा को आगे केमिकल जांच के लिये भेजा गया है और एस० आई० एस० उसकी जांच कर रहें है और पूरी कोशिश की जा रही है कि इसका सही पता लगे।

श्री शिवचरण---

मेरी सूचना है कि थानेदार इस मामले को दबा रहा है इसलिये क्या दुबारा इसकी जांच करायी जायगी?

श्री अध्यक्ष---

यह प्रश्न उठता नहीं। यह कहा गया है कि जांच हो रही है और वह कोशिश कर रहे हैं कि पूरा-पूरा सही पता लगे।

श्री नवलकिशोर---

मैं सूचना के लिये बतला दूं कि इसकी जांच उस थानेदार के पास नहीं है। हमारा एस० आई० एस० इसकी इन्क्वायरी कर रहा है।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

थाने में जो रिपोर्ट लिखायी गयी उसमें क्या इस कत्ल का कोई कारण लिखाया गया? यदि हां, तो क्या?

श्री नवलकिशोर---

उन्होंने कुछ व्यक्तियों पर सन्देह किया था कि उन्होंने शायद मारा या गायब कर दिया हो। उसके बाद बाडी मिल गयी और अब उसकी जांच हो रही है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

एफ० आई० आर० में नामजद रिपोर्ट है और पूरी जांच से ऐसा मालूम होता है कि वह आदमी मारा गया है। तो एफ० आई० आर० में जिन व्यक्तियों के नाम दिये गये हैं उनके अभी तक गिरफ्तार न किये जाने का कारण क्या है ?

श्री अध्यक्ष—

बतलाया गया कि चोटें हैं और उसके पोस्टमार्टम में चोटें नहीं पाई गयीं। इस लिये अब उसे आगे जांच के लिये भेजा गया है। तो आपने यह कैसे जाना कि....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

तो दूसरा प्रश्न पूछ लेने दीजिये। एफ० आई० आर० में जिनके खिलाफ रिपोर्ट है उनकी गिरफ्तारी अब तक न होने का कारण क्या है ?

श्री नवलकिशोर—

जब तक तय न हो जाय कि मर्डर हुआ है या नहीं तब तक गिरफ्तारी का कोई सवाल नहीं उठता।

श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या मन्त्री जी बतलायेंगे कि जब लाश एक गांव के कुएं से बरामद हुई तो उसकी सूचना किसी व्यक्ति ने पुलिस को दी या पुलिस ने स्वयं उसको बरामद किया ?

श्री नवलकिशोर—

यह पता नहीं कि किस ने सूचना दी। लेकिन कई आदमियों के सामने लाश बरामद हुई।

श्री मुलतानसिंह (जिला आगरा)—

क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जिस कुवें में लाश मिली है उसमें पानी था या वह कुवां सूखा पड़ा था ? मेरे क्षेत्र की ही यह बात है और मैं जानता हूं कि उन मुलजिमों का चालान हो चुका है।

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर उनकी सूचना यदि मुझसे ज्यादा है, तो उसमें मुझे कुछ नहीं कहना है और न कह सकता हूं। जो बात थी, वह मैंने बतला दी।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष—

आपका कहना यह है कि चालान हो चुका है, माननीय शिवचरण जी कहते हैं कि वह थानेदार मिला हुआ है, इसलिये दबाया जा रहा है, अब यह डिफिकल्टी है।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे, जैसा कि उन्होंने बताया कि यह मर्डर केस नहीं है। क्योंकि उसके शरीर पर कोई ऐसी इन्जरी नहीं थी, जिससे कि यह पता लगाया जा सकता कि यह हत्या है। इसी कारण जिसकी रिपोर्ट लिखाई गई, उसका चालान भी नहीं हुआ। क्या जिसकी इन्क्वायरी हो रही है, वह आत्महत्या का केस है ?

(उत्तर नहीं दिया गया।)

श्री अध्यक्ष—

माननीय मुलतानसिंह जी के प्रश्न का भी उत्तर दे दीजिये कि कुवें में पानी है या नहीं।

नवलकशोर—

मान्यवर, मेरे पास इसकी सूचना नहीं है।

## मधुवन थानाधिकारियों को दंड

*११—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा), श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) तथा श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

क्या मुख्य मंत्री २७ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या २ के उत्तर से संबंधित संलग्न खुलासा के संबंध में बताने की कृपा करेंगे कि कांग्रेस पार्टी के एक कार्यकर्त्ता ने अफसर दोयम को लिखित रिपोर्ट दिया अथवा जबानी कहा और अफसर दोयम ने खानगी रजिस्टर में खानगी कहां और क्या दिखलाया ? वापिस आने पर अफसर दोयम ने क्या रपट थाने के रजिस्टर में लिखा है ?

श्री नवलकिशोर—

अफसर दोयम ने वापिसी रिपोर्ट में सूचना हेतु मिला कोई कागज दाखिल नहीं किया जिससे ज्ञात होता है कि उन्हें सूचना जबानी मिली । अफसर दोयम ने वगरज तफतीश मु०इ० नं० धारा ४५७ ता० हि० मौजा कैथोली पुरसोत्तम दूबे बनाम अज्ञात व मुकदमा धारा ३७९ ता० हि० व० इ० नं० ८६ रवानगी दिखलाई है । वापिस आने पर थाने के रजिस्टर में उन्होंने मुखविर द्वारा एक व्यक्ति को गांजा ले जाते हुये सूचना मिलने के विषय में तथा इस संबंध में एक बोरा गांजा वजन लगभग २८ सेर के बरामदगी के विषय में लिखा है। इस संबंध में उन्होंने अभियुक्त राम प्रसाद कोइरी तथा गांजे के साथ थाने में वापसी दिखाई है ।

*१२—श्री होरीलाल यादव, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री बांकेलाल—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अभियुक्त श्री राम प्रसाद कोइरी जिसका चालान इस मुकदमें में किया था उसका पूरा पता क्या है ? और जमानतदार कौन-कौन थे तथा अदालत में मुकदमें में क्या निर्णय लिया है ?

श्री नवलकिशोर—

अभियुक्त श्री रामप्रसाद कोइरी का पूरा पता ग्राम खुखन्दू थाना सुखुन्द्र जिला देवरिया है। सीता कुर्मी वल्द सोयम्बर कुर्मी तथा चिन्नी कुर्मी वल्द लोचन कुर्मी जमानतदार थे। न्यायालय ने अभियुक्त को मुक्त कर दिया है ।

श्री होरीलाल यादव—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो जबानी सूचना देने वाले व्यक्ति थे, उनका क्या नाम था ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, इसमें तो नाम है नहीं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे, प्रश्न संख्या १२ क उत्तर से संबंधित, कि न्यायालय से अभियुक्त को बरी करते हुये न्यायाधीश ने उसको किन कारणों से बरी किया है ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, मेरे पास जजमेन्ट की कापी नहीं है ।

श्री बांकेलाल—

क्या माननीय मंत्री जी कृपा करके यह बतलायेंगे कि रवानगी अहरौली ग्राम में हुई और किस प्रकार अफसरान दोयम ने धर्मपुर ग्राम में जाकर गांजा बरामद किया ?

श्री नवलकिशोर—

मान्यवर, वह कहां कहां घूम कर आये, इसका ब्योरा मेरे पास नहीं है ।

## मुरादाबाद जिले में तांबा व जस्ता का वितरण तथा उद्योग ऋण

*१३—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

क्या उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद में किन-किन लोगों को १९६१-६२ और १९६२-६३ में तांबा व जस्ता का कोटा दिया गया ?

लघु उद्योग मंत्री के सभा सचिव (श्री वीरसेन)—

सन् १९६१-६२ व ६२-६३ के प्रथम ६ माह में जिला मुरादाबाद के जिन लोगों को तांबा व जस्ता का कोटा दिया गया है उसका विवरण संलग्न† सूची परिशिष्ट "अ" पर दिया है ।

*१४—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला मुरादाबाद के उद्योग कार्यालय में कितनी लोन की दरख्वास्तें किस-किस की ऐसी हैं जो एक साल से ज्यादा से दफ्तर में पड़ी हैं इसका क्या कारण है ?

श्री वीरसेन—

ऐसे प्रार्थना पत्रों की संख्या जो ऋण के हेतु जिला उद्योग कार्यालय में एक साल या उससे ज्यादा अवधि से पड़े हुये हैं, १०६ है । जिनमें से ४० प्रार्थना पत्रों के हेतु समुचित धनराशि उपलब्ध नहीं है और शेष ६६ प्रार्थना पत्रों में अभीष्ट जांच अपूर्ण है । इन प्रार्थना पत्रों का पूर्ण विवरण †सूची "ब" में दिया है ।

*१५—श्री रियासत हुसैन—

क्या उद्योग मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि ६०-६१ और ६१-६२ में मुरादाबाद में किन-किन लोगों को पांच हजार से ज्यादा रुपया और किस उद्योग के लिये दिया गया ?

श्री वीरसेन—

सन् १९६०-६१ और १९६१-६२ में जिला मुरादाबाद में जिन लोगों को ५ हजार से ज्यादा ऋण (रुपया) उद्योग हेतु दिया गया उनका विवरण †संलग्न सूची "स" पर दिया है ।

श्री रियासत हुसैन—

क्या मंत्री जो यह बतायेंगे कि जो सूची दी है प्रश्न नं० १३ की उससे मालूम होता है कि कुछ रजिस्टर्ड लिमिटेड सोसाइटीज और पार्टीज हैं जिन्हें किसी टर्म में कोटा दे दिया गया और किसी में नहीं दिया गया, तो इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष—

आप यह बता दीजिये कि इस सूची में कितने नाम हैं ।

श्री वीरसेन—

५८ हैं ।

श्री अध्यक्ष—

मैं माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस किस्म के प्रश्न तारांकित प्रश्नों के रूप में स्वीकार कर लिये जाते हैं, मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है । ऐसे प्रश्न को आप अतारांकित प्रश्न के रूप में पूछ लें, और फिर, जो सूचनायें मिले उसमें, विशेष विस्तृत जानकारी अलग प्रश्नों द्वारा पूछ सकते हैं, वरना ५८ आदमियों की सूची प्रश्न नम्बर १३ की है और १४ में १०६ है, तो कहां तक सबके विषय में अनुपूरक प्रश्नों द्वारा सूचनायें दी जा सकती हैं ।

---

†छापी नहीं गई ।

श्री रियासत हुसैन---

अलग-अलग किसी का सवाल नहीं है, एक जनरल सवाल है कि इस फेहरिस्त के अन्दर ऐसी पार्टीज हैं जो रजिस्टर्ड सोसाइटीज हैं, जिन्हें एक साल कोटा दिया गया और दूसरे साल नहीं दिया गया, इसका कारण क्या है ?

लघु उद्योग मंत्री (श्री फूलसिंह)---

बहुत से कारण हो सकते हैं, जनरल बात नहीं बता सकता, लेकिन ऐसा हो सकता है कि सोसाइटी एक साल रही हो और अगले साल न रही हो, उसके अकाउन्ट्स ठीक न हों, गलत ऐक्शन हो। बहुत से कारण हो सकते हैं।

[२१ मार्च, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

## वाराणसी जिले में उदार ऋण योजना

*१---श्री रघुनाथसिंह---

क्या लघु एवं कुटीर उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में ऐसे कुछ उद्योग स्थापित हुये हैं जिन्हें उत्तर प्रदेशीय वित्त निगम द्वारा ऋण की सहायता दी गयी है ? यदि हां, तो वे उद्योग किस प्रकार के हैं और जिले में किन-किन स्थानों पर स्थापित हैं ? यदि नहीं, तो क्या उद्योग निदेशालय को उपरोक्त निगम से ऋण लेने के लिये वाराणसी जिले से आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं ?

श्री वीर सेन---

जी हां।

उदार ऋण योजना के अन्तर्गत वाराणसी जिले में जिन-जिन लघु उद्योगों को जिन-जिन स्थानों में स्थापित करने हेतु उत्तर प्रदेशीय वित्तीय निगम द्वारा ऋण की सहायता प्रदान की गई है, उसका पूर्ण विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट के रूप में रख दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १००६ पर)

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इन लघु-उद्योगों को ग्रामीण उद्योग विकास के लिये खुलना आवश्यक है, क्या कारण है कि इन उद्योगों में से २ ही उद्योग देहात में खुल सके और बाकी अधिकांश बनारस निगम में खुले हैं ?

श्री फूलसिंह---

उद्योगों को कहां खोला जाय, यह तो उद्योग चलाने वाले पर निर्भर करता है, उसमें सरकार कहां आती है ?

श्री रघुनाथ सिंह---

सरकार की यह घोषित नीति है कि लघु उद्योगों को ग्रामीण क्षेत्र में खोला जाय ताकि वहां का विकास हो सके, तो फिर क्यों इन १३ उद्योगों में से केवल दो ही ग्रामीण क्षेत्र में खुलें हैं ?

श्री फूलसिंह---

मैंने निवेदन किया कि उद्योग को कहां पर खोला जाय यह बात निर्भर करती है उद्योगपति पर, सरकार तो उसके लिये सहायता देती है, सरकार उनको मजबूर तो नहीं कर सकती है कि वहां पर ही खोला जाय।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)---

अभी कहा गया कि यह उद्योगपति पर मुनहसिर करता है, तो क्या अगर कोई उद्योगपति विदेश में कोई उद्योग खोलना चाहें तो सरकार उसको सहायता देगी ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि उद्योग को कहां खोला जाय, यह वहां की जनता पर निर्भर करता है, उद्योगपति से उनका मतलब उद्योग चलाने वाले से है, वैसे मंत्री जी इसको साफ कर दें।

श्री फूलसिंह---

मेरा मतलब यह है कि जो उद्योग चलाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष---

ठीक है, मैं यह निवेदन कर दूं कि हमें उत्तर का सही रूप देखना चाहिये, उसके शब्दों को पकड़ कर तमाशा बनाने से कोई लाभ नहीं होता।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात पर प्रकाश डालेंगे कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में लघु उद्योगों को फैलाने की नीति सरकार की है तो क्यों १५ में से १३ उद्योग वाराणसी में ही खोले गये और क्या विभाग ने उनको कोई ऐसा निर्देशन दिया कि वे उन उद्योगों को गांव में खोलें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

बनारस शहर में तो उद्योग धंधे इसलिये खुलते हैं कि जो आदमी वहां अपना उद्योग धन्धा लगाता है वह अपने आखिरी वक्त का विचार करके लगाता है। (हंसी)

श्री रघुनाथसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन १३ उद्योगों में से किसी के लिये देहात के लोगों के भी प्रार्थनापत्र आये थे और अगर आये थे तो कितनों के लिये और कितने प्रार्थना पत्र आये ?

श्री फूलसिंह---

इसका तो ब्योरा नहीं है मगर सरकार ने यह आदेश दे दिये हैं कि अगर ऐसे उद्योगों के लिये देहाती क्षेत्र से प्रार्थना पत्र आयें तो उन्हें प्राथमिकता दी जाय।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

क्या सरकार इस बात पर विचार करेगी कि वह स्वयं उद्योगपतियों को यह निर्देशन दे कि वे कहां पर उद्योग की स्थापना करें ?

श्री अध्यक्ष---

उन्होंने तो उत्तर दे दिया है कि वह उद्योग चलाने वाले पर निर्भर है।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)---

मेरी सूचना के अनुसार बनारस के १३ उद्योग ठीक नहीं चल रहे हैं जो कि सरकार की जिम्मेदारी है। तो क्या सरकार उन्हें देहात में ले जायगी ?

श्री फूलसिंह---

जो उद्योग ठीक तरह से सामान इस्तेमाल नहीं कर रहें हैं उनका सामान बन्द किया जा रहा है। देहात में कैसे उद्योग पनपें, इसके लिये ५ पायलट प्रोजैक्ट्स कायम किये गये हैं जिनमें से एक गाजीपुर में भी है।

श्री अध्यक्ष---

उनका आक्षेप यह है कि देहात में जो लघु उद्योग खुलनें चाहिये थे वे शहर में खोल दिये गये, जहां वे ठीक नहीं चल रहे हैं।

श्री फूलसिंह---

यह कैसे कह सकते हैं कि कौन उद्योग शहर में और कौन देहात में खुलना चाहिये ? कठिनाई यह है कि शहर का बना माल देहात के बने हुये माल से देहात में सस्ता बिकता है, जैसा मैंने बजट के मौके पर भी निवेदन किया था।

श्री उग्रसेन--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी अपने अन्तिम दिनों के लिये कोई इस प्रकार का उद्योग बनारस में खोलेंगे ताकि अन्त में उन्हें पंचकोशी में विश्राम का अवसर मिले ?

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)--

अभी वह दिन बहुत दूर है ।

श्री राधेश्याम शर्मा--

क्या सरकार बनारस के उद्योगों की जांच कराके, उन उद्योगपतियों को रुपया देना बन्द करके, उन्हें देहात में लेजाने का प्रयत्न करेगी ?

श्री फूलसिंह--

देहातों के लोग अगर दरख्वास्त देंगे तो उनकी भी सहायता की जायगी ।

श्री रघुनाथसिंह--

उत्तर में क्रम संख्या १ और १३ के सामने पी० बी० ६३ और ७६ दिया है, इसका क्या तात्पर्य है ?

श्री वीरसेन--

पोस्ट बाक्स ।

श्री ऊदल--

क्या सरकार अपनी लघु उद्योगों की नीति में परिवर्तन करेगी कि देहात में भी ये पनप सकें? हाल में मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि उद्योग देहात से शहर में आ रहें हैं ।

श्री फूलसिंह--

इसीलिये तो ५ रूरल पायलट प्रोजेक्ट कायम किये गये हैं ताकि यह मालूम हो कि क्या काम देहात में करने चाहियें ।

*२--श्री रघुनाथसिंह--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*३-४--श्री कल्याणचन्द्र मोहिले--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये । ]

## पुलिस सब-इंस्पेक्टरी के लिये हरिजन उम्मीदवार

*५--श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)--

क्या मुख्य मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस साल मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज सब-इंस्पेक्टर पुलिस तथा ए० पी० पी० की ट्रेनिंग के लिये अलग-अलग कितने उम्मीदवार लिये गये हैं तथा उसमें हरिजनों की संख्या कितनी है ?

श्री नवलकिशोर--

इस वर्ष सब-इंस्पेक्टर सिविल पुलिस कोर्स व ए० पी० पी० कोर्स में प्रशिक्षण प्राप्त करने के हेतु क्रमशः ३९३ तथा ३२ उम्मीदवार लिये गये हैं । सब-इंस्पेक्टर कोर्स के लिये चुने गये ३९३ उम्मीदवारों में हरिजनों की संख्या १९ है ए० पी० पी० कोर्स के लिये चुने गये ३२ उम्मीदवारों में हरिजन कोई नहीं है ।

श्री रामलखन वकील--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि एस० आई० की ट्रेनिंग के लिये कितने उम्मीदवार परीक्षा में शामिल हुये थे और कितने इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये ?

श्री नवलकिशोर---

इस परीक्षा के लिये २३०७ उम्मीदवार इम्तिहान में शामिल हुये और ४५४ इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये। बाद को २९ हरिजन उम्मीदवार और बुलाये गये। इस प्रकार ४८३ उम्मीदवार इन्टरव्यू के लिये बुलाये गये।

श्री माताप्रसाद (जिला जौनपुर)---

क्या आदरणीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि मुरादाबाद में ट्रेनिंग लेने के बाद भी डाक्टरी में कुछ हरिजन अनफिट कर दिये गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

एक हरिजन डाक्टरी में अनफिट हुआ चूंकि उसकी ऊंचाई उतनी नहीं थी जितनी पुलिस में शामिल होने के लिये होनी चाहिये।

श्री सुक्खनलाल (जिला मुरादाबाद)---

हरिजनों का कोटा पूरा कैसे किया जायगा ?

श्री नवलकिशोर---

२ साल का ७४ का कोटा अगले साल के लिये कन्टीन्यू करेगा।

श्री रामलखन वकील---

कुल कितने हरिजन उम्मीदवार इन्टरव्यू में बुलाये गये थे ?

श्री नवलकिशोर---

५१ हरिजन उम्मीदवार आये।

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

जब इन भरतियों का आधार मैरिट होता है तो फिर हरिजनों की कोटे की संख्या कैसे पूरी होगी ?

श्री नवलकिशोर---

मिनिमम स्टैन्डर्ड में भी हरिजनों के लिये काफी रियायत दी गई। मगर उसके बाद भी एक सीमा तक तो गये, उसके आगे नहीं गये।

श्री ऊदल---

क्या यह परीक्षा मौखिक हुई थी ? सरकार इसे लिखित कराने की कृपा करेगी ताकि सही इम्तिहान हो सके ?

श्री नवलकिशोर---

परीक्षा लिखित भी होती है, फिजीकल टैस्ट और इन्टरव्यू भी होता है।

श्री भोखालाल (जिला उन्नाव)---

केन्द्रीय सरकार के इस तरह के आदेश हैं कि हरिजनों की संख्या अगर किसी विभाग में पूरी नहीं होती है तो उनकी जगह ३ साल तक खाली रखी जावे और ३ साल तक उन्हें पूरा करने का प्रयास होता रहे। तो क्या ये जगह ३ साल तक खाली रखी गई हैं ?

श्री नवलकिशोर---

२ साल की हैं।

श्री होरीलाल यादव---

हरिजनों के लिये मिनिमम लम्बाई और सीने की माप क्या है ?

श्री नवलकिशोर---

फिजीकल टैस्ट सबके लिये एक है। उम्र में हरिजनों के लिये ५ साल की छूट है।

श्री रामलखन वकील---

५१ हरिजन इन्टरव्यू के लिये आये जिसमें से सिर्फ १९ लिये गये। बाकी के न लिये जाने का क्या कारण है ?

श्री नवलकिशोर---

वे क्वालीफाई नहीं कर पाये। असल में क्वालीफाई तो १५ ने ही किया। उसके बाद हमने ३ और बढ़ा दिये।

## शेरगढ़ घाट पर वंशलाल की पत्नी की मृत्यु

*६---श्री चन्द्रबलीसिंह जिला देवरिया तथा श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतायेंगे कि इटावा और जालौन जिला के बीच शेरगढ़ घाट पर जमुना पर एक कच्चा पुल है ? यदि हां, तो लगभग एक माह पूर्व वे वंशलाल नामी व्यक्ति की पत्नी को बैलगाड़ी के धक्के से नदी में गिराकर गायब कर दिया गया और शरीर पर के लगभग ३ हजार के जेवरों को उतार कर लाश का किसी को पता भी न पाने दिया ? यदि हां, तो क्या इस मामले की रपट सदन को दिया जावेगा और एक निष्पक्ष जांच कमीशन द्वारा जांच कराकर दोषी को सजा दिलायेगी ?

श्री नवलकिशोर---

जी हां। शेरगढ़ घाट पर जमुना नदी पर नावों पर बना कच्चा पुल है। यह सत्य नहीं है कि वंशलाल की पत्नी को बैलगाड़ी के धक्के से नदी में गिराकर गायब कर दिया गया और शरीर पर के जेवरों को उतार कर लाश का किसी को पता भी न पाने दिया गया। इस संबंध में थाने पर लिखाई गई रिपोर्ट के अनुसार जब श्री वंशलाल की पत्नी अपने बच्चे के साथ पुल पर से शेरगढ़ की तरफ जा रही थी तो नाव हिलने के कारण पैर फिसलने से वह बच्चे सहित नदी में गिर गई। बच्चे को बचा लिया गया परन्तु स्त्री का पता नहीं चला और न उनकी लाश बरामद की जा सकी। जांच से उक्त वाकयात सही पाये गये और आकस्मिक दुर्घटना के कारण मृत्यु का होना पाया गया। दोषी को सजा देने का प्रश्न नहीं उठता।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि बंशलाल जी ने जो रिपोर्ट पहले की थी वह क्या थी, उसको सदन में पढ़ कर सुनायेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

रिपोर्ट वंशलाल जी की नहीं थी, उनके ससुर छोटेलालजी की थी और उनके मामिया ससुर तुलाराम जी की थी।

श्री चन्द्रबलीसिंह---

माननीय मंत्री जी रिपोर्ट की खास-खास बात बता दें।

श्री नवलकिशोर---

उन्होंने अपनी रिपोर्ट में यही कहा है कि जब उसका पति, स्त्री और बच्चा पुल को पार कर रहे थे तो एक बैलगाड़ी आयी, जिसको देखकर वह गड़बड़ा गये और स्त्री का पांव फिसल गया और वह जमुना में गिर गयी। रिपोर्ट में कहीं ऐसी बात नहीं है कि कोई साजिश थी या किसी का धक्का लगा था।

श्री सहदेवसिंह (जिला इटावा)---

माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि जो कच्चा पुल नावों का बना हुआ है क्या उसके दोनों ओर रस्सी लगी हुई है जिससे साधारणतः कोई यात्री गिर न सके ?

श्री नवलकिशोर---

पुल कैसा है, इसकी सूचना नहीं है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

क्या माननीय मंत्री जी यह बतायेंगे कि उनका ध्यान छोटेलाल की उस दरख्वास्त की ओर भी गया है जो उन्होंने २३-१-६३ को दी थी तथा जिसकी कापी माननीय मुख्य मंत्री जी और दूसरे पुलिस अधिकारियों को भी भेजी थी ? जिसमें उन्होंने विस्तार के साथ यह लिखा है कि उसके पति ने थाने में रिपोर्ट लिखायी जो ठीक नहीं लिखी गयी। फिर वह एस० पी०, इटावा के पास गया और वहां उसने विस्तार से रिपोर्ट लिखायी कि पुलिस ने सही रिपोर्ट नहीं लिखी इसलिये इस घटना में साजिश मालूम होती है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वह स्त्री ढाई तीन हजार का जेवर पहने थी, तो क्या सारी घटना की मंत्री जी से फिर से जांच करायेंगे ? इस चीज की सारी रिपोर्ट वहां के दैनिक और साप्ताहिक अखबारों तथा दिल्ली के पत्र में प्रकाशित हुई है तथा उनकी कापी मेरे पास है ।

श्री नवलकिशोर---

दिनांक २३-१-६३ की शिकायत जिलाधीश के पास भेज दी गयी है। उसकी अभी पूरी जांच नहीं हुई है। उसके बाद की शिकायतें भी भेज दी गयी है । यह शिकायत छोटेलाल की आयी थी। एक शिकायत वंशलाल की भी आयी थी जो डी० आई० जी० को भेज दी गयी है।

श्री चन्द्रजीत यादव---

जैसा कि माननीय मंत्री जी ने कहा कि जांच चल रही है तो क्या माननीय मंत्री जी इस प्रश्न की गंभीरता को देखते हुए और इस बात को देखते हुए कि इसके बारे में वहां की जनता में बड़ा असन्तोष है और उसके बारे में बीसों अखबारों में निकल चुका है कि वहां के कुछ प्रभावशाली व्यक्तियों ने पुलिस से मिलकर इस साजिस को किया है, इसकी जांच सी० आई० डी० के उच्च अधिकारियों तथा दूसरे अधिकारियों से करायेंगे ?

श्री नवलकिशोर---

माननीय चन्द्रजीत जी ने दो चीजों को कन्फ्यूज कर दिया है। यह तो तय है कि स्त्री को किसी ने धक्का नहीं दिया। वह पैर फिसल जाने से जमुना में गिर। लेकिन बाद में उसको जमुना में से निकाला गया या नहीं, इसकी जांच हो रही है। जहां तक मरने का सवाल है उसकी एक्सीडेंट से मृत्यु हुई ।

श्री बद्रीप्रसाद पालीवाल (जिला इटावा)---

क्या यह सत्य है कि उस स्त्री के जमुना में गिरने के बाद उसका पति सहायता के लिये चिल्लाता रहा लेकिन पास खड़े मल्लाहों में से कोई सहायता के लिये नहीं आया ?

श्री नवलकिशोर---

उसके ससुर ने जो रिपोर्ट लिखायी है उसमें तो यह है कि वहां के मल्लाह वगैरह सभी मदद के लिये नदी में कूद पड़े लेकिन बावजूद इसके बाडी नहीं मिली, यह एफ० आई० आर० में है ।

श्री होरीलाल यादव---

माननीय मंत्री ने कहा कि नाव के ऊपर वे घबड़ा गयीं, इससे स्पष्ट है कि ठेकेदार ने जो नाव का पुल बनवाया था वह ठीक नहीं था। तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी दोबारा जांच करायेंगे कि पुल ठीक न होने की वजह से ही वह नदी में गिर गयीं ?

श्री अध्यक्ष---

यह बात स्पष्ट समझ लें, माननीय चन्द्रजीत जी का कहना है कि उस स्त्री के जेवर लेने के लिये गलत रिपोर्ट दर्ज करायी गयी, जब कि माननीय मंत्री जी का कहना है कि जो शिकायत आयी है वह यह नहीं है कि रिपोर्ट गलत दर्ज करायी गयी है। शिकायत है कि उस औरत को बाद में जमुना से निकाल कर उसके जेवर ले लिये गये। तो उसके संबंध में अन्वेषण हो रहा है। इस तरह से ये दो डिफरेंट चीजें हैं।

**श्री झारखण्डेराय—**

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि छोटेलाल ने जो शिकायती-पत्र माननीय मंत्री को और सरकार के अन्य अधिकारियों के पास भेजा, उसमें इस बात की शिकायत है कि अभिलाखसिंह, ठेकेदार एक प्रभावशाली आदमी है, और जिसका संबंध चम्बल के बीहड़ डाकुओं से भी है ?

**श्री नवलकिशोर—**

उस शिकायत को मैंने जांच के लिये भेज दिया है। उसकी कापी मेरे पास नहीं है, इसलिये मैं नहीं बतला सकता कि पूरी डिटेल क्या थी ?

*७—श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री चन्द्रजीत यादव—

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## रायबरेली बिजली कम्पनी के कर्मचारी श्री सूरजमोहन की मृत्यु की जांच

*८—श्री गुप्तारसिंह (जिला रायबरेली)—

क्या सरकार को पता है कि रायबरेली शहर में दिनांक २९ दिसम्बर, १९६२ को रायबरेली एलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी रोहतक एन्ड हिसार के नौकर सूरजमोहन की बिजली के खंभे पर काम करते हुए बिजली के धक्के से मृत्यु हो गयी ?

*९—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सूरजमोहन का पोस्टमार्टम क्यों नहीं कराया गया जब कि डाक्टरी मुआइना में मृत्यु का कारण बिजली का शाक बताया गया ?

*१०—क्या यह सही है कि बिजली काटकर वह खंभे में चढ़ा था और काम कर ही रहा था कि अन्य लोगों ने बिजली चालू कर दी और उसकी मौत हो गयी ? यदि हां, तो उसके परिवार को क्या मुआविजा दिया जायेगा ?

**श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—**

यह सही है कि श्री सूरजमोहन की मृत्यु २९-१२-१९६२ को हुई। परन्तु मृत्यु किस कारण हुई, इस बात की तथा अन्य बातों की जांच की जा रही है।

**श्री उग्रसेन—**

श्रीमन्, मैं आपका ध्यान एक बात की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उस तरफ की दीर्घा में पैर भी ऊपर किये कुछ आफिसर लोग बैठे हैं और अपना जूता भी ऊपर किये हुए हैं, तो इसकी आप कोई व्यवस्था कर दीजिये कि वे लोग ठीक से बैठें।

**श्री अध्यक्ष—**

वे अपने उत्तरदायित्व को जानते हैं, मेरा ऐसा विश्वास है।

**श्री उग्रसेन—**

यह तो हमारा और इस सदन का निश्चित रूप से अपमान है।

**श्री अध्यक्ष—**

बिल्कुल सही बात है, मैं ऐसा मानता हूं।

**श्री गुप्तारसिंह—**

जब सूरजमोहन की मृत्यु २९-१२-६२ को बिजली के खंभे से हुई और पुलिस में इसकी रिपोर्ट की गयी, तो उस वक्त इसकी जांच क्यों नहीं की गयी और उसकी लाश का पोस्टमार्टम क्यों नहीं किया गया ?

श्री शान्तिप्रपन्न शर्मा—

जब उसकी मृत्यु हुई तो एक रिपोर्ट आयी कि बिजली के खंभे से गिर कर मृत्यु हो गयी है। सब-इंसपेक्टर ने जांच की और वहां पंचायतनामा भरवाया। लेकिन बाद में उसके पिता ने यह बयान दिया कि खंभे से गिरने से मृत्यु न होकर बिजली के धक्के से उसकी मृत्यु हुई। वह रिपोर्ट हमारे पास भी आयी जिसे इलेक्ट्रिक इंसपेक्टर के दफ्तर में भेज दिया गया है और मेडिकल रिपोर्ट भी यही है। इसलिये फिर भी उसे उनके पास भेज दिया गया है कि जब इस प्रकार का ही डाक्टर का सार्टीफिकेट है कि बिजली के इलेक्ट्रोक्यूशन से मृत्यु हुई, तो फिर यह क्यों कहा गया कि खंभे से गिरने की वजह से मृत्यु हुई ?

श्री ऊदल—

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जब उसकी बिजली से मौत हो गई तो अभी तक उसके मुआवजे के संबंध में क्या कार्यवाही सरकार ने की ?

श्री शांतिप्रपन्न शर्मा—

मैंने कहा कि अभी तक रिपोर्ट यह थी कि खम्भे से गिरकर मौत हुई लेकिन जहां तक मुआवजे का सवाल है इसका मुआवजा जिलाधीश के यहां जमा हो गया है और वारिसों को दे दिया जायगा।

*११-१३—श्री काशीनाथ मिश्र—

[२६ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न ४७-४९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*१४—श्री अवधनारायणप्रतापसिंह (जिला गोंडा)—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१५-१७—श्री बालकराम वैश्य (जिला लखनऊ)—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

## पिथौरागढ़ जिले की फिल्म बनाने पर आपत्ति

*१८—श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग जब स्वयं फिल्मों का निर्माण करता है तो ऐसी कौन सी आवश्यकता हो गयी है कि पिथौरागढ़ जिले के लिये किसी निजी व्यक्ति की बनायी फिल्म खरीदी जाय ?

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)—

विशेषकर पिथौरागढ़ जिले के लिये कोई चलचित्र नहीं खरीदा गया है।

*१९—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले में किसी निजी व्यक्ति को फिल्म बनाने तथा बार्डर की महत्वपूर्ण सड़कें व पुल आदि स्थानों को फिल्म में खींचने के लिये सरकार ने पहले से इजाजत दे रखी थी ?

श्री बनारसी दास—

इस प्रकार की इजाजत सूचना विभाग से किसी भी निजी व्यक्ति को नहीं दी गई।

*२०—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सूचना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के किसी निजी व्यक्ति ने जो फिल्म बनायी उसमें कैमरामैन कम्युनिस्ट था और उसने बार्डर एरिया में जाकर महत्वपूर्ण फोटो खींचे ?

---

नोट—तारांकित प्रश्न १० के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बनारसीदास--

एक फिल्म के संबंध में इस आशय की शिकायत प्राप्त हुई थी । जांच के उपरान्त आरोप निराधार पाया गया ।

## शैडो एलाउन्स

*२१--श्री नरसिंहनारायण पाण्डेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गुप्ता जी का मंत्रि मन्डल बनने के बाद से अब तक कितने पुलिस कर्मचारी शैडो ड्यूटी के लिये कितने-कितने जिलों से बुलाये गये और उनको शैडो एलाउन्स मिल रहा है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक नहीं मिलेगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जनहित में यह सूचना देना उचित न होगा ।

*२२--श्री बालोजी अग्रवाल, श्री बनवारीलाल विप्र, श्री खेमचन्द्र तथा श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*२३-२५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## दरहटा ग्राम का नकली सुभाष बोस

*२६--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या सरकार को ज्ञात है कि गोरखपुर जिला के महाराजगंज तहसील के पास के दरहटा ग्राम में कोई व्यक्ति श्री सुभाष बोस का दूसरा अवतार बन कर चीनियों को मार भगाने का ऐलान कर रहा है और इस काम के लिये फन्ड जमा करने और सैनिक भर्ती कर रहा है ? यदि हां, तो सही बात क्या है ? पुलिस इस मामले में क्या कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी नहीं ।

## सचिवालय का प्रशासन विभाग

*२७--श्री सुखलाल--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि :

(अ) सचिवालय में सचिवालय प्रशासन विभाग (विविध) की स्थापना कब हुई ;

(ब) उक्त विभाग से क्या काम लिया जाता है तथा क्या लाभ हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

दिसम्बर, १९६० में ।

इस विभाग की कार्य सूची संलग्न है । इस विभाग के बनने से जो पुराने सचिवालय प्रशासन विभाग (अधिष्ठान) तथा (लेखा) विभागों में कार्य भार अधिक हो गया था उसको बांट दिया गया, जिसके फलस्वरूप कार्य अब सुचारु रूप से चल रहा है तथा आवश्यक बातों में पर्याप्त नियंत्रण रक्खा जा रहा है । इस विभाग के बनने से सरकार को देय धन पूर्व की अपेक्षा कहीं अधिक मात्रा में वसूल हो पाया है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १००७-१०१० पर)

*२८—श्री सुखलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पहले यह कार्य एस० ए० डी० (ए) और एस० ए० डी० (ई) से लिये जाते थे, तो सरकार खर्चा बचाने की नियत से पुनः उक्त विभाग तोड़कर पुरानी व्यवस्था करने की कृपा करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

इस विभाग के बनने में केवल एक अधीक्षक तथा एक टाइपिस्ट का ही अतिरिक्त व्यय हुआ है जब कि सभी अन्य पद पुराने सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) तथा (लेखा) विभागों से हटाकर इस विभाग के अन्तर्गत लाये गये। इस प्रकार थोड़े ही व्यय में सरकार की आय को पर्याप्त मात्रा में वृद्धि हुई तथा उनसे संम्बन्धित मामलों में सुचारु रूप से देखरेख संभव हो सका। अतः इस विभाग को तोड़ कर पुरानी व्यवस्था करना जनहित में नहीं होगा।

## अहरा ग्राम में बलवा

*२९—श्री श्यामलाल—

क्या सरकार को पता है कि जिला बस्ती, थाना मुन्डेरवा के अन्तर्गत अहरा नामक ग्राम में गत १५ फरवरी, १९६३ को कोई बल्वा हो गया है जिसमें लगभग एक दर्जन व्यक्तियों को भाले लगे हैं, जो सदर अस्पताल बस्ती में दाखिल हैं ? क्या सरकार इस घटना का पूरा विवरण सदन की मेज पर रखेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

१५-२-६३ को नहीं वरन् दिनांक १४-२-६३ को अहरा ग्राम में ऐसी घटना हुई थी जिसमें ३ व्यक्तियों को लाठी एवं ३ को वल्लम की चोटें आई थी और ये सदर अस्पताल, बस्ती में भर्ती रहे। घटना का विवरण संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०११ पर।)

*३०-३१—श्री ईश्वरशरण (जिला गोंडा)—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३२-३४—श्री ब्रह्मदत्त मायर, श्री श्यामलाल, श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर), श्री रतीपाल, श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी)—

[स्थगित किये गये।]

## झांसी में बिजली की दर कम करने की प्रार्थना

*३५—श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)—

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि गोरखपुर बिजली कम्पनी को स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा कब्जे में कर लिया गया है? यदि हां, तो कितने लाख रुपया बिजली कम्पनी के मालिक को दिया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा गोरखपुर की बिजली कम्पनी ले ली गई है। अभी तक क्रय मूल्य नहीं दिया गया है।

*३६—श्री लखपतराम शर्मा—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि झांसी बिजली कम्पनी और गोरखपुर बिजली कम्पनी के मालिक एक ही थे व झांसी में भी ८ आना प्रति यूनिट जनता को बिजली व ४ आना प्रति यूनिट पावर वर्षों से दिया जा रहा है जिसके कारण जनता में भारी असन्तोष है, क्या स्टेट एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड द्वारा झांसी बिजली कम्पनी को भी तुरन्त कब्जे में लिया जायगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

झांसी और गोरखपुर की बिजली कम्पनियों का स्वामित्व एक ही था। झांसी में बिजली तथा पंखे दर ५० नये पैसे, छूट ३ नये पैसे प्रति यूनिट तथा घरेलू पावर की दर २५ नये पैसे, छूट ३ नये पैसे प्रति यूनिट है। कम्पनी के लाइसेंस के अन्तर्गत स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को झांसी की बिजली कम्पनी को खरीदने का अवसर नवम्बर, १९६७ में प्राप्त होगा।

*३७---श्री लखपतराम शर्मा---

क्या मुख्य मंत्री की जानकारी में यह भी है कि झांसी बिजली कम्पनी के राष्ट्रीयकरण के लिये और फिलहाल उसके रेट कम कराये जाने के लिये जनता वर्षों से मांग सरकार से कर रही है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

बिजली के रेट कम करने तथा कम्पनी के राष्ट्रीयकरण करने के लिये कुछ प्रतिवेदन प्राप्त हुए थे। कम्पनी का मुनाफा ऐसा नहीं पाया गया कि उसकी दरें कानूनन कम कराई जा सकें। राष्ट्रीयकरण के संबंध में स्थिति प्रश्न संख्या ३६ के उत्तर में उल्लिखित है।

## गाजीपुर जिले में थाने का पुनर्गठन

*३८---श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जनपद में कहां-कहां नये पुलिस स्टेशन प्रस्तावित हैं ? उनकी स्थापना कब होगी ? इनके प्रस्ताव का आधार क्या है?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

पुलिस आयोग की संस्तुतियों के आधार पर गाजीपुर जिले के थानों आदि के पुनर्गठन का प्रश्न अभी पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश, के विचाराधीन है। अतः इस समय यह नहीं कहा जा सकता कि उपरोक्त जिले में कहां-कहां पर और कब नये पुलिस स्टेशन खोले जायेंगे।

## अमिलो निवासी, हाजी मुहम्मद बशीर का राइफल के लाइसेंस के लिये प्रार्थना-पत्र

*३९---श्री मंगलदेव (जिला आजमगढ़)---

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिले के ग्राम अमिलो, थाना मुबारकपुर के निवासी, श्री हाजी मुहम्मद बशीर ने एयरगन डायना नं० १ खरीदी थी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

श्री हाजी मुहम्मद बशीर ने एयरगन नहीं बल्कि एयर राइफिल डायना माडेल ३५ खरीदी थी।

*४०---श्री मंगलदेव---

क्या यह सही है कि उक्त थाने के थानेदार ने ११ अगस्त, १९६२ को बन्दूक अपने यहां जमा करा लिया था ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

हाजी मुहम्मद बशीर को पुलिस कमिश्नर, बम्बई ने पुराने आर्म्स रूल्स, १९५१, फार्म नं० १७ में अपने गन्तव्य स्थान ग्राम अमिलो तक पहुंचाने के लिये एक मास के लिये एक अस्थायी लाइसेंस स्वीकृत किया था, जिसकी अवधि २९-६-६२ को समाप्त हो गई। उक्त लाइसेंस की एक शर्त के अनुसार श्री बशीर को फार्म १४ अथवा १६ में लाइसेंस के लिये आवेदन-पत्र दे देना चाहिये था किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया। नियम की सूचना उन्हें दी गई थी जिस पर उन्होंने एयर राइफल ११-८-६२ को थाने में जमा कर दिया।

*४१—श्री मंगलदेव—

क्या यह सही है कि इस संबंध में उक्त व्यक्ति ने जिलाधीश को कोई प्रार्थना-पत्र १७ अगस्त, १९६२ को दिया था ? यदि हां, तो अब तक क्या कार्रवाई हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं, हाजी मुहम्मद बशीर ने इस संबंध में १७-८-६२ को कोई प्रार्थना-पत्र नहीं दिया था । तारीख २१-८-६२ को अवश्य उन्होंने उक्त राइफिल के लाइसेंस के लिये एक प्रार्थना-पत्र दिया था जो ३०-९-६२ को अस्वीकृत हो गया ।

*४२—श्री झारखंडेराय—

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## ग्राम प्रधान, सिसवा का पुलिस कप्तान आजमगढ़ को प्रार्थना-पत्र

*४३—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री प्रथम सत्र (१९६२) के ९वें गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या ४ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रार्थना-पत्र की जांच किस अधिकारी द्वारा करायी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उक्त प्रार्थना पत्र की जांच थानाध्यक्ष, मधुवन द्वारा की गई ।

*४४—श्री कल्याणचन्द मोहिले—

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## उद्योग समिति, बिजनौर

*४५—श्री बसन्तसिंह (जिला बिजनौर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर उद्योग विभाग की कितनी बैठकें ऋण देने के लिये १९६२-६३ में हुयीं ?

श्री फूलसिंह—

सन् १९६२-६३ में जिला उद्योग समिति, बिजनौर की दो बैठकें हुई ।

*४६—श्री बसन्तसिंह—

क्या सरकार यह बतलाने की कृपा करेगी कि जिला बिजनौर उद्योग समिति के लिये सरकार द्वारा मनोनीत सदस्य का नाम कब भेजा गया ?

श्री फूलसिंह—

जिला उद्योग, समिति, बिजनौर के लिये सरकार द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम, शासकीय आदेश, दिनांक १८ सितम्बर, १९६२ में भेजे गए।

## सिन्थेटिक्स रबर फैक्टरी, तथा ल्यूम्स कम्पनी से सुरक्षा कोष में प्राप्त धन

*४७—श्री हरीशकुमार गंगवार—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बरेली की सिन्थेटिक्स रबर फैक्टरी तथा उसका निर्माण करने वाली लूमस कम्पनी ने कितना रुपया अलग-अलग सुरक्षा कोष में दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

सिन्थेटिक्स रबर फैक्टरी तथा उसका निर्माण करने वाली ल्यूम्स कम्पनी ने सुरक्षा कोष में कम्पनी की तरफ से कोई धन नहीं दिया ।

*४८—हरीशकुमार गंगवार—

क्या यह सत्य है कि उपरोक्त दोनों कम्पनियों ने बहुत पहले अपने कर्मचारियों के वेतन से सुरक्षा निधि के लिये कटौती कर ली थी ? यदि हां, तो यह धनराशि अलग-अलग क्या थी, वह कब काटी गयी तथा सरकार को कब दी गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उपरोक्त दोनों कम्पनियों ने कर्मचारियों के वेतन से सुरक्षा कोष के लिये नवम्बर के वेतन, जोकि दिसम्बर में दी गई कटौती की। सिन्थेटिक रबर फैक्ट्री ने ५,००० रुपया १ फरवरी, १९६३ को सरकार को दिया तथा ल्यूम्स कम्पनी ने २०,०५५ रु०, जिसमें १९,०५५ रु० नवम्बर में तथा १,००० रु० फरवरी में सरकार को दिया ।

*४९—श्री हरीशकुमार गंगवार—

[ ९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*५०—श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[हटा दिया गया ।]

*५१—श्री बांकेलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[ ९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## उसरी ग्रामवासी, श्री राजवंशी के आश्रितों को पेंशन

*५२—श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या मुख्य मंत्री १९६२ के १ले गुरुवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १७ के उत्तर के क्रम में बताने की कृपा करेंगे कि एकाउन्टेंट जनरल के कार्यालय से पेमेंट एथारिटी प्राप्त हो गयी ? यदि नहीं, तो कारण क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी नहीं । इसका कारण यह है कि एकाउन्टेंट जनरल ने पेमेन्ट आथोरिटी (Payment Authority) जारी करने के पूर्व पैरा ३६६मैनुअल आफ गवर्नमेंट आर्डरस (M. G. O) के अनुसार पेंशन के भुगतान के लिये आयुक्त की स्वीकृति मांगी है । आयुक्त को आदेश दिये गये हैं कि वे इस संबंध में तुरन्त ही आवश्यक कार्यवाही करें ।

## हाइड्रो एलेक्ट्रिक एम्प्लाइज यूनियन, बहराइच का प्रस्ताव

*५३—श्री होरीलाल यादव—

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सभापति, हाइड्रो एलेक्ट्रिक एम्प्लाईज यूनियन, लोकल कमेटी, बहराइच द्वारा पास किये गये प्रस्तावों के संदर्भ में प्रस्ताव की नकल तथा पत्र, दिनांक १५ अक्तूबर, १९६२ का सब-डिवीजनल आफिसर, हाइड्रो एलेक्ट्रिक सबडिवीजन, बहराइच को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जी हां, एक पत्र तारीख १५-१०-६२ का नहीं बल्कि १०-१०-६२ का प्राप्त हुआ और उस पर उचित कार्यवाही की जा चुकी है ।

## पुलिस विभाग में रेडियो स्टेशन आफिसर का वेतन न बढ़ना

*५४—श्री बेदराम (जिला एटा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि पुलिस कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस विभाग के सब-इंसपेक्टरों के वेतन-क्रम में वृद्धि कर दी गयी है, तो क्या कारण है कि वायरलेस विभाग में काम करने वाले रेडियो स्टेशन आफिसरों के ग्रेड में वृद्धि नहीं की गयी जबकि यह भी सब-इंसपेक्टरों के स्तर के ही होते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

चूंकि पुलिस कमीशन ने रेडियो स्टेशन आफिसरों के वेतन क्रम में किसी परिवर्तन की सिफारिश नहीं की है अतः सब-इंसपेक्टरों के वेतन क्रम में वृद्धि के साथ रेडियो स्टेशन आफिसरों के वेतन-क्रम में वृद्धि का प्रश्न ही नहीं उठता ।

*५५--श्री बेदराम--

क्या यह सत्य है कि नवीन नियमों के अनुसार रेडियो स्टेशन आफिसरों की तुलना में उनके सहायक रूप में काम करने वाले हेड आपरेटरों का वेतन अधिक होता है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी नहीं । कुछ ऐसे हेड आपरेटर हैं जिन्हें उनके विशेष टेकनिकल ज्ञान के प्रतिकूल में ट्रेंड हैन्ड पे मिलती है जिसको मिलाकर वे रेडियो स्टेशन आफिसरों से अधिक उपलब्धियां (Emoluments) पाते हैं परन्तु केवल कुछ अवधि तक ही ऐसा रहता है । ऐसे हेड आपरेटरों को रेडियो स्टेशन आफिसरों के मातहत नहीं काम करना पड़ता है ।

*५६--५८--श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

[२५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न १६-१८ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

## परिगणित जातियों का नौकरी में संरक्षण

*५९--श्री माताप्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री सन् १९४७ ई० से अब तक परिगणित जातियों को नौकरियों में संरक्षण देने के लिये राज्य सरकार से जो आदेश प्रसारित किये गये हैं उनकी प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

संबंधित आदशों की प्रतिलिपियां†सदन की मेंज पर रख दी गयी हैं ।

*६०--श्री माताप्रसाद--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त आदशों की पूरी प्रतिलिपि जिलाधीश एवं अन्य जिलाधिकारियों के पास भेज दी गयी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां ।

## पीलीभीत में हड़ताल

*६१--श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर) तथा श्री हरीशकुमार गंगवार--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २५ जनवरी, १९६३ को पीलीभीत नगर में आम हड़ताल रही ?

श्री चन्द्रभानुगुप्त--

२५ जनवरी, १९६३ को पीलीभीत नगर में हड़ताल हुई ।

*६२--श्री रक्षपाल सिंह तथा श्री हरीशकुमार गंगवार--

यदि हां, तो क्या सरकार बताने की कृपा करेगो कि :

(१) उक्त हड़ताल का कारण क्या था ?

(२) नगर में लूटने के बारे में जो दुर्घटना हुई है, उस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ?

---

†छापी नहीं गईं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

२२ जनवरी, १९६३ की रात्रि को एक स्थानीय व्यापारी द्वारा धारा ३९५ भा० दं० वि० के अन्तर्गत लिखाये गये मामले में पुलिस द्वारा की जा रही विवेचना से असन्तुष्ट होकर, स्थानीय दुकानदार संघ ने हड़ताल की थी ।

(२) कथित घटना के संबंध में सी० आई० डी० तफतीश कर रही है ।

*६३--श्री माताप्रसाद--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६४-६५--श्री बिपिनबिहारी तिवारी--

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## एस० आई०, थाना अम्भेड़ा के विरुद्ध शिकायत

*६६--श्री श्रीराम--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अफसर दोयम, थाना अम्भेड़ा, जिला बिजनौर के विरुद्ध श्री गुलशनदास गुप्ता, निवासी राबटी, जिला बिजनौर का कोई शिकायती-पत्र उनके बेइज्जती के संबंध में माननीय मुख्य मंत्री को सितम्बर, १९६२ से अब तक प्राप्त हुआ है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां, श्री गुलशरनदास गुप्ता का दिनांक २४-९-६२ का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है ।

*६७--श्री श्रीराम--

यदि हां, तो वह पत्र क्या है तथा उसके बारे में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इसमें प्रार्थी ने श्री नेकराम शर्मा, एस० आई०, थाना अम्भेड़ा के विरुद्ध उनके साथ दुर्व्यवहार करने तथा धमकी आदि देने के आरोप लगाए हैं । इसके पूर्व इसी आशय का प्रार्थी का दिनांक ८-८-६२ का प्रार्थना-पत्र एस० पी० को प्राप्त हुआ था जिस पर डी० एस० पी० को जांच करने के आदेश दिये गये थे, परन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त एस० आई० व चार अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध इस संबंध में न्यायालय में धारा ५०४/५०६/१०९ भा० दं० वि० के अन्तर्गत इस्तगासा दायर करने के कारण जांच रोकनी पड़ी । न्यायालय से इस्तगासा खारिज हो गया है और एस० आई० के विरुद्ध आरोप सही नहीं पाए गये ।

## मन्सूरपुर में कागज का कारखाना स्थापित करने का लाइसेंस

*६८--श्री विजयपालसिंह--

क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मालिकान शुगर मिल, मन्सूरपुर (स्वरूप ब्रादर्स), जिला मुजफ्फरनगर को पेपर मिल बनाने का लाइसेंस दे दिया गया है ? यदि हां, तो यह लाइसेंस कब दिया गया है और सरकार इसमें कितनी सहायता देगी ? सहायतार्थ कुछ दिया भी गया है या नहीं ?

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

जी हां, भारत सरकार ने इन्डस्ट्रीज (डेवलपमेंट एन्ड रेगूलेशन) ऐक्ट, १९५१ के अन्तर्गत सर शादीलाल शुगर एन्ड जनरल मिल्स लिमिटेड, मंसूरपुर, जिला मुजफ्फरनगर को मंसूरपुर में एक कागज बनाने का कारखाना स्थापित करने के लिये अगस्त, १९६० में लाइसेंस प्रदान किया था । मिल के विस्तार के लिये अप्रैल, १९६१ तथा अक्तूबर, १९६२ में दो अन्य लाइसेंस भी दिये जा चुके हैं । सरकार ने इसके लिये कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है ।

कम्पनी की शेयर पूंजी में उत्तर प्रदेश स्टेट इंडस्ट्रियल कारपोरेशन, कानपुर ने २५ लाख रुपये के इक्विटी शेयर्स और २५ लाख रुपये के प्रेफरेंस शेयर्स अन्डर राइट करने का निश्चय किया है । अन्डरराइट किये जाने वाले २५ लाख रुपया के प्रेफरेंस शेयर्स में से कारपोरेशन ने ५ लाख रुपये के शेयर्स खरीदने का अपना पक्का निश्चय भी कम्पनी को बता दिया है ।

*६९--श्री विजयपालसिंह--

क्या मुख्य मंत्री कृपया यह भी बतायेंगे कि पेपर मिल का लाइसेंस देने की शर्तों को स्वरूप आदर्श ने पूरा कर लिया है यानी जमीन आदि खरीद ली है ? यदि हां, तो यह मिल कब तक चालू हो जायेगी ?

श्री हरगोविन्दसिंह--

लाइसेंस की शर्तों के अनुसार कम्पनी ने मिल स्थापित करने की दिशा में आवश्यक कदम उठा लिये हैं । उन्होंने जमीन खरीद ली है और परचेज डीड का रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है । राज्य सरकार ने १०,००० टन प्रतिवर्ष जंगली लकड़ी देने का निश्चय कम्पनी को बता दिया है । आशा है कि मिल वर्तमान योजना काल के अन्त तक चालू हो जायगी ।

## राधा गोविन्द इण्डस्ट्रीज, मथुरा से ऋण की वसूली

*७०--श्री विजयपालसिंह, श्री ऊदल तथा श्री जमादारसिंह (जिला मेरठ)--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राधा गोविन्द इंडस्ट्रीज लिमिटेड, मथुरा को को ३० मार्च, १९५५ को जो ३ लाख रुपये का ऋण ५ प्रतिशत ब्याज पर दिया गया है उसमें से अब तक कितना रुपया तथा सूद वसूल हुआ है ? क्या कम्पनी ने पहली किस्त के बाद अब तक कोई भुगतान किया है या नहीं ? नहीं किया है, तो जुर्माना कितना किया गया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

राधा गोविन्द इंडस्ट्रीज, मथुरा ने ब्याज की प्रथम किस्त १५,००० रुपये की ३१ मार्च, १९५६ को जमा की थी। तत्पश्चात् कम्पनी ने सन् १९६१ में २२,८०० रुपया, दिसम्बर, १९६२ में १७,००० रुपया तथा जनवरी, १९६३ में २३,००० रुपया जमा किया ? १ जुलाई, सन् १९६२ तक के आंकड़ों के अनुसार दंड ब्याज की धनराशि ३९,०९५·६८ नया पैसा होती है ।

*७१--श्री विजयपालसिंह, श्री ऊदल तथा श्री जमादारसिंह--

क्या सरकार को पता है कि उक्त कम्पनी कोसी कलां एलेक्ट्रिक विकास योजना पर इस रुपये को खर्च करेगी इस शर्त को, कम्पनी ने तोड़ दिया और अब तक सिर्फ २।) लाख रुपये खर्च हुये हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

कम्पनी ने तीन लाख ऋण में से कोसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कम्पनी का विकास योजनाओं पर ३१-३-६२ तक कुल २,५२,३१० रुपया खर्च किया है ।

*७२--श्री विजयपालसिंह, श्री ऊदल तथा श्री जमादारसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि १८ मई, १९६१ को सरकार ने मथुरा के जिलाधीश को कम्पनी की परिसम्पत्तियां इकट्ठी या ४ उससे कम लाटों में नीलाम करने के लिये आदेश दिये हैं ? यदि हां, तो क्या जिलाधीश, मथुरा ने कम्पनी की सम्पत्तियों को नीलाम किया और कितना रुपया प्राप्त हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां, जिलाधीश मथुरा को १८ मई, १९६१ को कम्पनी की परिसम्पत्तियां इकट्ठा या ४ या उससे कम लाटों में सार्वजनिक नीलाम द्वारा या निजी ठेके द्वारा बेच देने का निदेश दिया गया था । कम्पनी द्वारा कुछ रुपया जमा कर दिये जाने तथा और रुपया जमा करने के आश्वासन दिये जाने पर यह कार्यवाही कुछ समय के लिये स्थगित कर दी गई । परन्तु कम्पनी द्वारा आश्वासन की पूर्ति न किये जाने पर जिलाधीश को यह कार्यवाही करने के लिये पुनः कहा गया । जिलाधीश ने ३०-१०-६२ को सार्वजनिक नीलाम किया, जिसमें केवल उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत् परिषद् कुछ परिसम्पत्तियों को ७६,००० रुपये पर खरीदने के लिये तैयार हुआ परन्तु कम्पनी ने इस संबंध में पुनर्विचार करने के लिये प्रतिवेदन दिया और उसके द्वारा ४०,००० रुपया जमा कर दिये जाने पर सरकार पुनः इस प्रश्न पर विचार कर रही है।

*७३–७४––श्री उग्रसेन––

[८ वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये ।]

## हाकिम परगना, बांसी के दौरे का मुकदमों पर असर

*७५––श्री जगदीश (जिला बस्ती)––

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला बस्ती में हाकिम परगना, बांसी ने अपने शरद कालीन दौरे में दर्जनों से अधिक प्रोग्राम निश्चित किये, लेकिन किसी एक प्रोग्राम पर नहीं गये ? क्या सरकार इसकी जांच करेगी कि यदि दौरे पर नहीं गये, तो क्यों नहीं गये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

जी नहीं, ऐसा नहीं था । बांसी के हाकिम परगना ने अपना शरद कालीन दौरा दो बार में किया । वह दौरे में निश्चत सभी स्थानों पर गये और अपना कार्य किया । केवल उन दिनों वह नहीं जा सके जब उन्हें सरकारी कार्यवश किसी दूसरी जगह जाना पड़ा ।

*७६––श्री जगदीश––

क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि उपरोक्त हाकिम परगना ने बहुत से मुकदमों में दौरा पर तारीख दे रखी थीं जिससे लोगों को बड़ी दिक्कतें हुईं, दौरे पर कितने केसों में तारीख दी गयीं थीं तथा कितने में इजलास न रहने से तारीखें पड़ीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

हाकिम परगना ने अपने दौरे में कुल ६७७ मुकदमों में तारीखें दे रखीं थीं । लगभग २०० मुकदमों में इजलास न रहने के कारण तारीख बढ़ानी पड़ी ।

*७७––७९––श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)––

[२५ मार्च, १९६३ के लिये प्रश्न १९–२१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये ।]

*८०––श्री जमादारसिंह, श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह––

[९ वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया ।]

## हलीम मुस्लिम इण्टर कालेज, कानपुर के छात्र सुशीलकुमार की मृत्यु की जांच

*८१––श्री रक्षपालसिंह––

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि कानपुर स्थित हलीम मुस्लिम इंटर कालेज के छात्र का अपहरण फरवरी, १९६३ के तीसरे सप्ताह में किया गया था बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी ?

*८२––यदि हां, तो क्या सरकार कृपया बतायेगी कि पूरी घटना क्या है तथा सरकार द्वारा उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त––

वांछित सूचना संलग्न विवरण में दी हुई है ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०१२ पर)

## प्रदेशीय नागरिक परिषद्

*८३––श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी), श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)––

क्या मुख्य मंत्री दिनांक २१ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न ७, ८ और ९ के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेशीय नागरिक, नागरिक परिषद् के महामन्त्री को कौन-कौन सी सुविधायें प्राप्त हैं और कार्यालय पर मासिक व्यय क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

प्रदेशीय नागरिक परिषद् के महामन्त्री को कोई सुविधा नहीं दी गई है अलावा इसके कि उनके निवासस्थान पर महामन्त्री के नाते टेलीफोन दे दिया गया है।

परिषद् के कार्यालय पर, जो कि रायल होटल, लखनऊ में है कोई पृथक व्यय नहीं होता है क्योंकि कर्मचारी, स्टेशनरी तथा डाक टिकट इत्यादि सचिवालय से दिये जाते हैं।

*८४--श्री उमाशंकर तिवारी, श्री रामसुन्दर पांडेय तथा श्री सत्यनारायण पांडेय--

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि व्यक्तियों को सहायक एवं उपयोगी समझने का आधार सरकार के पास क्या रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जिनको इस कार्य में उपयोगी समझा, उन्हें इस कौंसिल में सम्मिलित किया।

## पड़री लालपुर में मिथिलेश कुमारी की कथित हत्या

*८५--श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि जिला कानपुर के थाना घाटमपुर के अन्तर्गत ग्राम पड़री लालपुर में दिनांक ५,६ दिसम्बर, सन् १९६२ को १४ वर्षीय लड़की की सनसनीखेज रहस्यमय हत्या कर दी गयी है ?. यदि हां, तो इसमें अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

ग्राम पड़री लालपुर में १४ वर्षीय लड़की, मिथिलेशकुमारी की मृत्यु की सूचना थाना घाटमपुर में ७ फरवरी, १९६२ को प्राप्त हुई। जांच से मामला हत्या का नहीं वरन् आत्म-हत्या का पाया गया ?

*८६--श्री शिवनाथसिंह--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि मृत लड़की की मां से विभागीय उच्चाधिकारियों को इस विषय के प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुये हैं कि स्थानीय पुलिस मुलजिम पार्टी की मदद कर रही है और केस को खत्म करना चाहती है ? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इनमें लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है।

*८७--श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय--

[हटा दिया गया।]

## गाजीपुर जिले के जेनरेटर व प्रोजेक्टर मशीनों की मरम्मत

*८८--श्री राजनाथसिंह--

क्या सूचना मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर जनपद के विकास खंड, कासिमाबाद का जेनरेटर दो वर्ष पूर्व मरम्मत के लिये लखनऊ मुख्य कार्यालय आया था ? यदि हां, तो तो मरम्मत के बाद क्या वह कासिमाबाद लौटा दिया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बनारसीदास--

जी हां। मरम्मत के उपरान्त जेनरेटर की परीक्षा की गई, वह पुन : परीक्षा काल में खराब हो गया। अत : अब फिर मरम्मत की व्यवस्था की जा रही है।

*८९--श्री राजनाथसिंह --

क्या सूचना विभाग, गाजीपुर का प्रोजेक्टर (सिनेमा मशीन) और जेनरेटर मरम्मत के सिलसिले में लखनऊ में पड़ा हुआ है ? कितने समय से वे यहां पड़े हैं और उनकी मरम्मत अब तक क्यों नहीं हो पायी ?

श्री बनारसीदास ---

जी हां। सिनेमा मशीन २१ जुलाई, १९६२ तथा जेनरेटर ३१ दिसम्बर, १९६२ को प्राप्त हुये। पुर्जों के अभाव के कारण सिनेमा मशीन की मरम्मत अभी नहीं हो सकी है? जेनरेटर के मरम्मत की शीघ्र आशा है, यदि उसके पुर्जे उपलब्ध हो गये।

*९०---श्री राजनार्थासिह---

सूचना विभाग, गाजीपुर के जेनरेटर तथा प्रोजेक्टर बराबर मरम्मत में पड़े रहते हैं, तो क्या सरकार उनके स्थान पर एक ग्रोनन जेनरेटर और एक आर० सी० ए० प्रोजेक्टर देने पर विचार करेगी ताकि जनपद प्रचार कार्यों में पीछे न रह जाये?

श्री बनारसीदास ---

जी नहीं। विदेशी पुर्जे मंगाने का विशेष प्रयत्न जारी है। पुर्जे उपलब्ध होते ही मरम्मत तत्काल हो जायेगी। नई मशीनें देना संभव नहीं है।

## अलीगंज में बिजली सम्बन्धित कारखानों के लिये भूमि अर्जन

*९१---श्री लोकपालसिह (जिला एटा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि एटा जिला, अलीगंज कस्बा में बिजली सम्बन्धित जो कारोबार बढ़ाया जाने को है, उसके लिये कृषकों की उपजाऊ भूमि लिये जा रहे हैं। यदि हां, तो क्यों लिये जा रहे हैं जब कि अलीगंज के चारों ओर और विशेषकर बी०डी०ओ० के आफिस के समीप हजारों बीघा ऊसर भूमि पड़ी हुई है और कस्बा से वहां तक मौजूदा बिजली कार्यालय ले जाने में जो खर्च पड़ेगा उसे देने के लिये उन खेतों के मालिकान सहर्ष तैयार हैं?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

सूचना एकत्र की जा रही है।

## बाराबंकी जिले में मन्त्रियों के दौरे पर व्यय

*९२---श्री नत्थाराम रावत (जिला बाराबंकी)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अक्तूबर, १९६२ से अब तक बाराबंकी जिले में कौन-कौन मन्त्री दौरे पर किस प्रयोजन से गये तथा प्रत्येक पर अलग-अलग सरकार का सुरक्षा भत्ता आवागमन व स्वागत आदि पर कितना रुपया व्यय हुआ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अक्तूबर, १९६२ से फरवरी, १९६३ की अवधि में विभिन्न मन्त्रियों द्वारा बाराबंकी जिले में की गई यात्राओं में जो सरकारी व्यय हुआ, उसकी तालिका सदन की मेज पर रख दी गयी है। सभी यात्रायें सार्वजनिक कार्य हेतु की गयी। इन यात्राओं में सुरक्षा एवं स्वागत पर सरकार का कुछ व्यय नहीं हुआ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०१३ पर)

*९३---श्री तेजसिंह (जिला मेरठ)---

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## नये बड़े कारखानों के लिये अर्जित भूमि का मुआवजा

*९४---श्री तेजसिंह---

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि वाराणसी में लोको वर्कशाप के लिये, सहारनपुर में ऐन्टीबायोटिक फैक्टरी तथा हैवी एलेक्ट्रिकल फैक्टरी, गाजियाबाद में इन्डस्ट्रियल स्टेट के लिये तथा गोरखपुर में फर्टिलाइजर फैक्टरी के लिये कितनी-कितनी भूमि अर्जित की गयी है और किस दर पर?

श्री हरगोविन्दसिंह---

उपलब्ध सूचना के आधार पर उत्तर निम्नलिखित है :

लोको वर्कशाप, वाराणसी

केन्द्रीय सरकार के रेल विभाग की ओर से राज्य सरकार ने डाइजेल लोको मोटिव वर्क्स, वाराणसी के लिये कुल २४९.६४५ एकड़ भूमि अर्जित किया है और जिसके जिसके मुआविजे की अनुमानित लागत ७,३२,७७३.६८ रुपया होगी।

एन्टीबायटिक्स फैक्टरी, ऋषिकेष

इस फैक्टरी के लिये कोई भूमि अर्जित नहीं की गई है, सरकारी जमीन पर ही यह फैक्टरी लगी है।

हैवी इलेक्टिकल्स फैक्टरी, हरिद्वार

इस फैक्टरी के लिये कुल १३,१७५ बीघा, २ विश्वा और ११ विश्वांसी भूमि अर्जित की गई है जिसके मुआविजे की अनुमानित लागत ५४ लाख रुपया होगी।

इन्डस्ट्रियल स्टेट, गाजियाबाद

गाजियाबाद में राज्य सरकार द्वारा कोई इन्डस्ट्रियल स्टेट नहीं स्थापित की जा रही है।

फर्टीलाइजर फैक्टरी, गोरखपुर

इस फैक्टरी के लिये कुल १२०८.०७ एकड़ भूमि के अर्जन की कार्यवाही की जा रही है और लैन्ड एक्वीजीशन ऐक्ट की धारा ४ के अधीन उक्त भूमि को विज्ञापित किया गया है। मुआविजे की अनुमानित लागत का ब्योरा बनाया जा रहा है अतएव यह सूचना अभी उपलब्ध नहीं है।

## सरधना थाने के हेड कांस्टेबिल पर बलात्कार का मुकदमा

*९५---श्री जमादारसिंह---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला मेरठ के सरधना थाने के दिवान (हेड कांस्टेबिल) के खिलाफ एक लड़की के साथ बलात्कार करने के सम्बन्ध में मुकदमा चल रहा है? यदि हां, तो क्या उसको मुअत्तल (सस्पेंड) या उसका तबादला किया गया है? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

एक महिला, श्रीमती रशीदन के साथ बलात्कार करने के आरोप में उसकी व्यक्तिगत शिकायत के आधार पर एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा ३५४ के अधीन हेड कांस्टेबिल इंचार्ज, चौकी सरधना पर चल रहा है।

उक्त हेड कांस्टेबिल को न तो मुअत्तल (सस्पेंड) किया गया और न उसका तबादला ही किया गया है क्योंकि उसके विरुद्ध उक्त आरोप में मुकदमा दायर होने के पूर्व सर्किल आफीसर द्वारा जांच हो चुकी थी और वह निर्दोष पाया गया था।

*९६---श्री रियासत हुसैन---

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## मुरादाबाद में कोयले का अभाव

*९७---श्री शराफत हुसैन रिजवी---

क्या उद्योग मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या कोयले के अभाव के कारण मुरादाबाद में सैकड़ों बर्तन ढालने वाली भट्ठियां दिन पर दिन बन्द होती जा रही हैं? यदि हां, तो मुरादाबाद का निश्चित कोटा समय पर न मिलने का क्या कारण है?

श्री फूलसिंह--
सूचना एकत्र की जा रही है।

## जालौन जिले में चौकीदार

*९८--श्री विजयसिंह--
क्या मुख्य मन्त्री यह बतायेंगे कि जालौन जिले में जिन ग्रामों में चौकीदार नहीं हैं वहां पर उनकी नियुक्ति करने की कृपा की जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जालौन जिले में जिन ग्रामों में चौकीदार नहीं हैं उन ग्रामों की चौकीदारी पड़ोस के ग्रामों के चौकीदार करते हैं। वहां पर नये चौकीदारों की नियुक्ति करने का सरकार का विचार नहीं है।

## सोवियत संघ सहायता प्राप्त ओबरा थरमल पावर स्टेशन

*९९--श्री चन्द्रजीत यादव--
क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सोवियत संघ की सहायता से हमारे राज्य में क्या कोई बिजली घर स्थापित होने जा रहा है ? यदि हां, तो कितने रुपये की लागत से और उसकी क्या क्षमता होगी तथा इस स्थापना में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--
जी हाँ।

२३ करोड़ रुपये की लागत से २,५०,००० किलोवाट की क्षमता का ओबरा थरमल पावर स्टेशन बनाया जा रहा है। इसके लिये भूमि ले ली गयी है तथा आवास इत्यादि के लिये गृह निर्माण-कार्य प्रारम्भ हो गया है। रूस से विस्तृत योजना रिपोर्ट प्राप्त हो गई है जिसका परिनिरीक्षा हो रही है।

*१००-१०२--श्री छेदालाल चौधरी (जिला खीरी) --
[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

## अतारांकित प्रश्न

१-२--श्री हलीमुद्दीन (जिला मुरादाबाद) तथा श्री खेमचन्द--
[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

३-५--श्री बालकराम वैश्य --
[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किये गये।]

## पिथौरागढ़ जिले का फिल्म

६--श्री नेकराम शर्मा --
क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के लिये किसी निजी व्यक्ति की बनायी फिल्म को सरकार खरीद रही है ?

श्री बनारसीदास--
पिथौरागढ़ जिले के लिये अलग से कोई फिल्म सरकार द्वारा नहीं खरीदी जा रही है।

७--श्री नेकराम शर्मा--
क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिथौरागढ़ जिले के सूचना अधिकारी ने कम्युनिस्ट कार्यकर्त्ता के सहयोग से उक्त फिल्म का निर्माण किया है और कोई टेन्डर आदि उक्त फिल्म के बनाने के लिये नहीं मांगे गये ?

श्री बनारसीदास--

सूचना अधिकारी ने किसी के सहयोग से फिल्म का निर्माण नहीं कराया। टेन्डर मंगाने का प्रश्न नहीं उठता।

८--श्री नेकराम शर्मा--

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ ने किसी निजी व्यक्ति के साथ पहले से ही साजिश करके फिल्म बनाकर सरकार को बिकवाने का प्रबन्ध किया ?

श्री बनारसीदास--

सूचना अधिकारी, पिथौरागढ़ का फिल्मों के निर्माण अथवा क्रय से कोई सम्बन्ध नहीं रहा है।

९-१०--श्री काशीनाथ मिश्र--

[६वें शुक्रवार के लिये प्रश्न ११-१२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## सहारनपुर जिले की चीनी मिलों पर बकाया

११-श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि सहारनपुर जिले की भिन्न-भिन्न शुगर मिलों के जिम्मे ३१ अक्तूबर, १९६२ (अक्तूबर, १९६२) को Cane cess तथा Purchase tax के रूप में कितना-कितना बाकी तथा ३१ जनवरी, १९६३ तक उसमें से कितना-कितना वसूल हुआ ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

वांछित सूचना संलग्न तालिका में दी हुई है।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ १०१४ पर)

१२--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

[७वें बुधवार के लिये प्रश्न ६ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

## सरसावा सहकारी चीनी मिल

१३--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार सरसावा स्थित (जिला सहारनपुर) कोप्रापरेटिव शुगर मिल, जो एक पी० सी० एस० आफिसर की देख-रेख में चल रही है, को सलाह देगी कि चीनी उत्पादन बढ़ाने के लिये इस साल हर प्रकार की कटौती बन्द कर दे ताकि किसान गन्ना पंजाब न ले जाकर इसी मिल को प्रसन्नता पूर्वक दें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

उक्त मिल अपने क्षेत्र का समस्त उपलब्ध गन्ना पेरकर २५ फरवरी, १९६३ को बन्द हो गई। अतः यह प्रश्न अब नहीं उठता।

१४--श्री श्यामलाल--

[९वें गुरुवार के लिये स्थगित किया गया।]

## यू० पी० हैंडीक्राफ्ट के नाजिर को कथित ऐडवान्स

१५--श्री चन्द्रबलीसिंह--

क्या यह सच है कि गवर्नमेंट यू० पी० हैन्डीक्रैफ्ट के नाजिर को ४,००० रुपयों का टेम्पोरेरी ऐडवान्स दिया गया है ? जमानत से अधिक रुपया किसी को न देने के नियम होते हुये इतनी बड़ी रकम किस के इजाजत से दी गयी ह ?

श्री फूलसिंह --
जी नहीं। प्रश्न ही नहीं उठता।

## मथुरा में सुरक्षा कोष के लिये संगीत सम्मेलन

१६--श्री राधेश्याम शर्मा --

क्या राज्य सरकार कृपया बतायेगी कि अभी पिछले दिनों मथुरा में एक अखिल भारतीय मुशायरा व कवि सम्मेलन बड़ी धूम-धाम से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये हुआ था ? इस आयोजन में कुल कितना रुपया वसूल हुआ व कितना इसमें खर्च हुआ तथा कुल कितना रुपया राष्ट्रीय सुरक्षा कोष के लिये प्राप्त हो सका है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

जी नहीं, परन्तु एक अखिल भारतीय संगीत सम्मेलन २७ जनवरी, १९६३ को आयोजित हुआ था। इस आयोजन में कुल धन २८,७९७.६० रु० प्राप्त हुआ उसमें से ८,६२०.५० रु० व्यय किये गये तथा शेष धन २०,१७७.१० रु० राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में जमा किया गया है।

## मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद

१७--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि इलाहाबाद के मोतीलाल नेहरू इन्जीनियरिंग कालेज की इमारत कब तक बन कर तैयार हो जायगी तथा उस इमारत को बनाने में कितने धन की योजना है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

मोतीलाल नेहरू रीजनल इंजीनियरिंग कालेज, इलाहाबाद के वर्कशाप की इमारत मार्च, १९६३ के अन्त तक या अप्रैल, १९६३ के प्रारम्भ में तैयार हो जायेगी। छात्रावास के दो ब्लाक्स का निर्माण जुलाई या अगस्त, १९६३ तक पूर्ण होने की आशा है। कालेज की मुख्य इमारत के निर्माण के लिये ठेका दिया जाने वाला है तथा कार्यारम्भ से २ साल के समय के भीतर इस इमारत के तैयार हो जाने की सम्भावना है। कालेज की कुल इमारतों के बनाने के लिये ९८.०० लाख रुपये का प्राविधान है।

१८--श्री कल्याणचन्द मोहिले --

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि इस समय मोतीलाल नेहरू कालेज के छात्रों को पढ़ाने हेतु किसी मकान में प्रबन्ध किया गया है ? यदि हां, तो उस मकान का कितना किराया दिया जाता है तथा उसमें छात्रावास भी है या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त --

जी हां, छात्रों को पढ़ाने के लिये इस समय इलाहाबाद पोलीटेक्निक की इमारत में प्रबन्ध किया गया है जिसका ८५० रु० प्रतिमास किराया दिया जाता है। उसमें छात्रावास नहीं है।

१९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि मोतीलाल नेहरू इन्जीनियरिंग कालेज में इस समय कितने छात्र शिक्षा पा रहे हैं तथा शिक्षकों की संख्या क्या है तथा उनका वेतन-क्रम क्या है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मोतीलाल नेहरू रीजनल इन्जीनियरिंग कालेज में इस समय १८८ छात्र शिक्षा पा रहे हैं।

प्राधानाचार्य को मिलाकर शिक्षकों की संख्या ३४ है जिनके वेतन-क्रम निम्न प्रकार हैं :

(क) प्रधानाचार्य (१) १८०० रु०--२००० रु०,
(ख) प्रोफेसर (३) १००० रु०--१५०० रु०,

| | | |
|---|---|---|
| (ग) रीडर | (२) | ६०० रु०--११५० रु०, |
| (घ) लेक्चरर्स | (१३) | ३५० रु०--८५० रु०, |
| (ङ) असोसिएट लेक्चरर्स | (१५) | ३०० रु०--५६० रु० । |

## सूचना विभाग से प्रकाशित कलेंडरों व डायरियों पर व्यय

२०--श्री कल्याणचन्द मोहिले --

क्या सूचना मन्त्री कृपया बतलायेंगे कि १९६२ तथा १९६३ में कितने कलेन्डर तथा डायरी सूचना विभाग से निकाले गये तथा उनके ऊपर कितना व्यय तथा लाभ हुआ ?

श्री बनारसीदास--

१९६२ तथा १९६३ में कोई कलेंडर नहीं निकाला गया।

उक्त वर्षों में सूचना डायरी १९६२-६३ तथा पाकेट डायरी १९६३ निकाली गयी, जिनके आय-व्यय सम्बन्धी विवरण संलग्न हैं :

(देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ १०१५ पर)

## सूचना बिभाग द्वारा श्रव्य-दृश्य साधनों का निर्माण

२१--श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर) --

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग के अन्तर्गत महिला निदेशिका नियुक्त है उन्होंने श्रव्य-दृश्य जनसंचार (Audio-Visual Aids) माध्यमों के बनाने की कोई उच्च शिक्षा प्राप्त की है ? यदि की है, तो किस विद्यालय से की है ?

श्री बनारसीदास--

जी हां, कुमारी सरला साहनी, सहायक सूचना निदेशक, ने कमरशियल फोटोग्राफी, स्टूडियो वर्क तथा सिनेमैटोग्राफ में क्रियात्मक (practical) ट्रेनिंग प्राप्त की है। उन्होंने बम्बई की स्टूडियो सैंग्रिला, फेमस साइन लेबोरेटरीज तथा सिनेमा जगत के प्रसिद्ध फोटोग्राफर, श्री जाल मिस्त्री से ट्रेनिंग पाई है ।

२२--श्री विश्वनाथ पांडेय 'प्रणव'--

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग द्वारा कौन-कौन से श्रव्य-दृश्य साधनों (Audio-Visual Aids) का निर्माण किया गया ? उनकी सूची सदन के सम्मुख रखने की कृपा करेंगे ?

श्री बनारसीदास--

सूचना विभाग द्वारा निम्नलिखित श्रव्य-दृश्य साधनों का निर्माण, गठन तथा आयोजन किया गया--

१--फिल्म,

२--सिनेमा स्लाइड,

३--फोटो, चार्ट तथा माडल,

४--ग्रामोफोन रिकार्ड,

५--टिन प्रिंट तथा होर्डिंग,

६--पोस्टर,

७--नाट्य दल,

८--कठपुतली दल,

९--भजनीक,

१०--सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत रेडियो वितरण ।

## सूचना विभाग का फिल्मों व जन-संचार साधनों द्वारा प्रचार

२३—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश द्वारा नवम्बर, १९६२ से आज की तिथि तक कितने फिल्म संकटकालीन स्थिति को देखते हुये, जनता का मनोबल उठाने के लिये, बनाये गये हैं और कौन सी तिथियों से कहां, किन-किन स्थानों पर, उनका प्रदर्शन किया गया? केवल उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग के द्वारा इस विषय पर बनी फिल्मों की सूची सदन के सामने रखने की कृपा करेंगे?

श्री बनारसीदास—

उत्तर प्रदेश के सूचना विभाग ने २८ नवम्बर के बाद निम्नलिखित ७ फिल्मों के बनवाने का कार्य हाथ में लिया है। इन फिल्मों में से एक फिल्म "सजग उत्तराखंड" बनकर तैयार हो गई है।

१—सजग उत्तराखंड,
२—हवाई हमले से बचाव के तरीके,
३—जागृति,
४—देश के लिये,
५—नेकी-बदी,
६—तबांग की वापसी,
७—जांबाज ब्रिगेड।

"सजग उत्तराखंड" फिल्म का प्रदर्शन समस्त जिलों में कराया गया है।

२४—श्री नेकराम शर्मा—

क्या सूचना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सूचना विभाग, उत्तर प्रदेश ने पोस्टरों के अलावा निरक्षर ग्रामीण जनता के लिये विभाग द्वारा बनाये गये कौन-कौन से जन-संचार माध्यमों का इस संकटकालीन स्थिति में प्रयोग किया और उन पर क्या लागत आयी है?

श्री बनारसीदास—

पोस्टरों के अतिरिक्त। निरक्षर ग्रामीण जनता के लिये संकटकालीन स्थिति में निम्नांकित जन-संचार साधनों का प्रयोग किया जा रहा है।

१—कठपुतली द्वारा 'चीनी भेड़िया' नामक नाटक का प्रदर्शन विभाग के ५ कठपुतली दल कर रहे हैं।

२—५ भजनीक अपने भजनों तथा गीतों द्वारा जनता में एकता, दृढ़ता तथा जागरण की भावना को बनाये रखने से सम्बन्धित प्रचार कार्य कर रहे हैं।

३—सामूहिक श्रवण योजना के अन्तर्गत १०० रेडियो सेट संकटकालीन स्थिति को देखते हुये उत्तराखंड में वितरित किये गये हैं। केवल उत्तराखंड की जनता के लिये एक विशेष कार्यक्रम 'उत्तरायण', प्रतिदिन सायंकाल आकाशवाणी, लखनऊ द्वारा प्रसारित किया जाता है।

४—उत्तरकाशी, इलाहाबाद, लखनऊ और अलीगढ़ में सुरक्षा विषयक प्रदर्शनियों का आयोजन किया गया।

५—लखनऊ में होर्डिंग पर सुरक्षा सम्बन्धी डिजाइनों की रंगाई की गई है तथा ५४ ऐसे ही बोर्ड समुचित स्थानों पर खड़े किये जाने के लिये जिलों को वितरित हुये हैं।

उक्त सभी साधन सरकार की अन्य योजनाओं के प्रचार हेतु प्रयोग में लाये जा रहे थे। अब संकटकालीन स्थिति में इनका प्रयोग अधिकांश रूप में जनता का मनोबल रखने के लिये किया जा रहा है। अतः इन पर किये गये व्यय का हिसाब अलग से नहीं रक्खा गया।

## इटावा थाने की पुलिस द्वारा डाका डालने की जांच

२५--श्री चन्द्रबलीसिंह तथा श्री बेदराम--

क्या मुख्य मन्त्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का दिनांक १२ फरवरी, १९६३ का पत्र उन्हें मिला है जिसमें सूचित किया गया है कि बस्ती जिला के इटवा थाना के दरोगा व तीन सिपाहियों ने २०-२५ अन्य डकैतों के साथ कोटिया डोह ग्राम के श्री जैराम घुरहू गोवरी व उदयराज के घरों पर दिनांक २५-२६ जनवरी की रात में डाका डाल कर हजारों का माल मत्ता लूटा है तथा गोली से दो ग्रामीणों को जान से मार डाला है ? यदि हां, तो क्या इस गम्भीर आरोप की निष्पक्ष जांच करायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां। श्री चन्द्रबली सिंह का इस आशय का एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है। कथित घटना के सम्बन्ध में मजिस्ट्रेट द्वारा जांच की जा रही है।

२६--श्री चन्द्रबलीसिंह--

[हटा दिया गया।]

२७-२८--श्री दीपनारायणसिंह--

[६ वें बुधवार के लिये प्रश्न ३१-३२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

## मार्टिन कम्पनी, इलाहाबाद

२९--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या मुख्य मन्त्री प्रश्न संख्या ३० नत्थी (ग), दिनांक २१ फरवरी, १९६३ के उत्तर से सम्बन्धित बताने की कृपा करेंगे--रेहण्ड की बिजली किस रेट से दी जाती है तथा मार्टिन कम्पनी किस रेट से देती है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

यह †सूचना संलग्न सूचियों में दी हुई है।

३०--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या मुख्य मंत्री कृपया बतलायेंगे कि मार्टिन कम्पनी को बिजली देने का इलाहाबाद का कान्ट्रेक्ट दिया गया है ? यदि हां, तो कितने समय का है और कितने धन का ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

जी हां। १७ सितम्बर, १९१४ को "दी इलाहाबाद इलेक्ट्रिक लाइसेंस १९१४", ५० वर्ष के लिये दिया गया था। लाइसेंस किसी निश्चित धन के आधार पर नहीं दिया जाता है।

३१--श्री कल्याणचन्द मोहिले--

क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि मार्टिन कम्पनी का समय समाप्त होने के बाद रेहन्ड से बिजली दी जायगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इलाहाबाद शहर को रिहण्ड से बिजली देने के प्रश्न पर वर्तमान सप्लाई कम्पनी के लाइसेंस के समाप्त होने पर ही विचार किया जा सकता है।

## प्रश्न ३२-३४ के स्थगन की सूचना

श्री अध्यक्ष--

एक सूचना मैं दे दूं कि प्रश्न संख्या ३२-३४ तक के जो आज श्री ब्रह्मदत्त माथर, श्री श्यामलाल, श्री विजयपालसिंह, श्री रतीपाल, श्री शराफत हुसैन रिजवी तथा श्री रामकिशोर

---

† छापी नहीं गई।

त्रिपाठी के नाम से छपे हैं उनके उत्तर कदाचित् माननीय सदस्यों के पास पहुंच गये हैं, परन्तु माननीय मुख्य मन्त्री जी की ओर से एक सूचना आई है कि जो उत्तर इन प्रश्नों के सन्दर्भ में दिये गये हैं उनमें कुछ गल्ती हो गई है। इस कारण से ये ३ प्रश्न स्थगित किये जाते हैं और ये अगली बार में लिये जायेंगे।

श्री चन्द्रबली सिंह (जिला बलिया)—

अध्यक्ष जी, एक हमारा प्रश्न २५ नम्बर पर अतारांकित के रूप में बस्ती के दरोगा द्वारा डकैती का है, वह अल्पसूचित तारांकित प्रश्न के रूप में स्वीकृत हुआ था, लेकिन वह अतारांकित में डाल दिया गया है, इसका उत्तर दिलाने की शीघ्र कृपा की जाय।

श्री अध्यक्ष—

ठीक है, आप लिख कर दे दें।

श्री रामकिशोर त्रिपाठी (जिला बाराबंकी) —

जो सूचना ३२–३४ के सम्बन्ध में दी गई है वह गलत हो गई है तो यह बता दिया जाय कि यह गलती सरकार द्वारा सूचना देने में हो गई है या विभाग से जो सूचना आई, उसमें गलती हो गई है ?

श्री अध्यक्ष—

अगर गलती हो जाती है और वह मान ली जाती है तो शोभा और उदारता इसी में है कि कहा जाय 'अच्छा'।

## बोर्ड आफ हाई स्कूल ऐंड इण्टरमीडिएट एजूकेशन की परीक्षाओं के प्रश्न-पत्र खुल जाने से सम्बन्धित शिक्षा मन्त्री के वक्तव्य में कथित असत्य कथन के विषय पर विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर निर्णय

श्री अध्यक्ष—

एक विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय राधेश्याम जी व चैतन्यराजसिंह ने दिया है, वह इस प्रकार से है–"अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से मैं शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध सदन में गलत बयान जो उन्होंने तारीख १५ मार्च को "प्रश्न-पत्र थैले के सीवन खोलकर निकाले गये" के सन्दर्भ में दिया है। उसमें शिक्षा मन्त्री ने स्पष्ट कहा है कि राष्ट्रीय इण्टर कालेज, खैर, जिला अलीगढ़ के कार्यकारी प्रधानाध्यापक, हैडक्लर्क, उसके पुत्र व कुछ अन्य अध्यापकों को भी गिरफ्तार किया गया है। मुझे आज तारीख १९ मार्च को ठीक साढ़े चार बजे प्रातः तार से एक प्रतिष्ठित नागरिक द्वारा सूचना मिली है कि यह बयान शिक्षा मन्त्री जी का कतई गलत है। घटना के बाद सिर्फ पुलिस ने सब-पोस्टमास्टर का लड़का जो हाईस्कूल का छात्र है, श्री अशोक कुमार को ही गिरफ्तार किया है। मैं खुद ही विस्मित हूं कि शिक्षा मन्त्री ने ऐसा भ्रमात्मक बयान कैसे सदन में दे दिया ? अतः मैं शिक्षा मन्त्री के विरुद्ध गलत बयान देने के विरुद्ध नियम ६४ के अन्तर्गत सदन में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उपस्थित करता हूं। साथ में शिक्षा मंत्री के बयान का दैनिक पत्र व तार जो मुझे प्रातः मिला नत्थी करता हूं।"

शिक्षा मन्त्री इस सम्बन्ध में वक्तव्य दे रहे हैं वे दे दें।

*शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न पर एक वक्तव्य देने की आपसे आज्ञा चाहता हूं। वह इस प्रकार है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[आचार्य जुगलकिशोर]
संचालित इस वर्ष की हाई स्कूल की परीक्षा के प्रश्न पत्रों के खुल जाने के सम्बन्ध में मैंने १५ मार्च, १९६३ को एक वक्तव्य दिया था। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूं। वक्तव्य के अनुच्छेद २ का अंश इस प्रकार है।

"इस पर लड़का तथा उसका पिता गिरफ्तार किया गया। बाद में पिता को जमानत पर छोड़ दिया गया है और लड़का अब भी पुलिस की हिरासत में है। यह भी ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय इंटर कालेज, खैर के स्थानापन्न हैडमास्टर, हेड क्लर्क और उनके पुत्र तथा कुछ अध्यापकों को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया है।

वक्तव्य का यह अंश उस समय तक प्राप्त सूचनाओं के आधार पर था। इसके बारे में फिर से जांच करने पर वस्तुस्थिति इस प्रकार पाई गई। जिला अलीगढ़ के खैर के दो केन्द्रों पर प्रश्न पत्रों के खुल जाने की रिपोर्ट मार्च २ को स्थानीय अधिकारी को मिली। मार्च ३ और ४ के बीच वाली रात में स्थानीय पुलिस ने सब-पोस्टमास्टर के यहां तलाशी ली और जैसा कि पहले वक्तव्य में बताया जा चुका है कुछ प्रश्न पत्र और उससे सम्बन्धित कागजात बरामद किये। रात्रि में दो बज कर तीस मिनट पर पुलिस निम्नलिखित व्यक्तियों को थाने में लाई।

(१) हैड क्लर्क, खैर, इंटर कालेज,
(२) उपरोक्त हेड क्लर्क का लड़का,
(३) खैर के सब-पोस्टमास्टर,
(४) खैर के सब-पोस्टमास्टर का लड़का।

३--थाने में यह लोग लगभग दो से तीन घंटे तक रोके गये और इन से सम्बन्धित घटना के बारे में पूछताछ की गई। कुछ समय बाद प्रिंसपल, इंटर कालेज, खैर, स्थानापन्न प्रिंसपल राष्ट्रीय इंटर कालेज, और खैर इंटर कालेज के एक अध्यापक को भी पुलिस थाने में ले गयी। उन से लगभग आध घंटे तक सम्बन्धित घटना के बारे में पूछताछ की गई। चूंकि उपरोक्त व्यक्तियों को पुलिस थाने में ले गई थी, इसलिये यह गलत फहमी हुई कि जिन लोगों को पुलिस थाने में ले गई थी, वे हिरासत में ले लिये गये थे। यह भ्रम-पूर्ण सूचना शिक्षा निदेशालय को टेलीफून पर प्राप्त हुई जिस पर मेरे वक्तव्य का उपरोक्त अंश आधारित हुआ। इस गलती के लिये मुझे खेद है। मेरा अनुरोध है कि मेरे वक्तव्य, अनुच्छेद २, का सम्बन्धित अंश इस प्रकार पढ़ा जाये :

"इस पर सब-पोस्टमास्टर का लड़का गिरफ्तार किया गया तथा उसके पिता को भी पुलिस थाने में ले गई। पूछताछ के बाद पिता को जाने दिया गया। यह भी पता ज्ञात हुआ है कि राष्ट्रीय इंटर कालेज, खैर के स्थानापन्न प्रधानाचार्य, खैर इण्टर कालेज के हेड क्लर्क और उनके पुत्र तथा खैर इण्टर कालेज के एक अध्यापक को भी पुलिस थाने में ले गई और उनसे सम्बन्धित पूछताछ की।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

श्रीमन्, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर यह है जब विशेषाधिकार का प्रश्न माननीय राधेश्याम जी ने आपके सामने रख दिया उसके बाद यह क्लेरीफिकेशन आ रहा है। तो आप इस पर अपनी व्यवस्था दें कि जब प्रिविलेज मोशन आपके सामने आया तो उसके पूर्व क्लेरीफिकेशन न आ कर बाद में आने का क्या मतलब है ? जब कोई अंश मिसलीडिंग होता है तब विशेषाधिकार का प्रश्न आता है, और उनका वक्तव्य मिसलीडिंग था इसलिये माननीय सदस्य ने विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया। तो आप व्यवस्था दें कि विशेषाधिकार की नोटिस के बाद मन्त्री जी इस तरह से स्पष्टीकरण दे सकते हैं ?

श्री अध्यक्ष--

मैं समझता हूं इस सदन में बराबर यह होता रहा है कि मन्त्रियों द्वारा यदि कोई प्रश्न के उत्तर में गलती हो जाय तो उसका स्पष्टीकरण नहीं बल्कि उसका शुद्धिकरण बाद

में होता रहा। तो जब हम मन्त्रियों को उनके वक्तव्यों के सम्बन्धमें शुद्धि करने की अनुज्ञा देते हैं तो विशेषाधिकार के सम्बन्ध में भी ऐसी प्रथा होना कोई गैर वाजिब बात नहीं है। अब प्रश्न यह है कि जो आपने प्रश्न किया कि उन्होंने वक्तव्य विशेषाधिकार की सूचना के बाद दिया है, तो वक्तव्य के बाद कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिससे उनको शंका होती कि उन्होंने जो वक्तव्य दिया है एक सूचना पर, वह गलत है। शब्द 'हिरासत में लेना', प्रयोग में आया है। सम्भव है कि निदेशालय का यह खयाल हुआ हो कि जो लोग पुलिस स्टेशन पर ले जाये गये हैं वे हिरासत में हैं या अण्डर अरेस्ट हैं। और वास्तविकता यह थी कि उन्हें पूंछताछ के लिये ले गये थे। तो ऐसी बात नहीं है कि हम मन्त्री जी के वक्तव्य को न मानें।

दूसरी बात यह है कि हमें कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है कि मन्त्री जी का इसमें इण्टरेस्ट था कि वह किसी बात को छिपायें और गलत बयान करें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुये मैं इस वक्तव्य को स्वीकार करता हूं।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

एक स्पष्टीकरण हो जाय। मन्त्री जी का यह बयान भी गलत है। मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जाइये। यह दूसरा प्रश्न बाद में उठ सकता है, लेकिन जहां तक इस विशेषाधिकार का प्रश्न है इस बयान के बाद वह अस्वीकृत किया जाता है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

उन्होंने माफी तो मांग ली होती।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने कहा कि इस गलती के लिये मुझे खेद है। इससे अधिक आप क्या चाहते हैं?

श्री राधेश्याम शर्मा--

मैं पुनः माननीय मन्त्री जी के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस देता हूं।

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

माननीय मन्त्री जी माफी तो कई बार मांग चुके हैं। उनका भी यह हेबिचुअल मामला है।

श्री अध्यक्ष--

मेरा उग्रसेन जी से अनुरोध है कि वह एक दल के नेता हैं और उस नेता की हैसियत से उनको अधिक गौरव से काम करना चाहिये।

## विधान सभा के सदस्य, श्री भूपसिंह की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष--

मैं श्री बनवारीलाल विप्र द्वारा प्रस्तुत विशेषाधिकार के प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं जो इस प्रकार है--

"हम अध्यक्ष महोदय की आज्ञा से विशेषाधिकार का प्रश्न श्री पी० एम० अग्रवाल, एस० ओ० सी०, कोइल, अलीगढ़ एवं श्री गोयल, जिला जज, अलीगढ़ के विरुद्ध उठाना चाहते हैं।

[श्री अध्यक्ष]

विधान सभा की समिति और सदस्यों के विशेषाधिकार वही हैं जो ब्रिटेन के हाउस आफ कामन्स की समिति और सदस्य के हैं--अनुच्छेद १९४ (३) 'भारतीय संविधान' ।

माननीय भूपसिंह जी सदस्य विधान सभा को अलीगढ़ जिले में दफा १०७-११७ सी० आर० पी० सी० के अन्तर्गत एक मुकदमा न्यायालय एस० ओ० सी०, कोइल, अलीगढ़ की अदालत में पेश किया गया और जिसमें माननीय सदस्य से मुचलका व जमानत के आदेश के विरुद्ध माननीय सदस्य ने उक्त अदालत में स्टे आर्डर के लिये प्रार्थना-पत्र दिया जो स्वीकार कर लिया गया। तत्पश्चात् माननीय सदस्य ने जिला जज के यहां अपने वकील के द्वारा उक्त फैसले के विरुद्ध अपील की जिसमें कई तारीखें पड़ीं और अन्तिम तारीख १८-३-१९६३ पड़ी जिसमें मामला पेश हुआ। जज महोदय ने अपील को अस्वीकृत कर दिया तथा पुलिस द्वारा हथकड़ी लगाकर हवालात में भेज दिया और उनके वकील द्वारा निवेदन करने पर बाद में उनको जमानत और मुचलके के लिये लोअर कोर्ट, जो वहां से लगभग १ मील है, के लिये अंडर अरेस्ट पैदल ले जाया गया। उसके बाद उक्त मैजिस्ट्रेट श्री पी० एम० अग्रवाल, एस० ओ० सी० की अदालत में उसी हालत में पेश किया गया, जहां बाद में ५००-५०० रुपये की जमानत पर उनको छोड़ा गया।

वह १८-३-६३ को जिला जज महोदय द्वारा गिरफ्तार कर हवालात भेजे गये और उसके बाद नीची अदालत में (लोअर कोर्ट) में अण्डर अरेस्ट रहने के बाद साढ़े ४ बजे शाम को पेश किये गये। जमानत आदि पूरी करने में समय लगा। इस गिरफ्तारी की सूचना प्रक्रिया नियमावली दफा ८४, ८५ और ८६ के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष और विधान सभा को अनुसूची 'क' तथा 'ख' के फारम के अनुसार या वायरलेस द्वारा तुरन्त होनी चाहिये थी, परन्तु ऐसा नहीं हुआ। इससे विधान सभा के नियमों की अवहेलना की और अनुसूची 'क' और 'ख' के अनुसार अध्यक्ष महोदय एवं विधान सभा को सूचित भी नहीं किया गया।

अतः हम विशेषाधिकार का प्रश्न उपरोक्त अधिकारियों के विरुद्ध उठाना चाहते हैं।"

माननीय भूपसिंह जी भी मुझसे मिले थे उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। ऐसी सूरत में म इसको विशेषाधिकार समिति को भेजता हूं कि वह तथ्यों के ऊपर और कहां तक यह विशेषाधिकार का प्रश्न बनता है इसकी जांच करके अपनी रिपोर्ट करे।

(कुछ ठहर कर)

अब एक विशेषाधिकार का प्रश्न मुझे ११ बजे के करीब आज मिला है माननीय मैनेजर-सिंह जी का। अभी मैंने देखा नहीं है। वह देख लूंगा।

## रुदौली नोटीफाइड एरिया, बाराबंकी के मेहतरों की अभिकथित हड़ताल के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष--

अब नियम ५२ के अन्तर्गत मुकुटबिहारीलाल जी की सूचना को मैंने स्वीकार किया है।

"जिला बाराबंकी स्थित रुदौली नोटीफाइड एरिया में काम करने वाले मेहतरों को गत ११ मास से वेतन नहीं दिया गया है। वेतन के साथ ही उनके महंगाई आदि सभी भत्ते बाकी हैं। इन अल्प वेतन भोगी अल्प कर्मचारियों को इतने दिनों से वेतन न मिलने के कारण हालत अत्यन्त दयनीय हो गई है तथा उत्तेजना बढ़ रही है।

इस परेशानी से ऊब कर उन्होंने कई बार सरकार से हस्तक्षेप करने की प्रार्थना की परन्तु सरकार द्वारा कोई भी ध्यान नहीं दिया गया। मैंने स्वयं कई बार सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयत्न किया परन्तु कोई सफलता नहीं मिली है।

उत्तेजना तथा असन्तोष इतना अधिक हो गया है कि मेहतरों ने पहली अप्रैल से काम से हड़ताल करने की नोटिस दे दी है। उनका कहना है कि यदि इस मास के अन्त तक उन्हें वेतन नहीं मिला तो वह अगले मास के पहले दिन से ही काम करना बन्द कर देंगे।

श्रीमन्, इस घटना से नगर की जनता में बड़ी बेचैनी व्याप्त हो गई है तथा पूरे प्रदेश में सरकार के प्रति क्षोभ तथा अविश्वास व्याप्त हो रहा है। अस्तु, आपके माध्यम से मैं लोक महत्व के इस सुनिश्चित अविलम्बनीय प्रश्न पर माननीय मन्त्री का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।"

स्वायत्त शासन मंत्री जी कब वक्तव्य देंगे ?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—
अगर आज्ञा हो तो मैं जो स्थिति है अभी बता दूं।

श्री अध्यक्ष—
बतलाइये, लेकिन अगर प्रश्न होंगे तो प्रश्नों का उत्तर भी दे दीजियेगा।

श्री विचित्रनारायण शर्मा—
श्रीमन्, इस विषय में यहां आदरणीय सदन में प्रश्न भी पूछे गये जिसके जवाब दिये गये पहली अक्तूबर तक ४५ कर्मचारियों के ५ महीने के, ४५ कर्मचारियों के ६ महीने के और १५ कर्मचारियों के ८ महीने के वेतन बकाया थे। उसके बाद फिर स्थिति सुधरी। सरकार ने भी कुछ लिखा, डी० एम० से भी कहा गया। नवम्बर के अन्त में सिर्फ ३० कर्मचारियों का ७ महीने तक का वेतन रह गया था और ८ महीने का सिर्फ १५ कर्मचारियों का रह गया था वह दिया गया।

अब दफा ५२ में जो मांग की गयी है उससे मालूम होता है कि सिर्फ मेहतरों का बकाया रहा है, बाकी का दे दिया गया है। प्रश्न यह है कि बदकिस्मती से वहां एक आन्दोलन चला और मुझे मालूम नहीं है कि श्री मुकुटबिहारीलाल जी का हाथ उसमें रहा या नहीं, लेकिन वह यह था कि इस टाउन एरिया को कर न दिया जाय। लिहाजा उसकी आमदनी खत्म हो गयी और देना बाकी रहा। अब यह दुर्भाग्य की बात है कि वे किसी तरह से अपनी आमदनी पूरी नहीं कर सके। सरकार के लिये यह बड़ी मुश्किल होती है कि सीधे उसके अन्दर हस्तक्षेप करे। यह स्वायत्त शासन की संस्थायें सिर्फ इसलिये हैं कि छोटे स्तरों से लेकर ऊपर तक अपना प्रबन्ध खुद करना सीखें। तो हर मामले में जहां जरा सी गलती हुई सरकार हस्तक्षेप करे और सारा प्रबन्ध अपने हाथ में ले ले यह उचित भी नहीं है। मैं समझता हूं कि यह आदरणीय सदन कभी अपेक्षा भी नहीं करेगा कि हर छोटी-छोटी गलती पर सरकार हस्तक्षेप करे और अपने हाथ में शासन ले ले। तो इसलिये सरकार इससे भी डरती है और सुपरसीड नहीं करती। कोशिश की गयी कि उसकी एडीशनल इन्कम हो सके इसलिये टोल टैक्स लेने की इजाजत दे दी गयी जिससे इसकी आमदनी बढ़ जायगी। सरकार की तरफ से यह नीति जरूर रही कि अगर मुतवातिर इम्प्रूवमेंट न हों और बदइन्तजामी हो तो फिर सुपरसीड जरूर कर देना चाहिये। क्योंकि हर एक संस्था का यह फर्ज है कि वह अपने कर्मचारियों को वेतन जरूर दे। यह बात नीति की तरह से मानी जाती है लेकिन जहां पर बदइन्तजामी न हो बल्कि हाई कोर्ट के बीच में आजाने से या विशेष आन्दोलन की वजह से कोई चीज ऐसी आये तो सरकार को थोड़ा-सा रुकना पड़ता है। वहां स्थिति बहुत कुछ सुधर चुकी है। अभी हमें आश्वासन मिला है कि अप्रैल के अन्त तक सबका वेतन दे देंगे। सरकार की तरफ से फी मेहतर १७ रुपये दिया जाता है। वह पहले से दे दिया

[श्री विचित्रनारायण शर्मा]

जाय और नोटिफाइड एरिया उसको ड्रा कर ले तो स्थिति और भी सुधर जायगी। इसके अलावा दूसरा चारा हमारे पास नहीं है। यह बदकिस्मती है कि वहां पर यह आन्दोलन चला जिसकी वजह से ये वेतन नहीं दिये जा सके।

श्री मुकुटबिहारीलाल (जिला बाराबंकी)---

श्रीमन्, मंत्री जी ने अभी बताया कि वहां पर कोई आन्दोलन चला जिसकी वजह से लोगों ने टैक्स नहीं दिया, इसलिये इनको वेतन नहीं दिया जा सका। मैं आपको बता दूं कि लगभग ३ वर्ष पहले यह आन्दोलन इसलिये चला कि वहां के स्थानीय चेयरमैन और मेम्बरों ने कुछ कांग्रेस साथियों के ऊपर बहुत कम टैक्स लगाया और अन्य जनता पर काफी टैक्स लगाये गये। इसकी इन्क्वायरी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने की और यह बात सत्य पाई गई। उस समय लोगों ने टैक्स नहीं दिया। क्या मंत्री जी को जानकारी है कि सारे टैक्सेज अदा हो चुके हैं और मनमानी करने के लिये चेयरमैन तनख्वाह नहीं देते हैं?

श्री अध्यक्ष---

मंत्री जी कहते हैं कि उनको सूचना यह मिली है कि अप्रैल के अन्त तक दे देंगे। मेरा खयाल यह है कि इसके बाद अप्रैल में आप फिर पूछ लें। इस समय पोजीशन यह है कि स्थिति बहुत कुछ सुधर गई है और अप्रैल में वेतन दे दिये जायेंगे।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

जी हां, यही कह रहे हैं। सरकार सिवाय इसको ससपेंड करने के और कुछ नहीं कर सकती है।

श्री मुकुटबिहारीलाल---

श्रीमन्, यह स्थिति आज से नहीं बल्कि बहुत दिनों से चल रही है और कर्मचारियों का प्रश्न है। मेहतरों ने नोटिस दे दिया है वैसे सब लोगों की तनख्वाहें बाकी हैं। जब यह सवाल उठता है तो कुछ तनख्वाहें देकर संतुष्ट कर देते हैं। श्रीमन्, आज के मंहगाई के समय में बिना तनख्वाह मिले ये साधारण कर्मचारी किस तरह से जीवनयापन कर सकेंगे, इसके लिये सरकार को चाहिये कि कोई कड़ा कदम उठाये।

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि हम यही कर सकते हैं कि कुछ इनको मदद दे सकें तो दें, और दूसरा स्टैप सस्पेंड करने का है।

श्री अध्यक्ष---

एक बात और है मंत्री जी कि अप्रैल में जांच कर लीजिये कि वेतन दिये या नहीं?

श्री विचित्रनारायण शर्मा---

इससे पहले भी मैं मालूम करने की कोशिश करूंगा कि वेतन दिये गये या नहीं।

## नियम ५२ तथा ५३ के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ में दिया था कि बरेली में चेचक से बहुत मौतें हो रही हैं। इस पर वक्तव्य दिला दीजिये।

श्री अध्यक्ष---

मैं इसको भेज दूंगा।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)---

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना भेजी थी और वह बहुत महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष---

ठहर जाइये । आपने नियम ५२ में सूचना भेजी थी चेचक की, माननीय हरीशकुमार गंगवार की आई थी और माननीय मुकुटबिहारीलाल जी की भी एक सूचना है अब आप तीनों तय कर लीजिये कि किसकी महत्वपूर्ण है । अगर वे यह कहें कि हमारी कम महत्वपूर्ण है तो आपकी हो जायगी ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन्, यह तय करने का स्थान तो बहुत ऊंचा है ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

श्रीमन्, मैंने नियम ५३ के अन्तर्गत प्रस्ताव दिया था उसके संबंध में क्या आज्ञा होती है, बता दीजिये ।

श्री अध्यक्ष---

उस पर मैंने नोट लिखा है । उस पर आप बातचीत कर लें ।

## प्रदेश के कुछ जिलों में उपलवृष्टि तथा वर्षा से क्षति के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)---

नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना के विषय में.....

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)---

श्रीमन्, यह तो मिल गया है, इसको पढ़ा माना जाय ।

श्री अध्यक्ष---

प्रोसीडिंग्स में यह लिखा जायगा कि पढ़कर सुना दिया गया ।

(देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ १०१६ पर)

श्री उग्रसेन---

अभी मंत्री जी का वक्तव्य जो पढ़ा माना गया है उसमें एक जिले में नाममात्र की मदद की बात है । लेकिन देवरिया में क्या मदद की गई, इसकी चर्चा भी नहीं है । अगर कोई सूचना हो तो मंत्री जी इस बारे में बताने की कृपा करें ।

माल मंत्री (श्री हुकुमसिंह विसेन)---

जिलाधीश ने कोई डिटेल नहीं भेजे हैं ।

श्री उग्रसेन---

क्या माननीय मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि बड़े व्यापक पैमाने पर ओले पड़े हैं और लोग भूखग्रस्त हैं, टेलीफोन से सूचना कर देंगे कि उनको अविलम्ब सहायता दिलवा दें ।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

हमने सतर्क किया है कलेक्टरों को ।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)---

जिस दिन उपवृष्टि हुई मैं उस दिन मौजूद था और मैंने बस्ती जिले में दस मील के अन्दर जाकर देखा । इसमें लिखा है कि सामान्यतः फसलों में २५ नये पैसे की क्षति हुई । मैंने स्वयं देखा है कि १२ आने से कम नहीं, बल्कि १४ आने तक क्षति हुई है, तो क्या माननीय मंत्री जी मेरी सूचना मान कर जब तक इन्क्वायरी नहीं हो जाती तब तक जितनी वसूली हो रही है उसे रोकने के लिये जिलाधीश को आदेश देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

जिलाधीशों को अधिकार है, जहां मुनासिब समझें रोक दें ।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)--
बयान में लिखा हुआ है कि अधिकारियों द्वारा आपदा में सहायता पहुंचाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही की गयी । मैं जानना चाहता हूं कि इसमें कौन-कौन सी कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
किस जिले के बारे में ?

श्री कल्पनाथसिंह--
गोरखपुर के बारे में ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--
कुछ रुपया मांगा था । २० हजार रुपया ग्रेटुट्स रिलीफ के लिये मंजूर कर दिया है । वह सब कार्यवाही कर रहे हैं ।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--
माननीय अध्यक्ष जी, क्षतिग्रस्त स्थानों की क्षति के अनुमान के संबंध में सरकारी और गैरसरकारी व्यक्तियों में बड़ा अन्तर रहता है जैसा कि माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी ने कहा है कि उनकी समझ से १२ आने का नुकसान है जब कि सरकारी रिपोर्ट के अनुसार केवल २५ नये पैसे का नुकसान है, तो सरकारी और गैरसरकारी व्यक्तियों की क्षति के संबंध में जानकारी में संतुलन हो सके इसके लिये सरकार नये सिरे से इन्तजाम करने पर विचार करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
अभी तक यही दस्तूर रहा है । उसी पर चलना चाहते हैं ।

श्री कल्पनाथसिंह--
यह जो बीस हजार रुपया जिलाधीश को सरकार द्वारा दिया गया, यह किस तारीख को दिया गया और जो लिखा गया है कि अधिकारियों ने आपदा में सहायता पहुंचाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही की तो कौन-कौन सी कार्यवाही की ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
शुरू में मैंने कहा कि डिटेल मेरे पास इस के नहीं हैं । दो, तीन रोज हुये २० हजार रुपया हमने सैंक्शन किया ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--
माननीय मंत्री जी ने कहा है कि फरेंदा तहसील में १८६ ग्राम प्रभावित हुये और महराजगंज तहसील में १८३ गांव प्रभावित हुये, कुल ३६९ गांव प्रभावित हुये जिनमें बताया गया है कि ७५ नये पैसे तक नुकसान हुआ है । यह वही क्षेत्र है जिसमें बाढ़ भी आयी थी, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज वहां भुखमरी की स्थिति को देखते हुये क्या माननीय मंत्री जी आदेश देंगे कि वहां मालगुजारी की वसूली स्थगित की जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--
गोरखपुर के कलेक्टर ने तमाम गवर्नमेंट ड्यूज की वसूलयाबी स्थगित कर दी है । ऐसी रिपोर्ट दी है ।

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--
अभी माननीय मंत्री ने कहा कि जिलाधीश सारी बातों को जानते हैं । मेरी कम से कम पांच जिलाधीशों से बातचीत हुई, उनको प्राइवेट इन्सट्रक्शन दे देते हैं कि जितना नुकसान हो उसका आधा तिहाई दिखाया जाय ।

श्री हुकुमसिंह विसेन--
ऐसा कोई आदेश नहीं है ।

श्री जगदीश (जिला बस्ती)---

माननीय मंत्री जी की रिपोर्ट में एक जगह कहा गया है कि नौगढ़, बांसी तहसीलों में बुरी तरह से क्षति हुई है। दूसरी जगह कहा गया है कि २५ नये पैसे का नुकसान हुआ है, जबकि असलियत यह है कि १२ आने से १६ आने तक नुकसान हुआ है और इस क्षेत्र में बाढ़ भी आयी थी। २५ नये पैसे में कोई सहायता या सुविधा नहीं मिलती है। क्या माननीय मंत्री जी इस की जांच करवायेंगे कि सही-सही क्षति कितनी हुई है और गोरखपुर के कमिश्नर ने यह आदेश दे दिया है कि बस्ती जिले में और पूर्वी जिले में वसूली कम हो रही है अधिक से अधिक पैसा वसूल किया जाय ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

इसमें कई सवाल हैं। किसका जवाब दूं किस का न दूं ?

श्री अध्यक्ष---

एक का तो दे दीजिये।

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैं इतना कहना चाहता हूं कि अभी जो नुकसान हुआ है उसका तखमीना सरसरी तौर पर हुआ है। उसके बाद फर्म तखमीना आयेगा तब सही तखमीना मालूम हो जायगा।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

जब उपलवृष्टि हुई है तब फसल बिलकुल तैयार थी। नियमानुकूल उस समय जांच करनी चाहिये जब कि फसल को क्षति हुई। जब फसल कट कर खलिहान में आ गयी होगी तो इसका क्या नतीजा होगा, कुछ भी छूट नहीं देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

तहसीलदार, एस० डी० ओज० वगैरह पहले मौके पर गये हैं।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

मेरी जाती जानकारी है कि हाकिम परगना वगैरह कोई नहीं गये मौके पर।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

माननीय मंत्री जी ने बताया कि गोरखपुर के जिलाधीश ने सरकारी ड्यूज की वसूली बन्द कर दी है तो माननीय मंत्री जी अन्य जिलाधीशों को भी आदेश देंगे कि वे भी वसूली बन्द करें और जिस प्रकार गोरखपुर जिले के लिये अहेतुक सहायता दी है, वह अन्य जिलों के लिये भी करें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

मैंने आदेश नहीं दिया था। उन्होंने खुद किया है। अगर जरूरत समझेंगे तो वह भी करेंगे और जब मांगेंगे तो उनकी भी मदद करेंगे।

श्री रामअवध (जिला गोरखपुर)---

क्या माननीय मंत्री जो गोरखपुर के नुकसान को देखते हुये वहां के निवासियों के जीवन निर्वाह के लिये टेस्ट वर्क चालू करने पर विचार करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अभी फाइनल रिपोर्ट आ जाने दीजिये तब देखा जायगा।

श्री मैनेजरसिंह---

माननीय मंत्री जी ने कहा कि गोरखपुर जिले के जिलाधीश ने स्वेच्छा से कार्य किया है और उसके मांगने पर २० हजार रुपया स्वीकृत किया है, क्या जिन जिलाधीशों ने स्वेच्छा से कार्य नहीं किया है उन्होंने अकर्मण्यता दिखलायी है, उनको ऐसा आदेश देंगे कि वे भी सरकारी ड्यूज बंद करें और उनको भी रुपया स्वीकृत करेंगे अहेतुक सहायता के लिये ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
बिना मांगे रुपया देना उचित नहीं ।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---
माननीय अध्यक्ष, जो प्रश्न चल रहा है ओला वृष्टि पर माननीय मंत्री जी जिलाधीश की रिपोर्ट पर संतुष्ट हो जाते हैं और जिलाधीश करीब-करीब वही अंग्रेजी के जिलाधीश हैं, वह नहीं जानते कि किसान की फसल में ओले से कितने पैसे का नुकसान हुआ, तो क्या मैं माननीय मंत्री जी से आशा करूं कि इस नुकसान की जांच किसी प्रधान किसान से करवाया करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
पुराने जिलाधीश सब बदल गये । कहीं थोड़े बहुत चाहे हों ।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---
क्या माननीय माल मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि इस बात को देखते हुये कि किसी ठोस मामले में या किसी जिले के किसी ठोस इलाके में कितनी क्षति हुई है इसके ऊपर माल विभाग के कर्मचारियों की रिपोर्ट और यहां विधान सभा के मेम्बरों की जानकारी में अगर फर्क होता है तो क्या माननीय मंत्री जी इस बात को स्वीकार करेंगे कि उस एरिया की पुनः जांच कराकर खासकर गांवों के प्रधानों के जरिये, इस बात का निश्चय करें कि कौन सही है कौन गलत है अथवा दोनों में कोई समन्वय हो सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
प्रधानों के जरिये से जांच कराना उचित नहीं होगा ।

श्री हरीसिंह (जिला मेरठ)---
क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि जो पश्चिमी जिलों में ओले पड़े हैं वहां कितनी सहायता दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
पश्चिमी जिलों में शाहजहांपुर का सवाल आया था और किसी जिले के बारे में तो पूछा नहीं गया । (व्यवधान) और बरेली का पूछा गया था, वह मैंने बता दिया ।

श्री अष्टभुजा (जिला गोरखपुर)---
क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जिन बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ओला पड़ा है वहां का लगान माफ करने की कृपा करेंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
अगर कायदे में आ जायगा तो जरूर माफ किया जायगा ।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---
इस बात को देखते हुये कि गोरखपुर जिले की महाराजगंज और फरेंदा तहसीलों में ३६९ गांव ओलाग्रस्त हुये हैं और इन्हीं गांवों में बाढ़ भी आयी थी और जो सहायता तहसीलवार बांटी गई है वह करीब ७-८ हजार रुपये के होती है, तो इस सहायता को नाकाफी समझते हुये माननीय मंत्री जी और ज्यादा सहायता जिलाधीशों को देने की कृपा करेंगे, जिससे मास स्केल पर जो वहां भुखमरी पड़ रही है उसमें वह खाने-पीने का इन्तजाम कर सकें या ग्रेच्यूट्स रिलीफ उनको दी जा सके ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---
मैंने कहा कि जितनी जरूरत समझेंगें उतना हम इन्तजाम करेंगे ।

श्री अध्यक्ष---
उन्होंने बार-बार कहा कि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जितना मांगेंगे उतना हम देंगे ।

श्री झारखंडेराय---

मैं यह प्रार्थना कर रहा हूं कि माननीय माल मंत्री के इस टालू मिक्सचर जवाब से सन्तोष नहीं होगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि अगर स्पेसिफिक केसेज में इतना डिफरेंस हो तो माननीय मंत्री जी अगर प्रधान के जरिये से नहीं करायेंगे तो क्या कोई और एजेंसी या ऐसा तरीका निकालेंगे जिससे इसकी सही-सही जांच हो सके, वरना हम कहें दिन और वह कहें रात तो इसका निश्चय कैसे होगा ?

श्री अध्यक्ष---

माननीय राजस्व मंत्री, उनका कहना यह है कि अगर स्पेसिफिक केस माननीय सदस्य आपको लिखकर दें तो उसमें फिर देख लीजियेगा ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

यह पहले ही से आदेश हैं कि सही-सही तखमीना जहां तक मुमकिन हो सके करें और अगर स्पेसिफिक केसेज आयें तो उसको देखा जा सकता है।

श्री कल्पनार्थसिंह---

मैं आपके द्वारा राजस्व मंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि सदन में अभी शिक्षा मंत्री जी को खेद प्रकाश करना पड़ा, गलत रिपोर्ट देने के नाते और अगर यही स्थिति इस बयान पर फिर आये तो वह इस सदन के उपनेता हैं, बुजुर्ग हैं, हम लोग उनकी बड़ी इज्जत करते हैं चाहते हैं कि वह नौबत न आने पाये, इसलिये मंत्री जी एक आश्वासन दे दें कि पुनः जांच करा के वह सदन के सदस्यों को सूचित कर देंगे ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

अगर मैंने कोई गलतबयानी की है तो उसके लिये मैं खेद बड़ी आसानी से प्रकट कर सकता हूं, मुझे उसमें कोई भी ताम्मुल नहीं है।

श्री उग्रसेन---

माननीय मंत्री जी के पास बरेली, शाहजहांपुर, बस्ती, बलिया, गोरखपुर और देवरिया के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अभी तक कोई मदद की मांग नहीं की है तो मैं माननीय मंत्री जी से साग्रह और सविनय यह निवेदन करता हूं कि मंत्री जी उन लोगों को २०, २० हजार रुपया दे दें ?

श्री हुकुमसिंह विसेन---

ऐसे नहीं देंगे। वे कंटेक्ट करेंगे और कहेंगे तो उनको दिया जायगा।

## गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)---

१७ दिसम्बर, १९६२ को श्री एम० एन० द्विवेदी, प्रिंसिपल, गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज, महाराजगंज को धारा ४०८ भारतीय दंड विधान के अन्तर्गत टेम्पोरेरी सेशन्स जज, गोरखपुर द्वारा एक वर्ष का कठिन कारावास तथा ४०० रुपये जुरमाना का दंड दिया गया। जज द्वारा उनकी जमानत रद्द कर दी गई और वह हवालात में ले लिये गये थे। बाद में अपील करने पर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत स्वीकार की।

जमानत पर छूटने के पश्चात् श्री द्विवेदी प्रधानाध्यापक पद का कार्य करते रहे। २६ जनवरी को स्कूल की बोर्ड आफ ट्रस्टीज की प्रबन्धक समिति ने श्री द्विवेदी को अपने पद से पृथक् कर दिया परन्तु श्री द्विवेदी ने अपने पद का चार्ज नहीं दिया और प्रबन्धक समिति की आपत्ति के बावजूद भी वह प्रधानाध्यापक पद का कार्य करते रहे।

[श्री नवलकिशोर]

२३ मार्च, १९६३ को कालेज के सेक्रेटरी ने श्री द्विवेदी को पत्र लिखा जिसमें उनसे प्रिंसपल पद का चार्ज श्री राम रखा लाल को देने को कहा। इसका कारण यह बताया गया कि श्री द्विवेदी को अपने पद पर कालेज के धन का दुरुपयोग करने के कारण डिसमिस कर दिया गया और चूंकि उन्होंने आगे भी कालेज के धन का गबन किया है। श्री द्विवेदी ने इस पत्र का कोई नोटिस नहीं लिया और जब १५ मार्च, १९६३ को प्रबन्धक समिति ने श्री राम रखा लाल (प्रिंसपल डेजिगनेट), श्री अवध बिहारी सरन और श्री कपिल देव प्रसाद, सोसाइटी के सदस्य तथा श्री राजमंगल को श्री द्विवेदी से चार्ज लेने के लिये भेजा तो श्री द्विवेदी ने चार्ज देने से इन्कार कर दिया। और उन्होंने तथा कुछ विद्यार्थियों ने श्री अवध बिहारी सरन तथा श्री राजमंगल को मारा-पीटा। इन लोगों को चोटें आई हैं।

चूंकि कुछ विद्यार्थी प्रबन्धक समिति के भी समर्थक हैं इस कारण दोनों पार्टियों में झगड़ा हो जाने की आशंका हो गयी थी। जिस समय इस बात की सूचना तहसीलदार, महाराजगंज ने जिलाधीश को दी तो उन्होंने हाकिम परगना महाराजगंज और डी०एस०पी० (सी०ओ०) को एक ए० पी० गार्ड के साथ तत्काल ही महाराजगंज भेज दिया। वहां पहुंचने पर यह प्रतीत हुआ कि केवल कालेज के अध्यापकों तथा विद्यार्थियों में ही नहीं परन्तु इस तनाव का असर महाराजगंज कस्बे में भी पड़ सकता है, चूंकि दोनों पार्टियों के समर्थक वहां उपस्थित थे, यह भी प्रतीत हुआ कि जब तक कोई प्रशासकीय कार्यवाही नहीं की जायगी तो शांति व्यवस्था भंग होने की संभावना हो सकती है और हाई स्कूल तथा इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं पर भी इसका प्रभाव पड़ सकता है।

इन्हीं कारणों से तथा शांति व्यवस्था बनाने हेतु और परीक्षाओं को सफलतापूर्वक चलाने हेतु जिलाधीश ने यह आदेश दिये कि प्रिंसपल पद का चार्ज कालेज के वाइस प्रिंसपल, श्री अवध बिहारी सरन को दे दिया जाय। एस० डी० एम० ने धारा १४४ के अन्तर्गत वहां ५ या ५ से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने पर, उत्तेजनात्मक भाषण देने पर तथा हथियार इत्यादि ले जाने पर भी प्रतिबन्ध लगा दिया।

प्रिंसपल पद का चार्ज वाइस प्रिंसपल को १६ मार्च, १९६३ को दे दिया गया है तथा बोर्ड की परीक्षायें शांति पूर्वक चल रही हैं। पुलिस की जांच से श्री हरी प्रसाद लाल क्लर्क के दफ्तर में घुसकर तथा हाई स्कूल परीक्षा हेतु बोर्ड से आई हुई कापियां और दफ्तर के अन्य कागजात तथा रिकार्ड के अस्त-व्यस्त करने की बात सिद्ध नहीं हुई।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

क्या माननीय गृह मंत्री जी को इस बात की सूचना है कि १५ तारीख को करीब १।। बजे जब अवध बिहारी सरन, जो इस कालेज की मैनेजिंग कमेटी के सदस्य हैं और जिनको सजा भी हो चुकी है उन के साथ दो, ढाई सौ आदमी १५ तारीख को कालेज में इसलिये पहुंचे कि वे जबरदस्ती प्रिंसपल से चार्ज ले लें जब कि वहां पर सुपरिंटेन्डेन्ट, इक्जामिनेशन कापियों का चार्ज दे रहे थे ताकि १६ को इक्जामिनेशन ठीक तरीके से चलाये जा सकें।

श्री अध्यक्ष—

जिस वक्त आपने यह प्रश्न दिया था उस समय भी आपने इस पर बल दिया था कि मुख्य उद्देश्य यह है कि परीक्षायें ठीक से चलती रहें। वह कहते हैं कि परीक्षायें चल रही हैं.....

श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

मेरा कहना यह है कि मैनेजिंग कमेटी उसकी है। डी० एम० बिना उससे पूछे आर्डर देता है कि प्रिंसपल वाइस प्रिंसपल को चार्ज दे दे। तो हम सक्षम हैं उसके लिये। इसलिये मैं जानना चाहता हूं कि डी० एम० ने कैसे आर्डर दिया ?

श्री नवलकिशोर---

मान्यवर, जो वहां का क्लर्क है हरी प्रसाद लाल उसने इस प्रकार की एक रिपोर्ट लिखायी है, लेकिन जो पांडेय जी, सुपरिंटेन्डेन्ट हैं उन्होंने १०० आदमियों की बात लिखी है डी० एम० को। श्री हरी प्रसाद लाल कहते हैं ढाई सौ थे। एस० ओ० ने बतलाया कि यह सब बातें बढ़ा-चढ़ा कर लिखायी गयी हैं इसलिये कि वहां पार्टी बाजी है। मैनेजिंग कमेटी ने तो आर्डर दिया कि चार्ज दें, लेकिन उन्होंने नहीं दिया।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय---

आप कृपया मेरी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष---

नहीं, आप बैठ जायं। मैंने नियम ५२ में इस सूचना को स्वीकार किया था। माननीय पांडेय जी ने कहा था कि परीक्षार्थियों का समय बर्बाद न हो इस उद्देश्य से ही उन्होंने इसको दिया है। इसीलिये मैंने इसे स्वीकार किया था। और फौरन कार्यवाही के लिये भेज दिया था। अब वहां मैनेजमेंट और पार्टीबाजी के जो झगड़े है, वे बहुत दिनों से चल रहे हैं। नियम ५२ में जो व्यवस्था है उसमें है कि ऐसे वक्तव्य पर कोई वाद-विवाद नहीं होगा। परन्तु अध्यक्ष यदि वह ठीक समझें स्पष्टीकरण के प्रयोजन से प्रश्नों की अनुमति दे सकते हैं। तो स्पष्टीकरण यदि आप चाहते हैं तो वह इसी विषय पर होना चाहिये कि परीक्षार्थियों का कोई नुकसान हो रहा है या नहीं। इस बारे में आप पूछ सकते हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---

श्रीमन्, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि उस जिले में एक बड़ा राजनीतिक प्रयत्न चल रहा है और हमारे कालेज पर कब्जा करने के लिये जिला अधिकारी हाथ बटाये हुये हैं। मैं जानना चाहता हूं कि जब वहां के सुपरिंटेन्डेन्ट ने एक नहीं दो रिपोर्ट्स महाराजगंज थाने में दीं कि लोग कालेज में घुस कर इक्जामिनेशन में हिड्रेंस डाले हैं और उससे बहुत सी कापियां बर्बाद हुई और कालेज का वे बहुत सा सामान उठा ले गये तो उन हमलावरों के खिलाफ सरकार ने क्या कार्यव ही की ?

श्री नवलकिशोर---

मैंने यह बतलाया कि जब उन रिपोर्ट्स की जांच की गयी तो ये आक्षेप सही नहीं पाये गये।

श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया)---

मैं यह स्पष्टीकरण चाहता हूं कि आचार्य द्विवेदी को पृथक् करने का जो निर्णय कमेटी ने किया उस पर विभागीय अधिकारियों की पूर्व स्वीकृति कानून के अनुसार थी या नहीं और जिलाधीश महोदय ने जो आर्डर दिया चार्ज देने का वह इन्टरमीडिएट अमेंडमेंट ऐक्ट की किस धारा के अनुसार था या किसी अन्य कानून की धारा के अनुसार था ?

श्री अध्यक्ष---

मैं आपसे बताये देता हूं कि मैंने एक रूलिंग दे दी कि अगर परीक्षार्थियों की परीक्षा के सम्बन्ध में कोई प्रश्न करना हो, तो कर सकते हैं और बाकी मैं एलाऊ नहीं करूंगा।

*श्री कल्पनाथसिंह---

श्रीमन्, व्यवस्था का सवाल है। मन्त्री जी ने अभी जो बयान दिया है, उसमें यह कहा कि ४०८ धारा में और दिसम्बर चल रहा था, इस तरह से आप देखें कि न मालूम क्या-क्या पूरी हिस्ट्री बयान कर दी। उस समय आपने मन्त्री जी को नहीं रोका कि ऐसे इर्रेलिवेन्ट बयान क्यों इस सदन में दे रहे हैं, कि जिसको मैंने एलाऊ नहीं किया है। लेकिन जब वह बयान आ गया और वह इस सदन की प्रापर्टी हो गया, तो माननीय सदस्यों को उस पर प्रश्न पूछने का अधिकार है या नहीं है ?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष--

आप बिल्कुल ठीक कहते हैं। मैं आपसे निवेदन कर दूं कि नियम ५२ के अन्तर्गत वह बयान आ गया है। वह महत्व दे रहे थे कि असली मंशा अविलम्बनीय विषय.....

(व्यवधान)

आप देखें कि उसमें परीक्षार्थियों का नुकसान न हो, इस कारण से....।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, अपनी व्यवस्था देने से पहले कृपया मेरी बात सुन लें। मैं नहीं जानता कि सरकार का पक्ष क्या है और प्रश्नकर्ता का पक्ष क्या है। इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। तात्पर्य सदस्यों के अधिकार के सवाल से है। आप जो रूलिंग दे देते हैं, वह एक महत्वपूर्ण विषय हो जाती है। इस सदन में भी और दूसरी जगहों के लिये भी। इसलिये मैं चाहूंगा कि आप असली सवाल को जरा सोच लें और तब उसके ऊपर आप अपनी रूलिंग दें। आपने अपनी व्यवस्था दे दी नियम ५२ के बारे में। आपने नियम ५२ सुना भी दिया। आपकी व्यवस्था के बिना, आपकी स्वीकृति के बिना वह बयान नहीं हो सकता था, यह भी मुझे मालूम है। आपने कहा कि सदन में जैसा कि माननीय नरसिंहनारयाण पांडेय जी ने नोटिस दिया है, बयान दिया है, उसको मैं पूरा कबूल नहीं कर रहा हूं और.....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

जो कहा गया, वह यह है कि "गोरखपुर जिला महाराजगंज स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज में तारीख १५-३-६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत प्राप्त सूचना.....।"

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह--

अब यह बात श्रीमन्, पैदा होती है कि जो बयान जहां तक उसी घटना का सम्बन्ध है, उस घटना से सम्बन्धित अगर कोई माननीय सदस्य स्पष्टीकरण करना चाहते हैं, तो आप उनको इजाजत दें। मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं। ताकि माननीय सदस्यों का अधिकार आपके द्वारा सुरक्षित और अक्षुण्य रहे। जो बयान आता है, मैं यह समझता हूं कि माननीय सदस्य को आपकी इजाजत से स्पष्टीकरण प्राप्त करने का हक है। आप चाहें तो इसको डिसएलाऊ कर दें।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय--

श्रीमन्, सवाल तो करने दिया जाय.....।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

एक पृष्ठभूमि में एक घटना हुई। उसके सम्बन्ध में कहा गया कि विद्यार्थियों का नुकसान हो जाने की संभावना है। उन्होंने यह कहा कि यह जो घटना हुई है, उसकी एक बैकग्राउन्ड है। इस वजह से डिप्टी कमिश्नर ने एक कार्यवाही की, ताकि इम्तहान चलते रहें। यह उन्होंने कहा कि उस पृष्ठभूमि पर डिप्टी कमिश्नर ने जो ऐक्शन लिया, उसके सम्बन्ध में कोई, मैं चाहता हूं कि सवाल न हो। अगर आप चाहें, तो दूसरे तरीके से ला सकते हैं। लेकिन मैं इस समय जो चाहता हूं, वह यह कि परीक्षार्थियों के हित में यदि आप पूछना चाहें, तो पूछ सकते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

मैंने १५-३-६३ की घटना के बारे में प्रश्न पूछा था। जब वहां एक मैनेजिंग कमेटी काम कर रही है और उसने एक प्रिंसपल को वहां के कार्य-संचालन के लिये मुकर्रर किया है।

जिलाधीश ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने के लिये जो चाहे कार्यवाही कर सकते हैं, लेकिन उनको क्या अधिकार है कि १५-३-६३ को साढ़े ग्यारह बजे रात को आर्डर देते हैं :

"Under the orders of District Magistrate, Gorakhpur, Sri M. N. Dwivedi, Principal, G. S. V. S. Inter College, Maharajganj is hereby directed to hand over charge of his post to Sri B. B. Saran, Vice-Principal of the said college at once.....".

यह किसके आर्डर से उन्होंने आर्डर दिया ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने अपने स्टेटमेंट में बताया कि प्रबन्धक कमेटी ने जब कुछ आदमियों को चार्ज लेने के लिये भेजा, उनको चार्ज नहीं दिया गया और मार-पीट हुई उस के बाद एस० ओ० और फिर एस० डी० एम० वहां पहुंचे और उन्होंने देखा कि इस इंसीडेंट का असर महाराजगंज कस्बे पर भी है और स्टूडेंट जो कमेटी के समर्थक हैं और जो खिलाफ हैं उन दोनों की पार्टी-बन्दी के कारण तनाव बढ़ गया है तब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने ला ऐंड आर्डर को मेनटेन करने के लिये प्रिंसपल के बजाय जो सीनियर वाइस प्रिंसपल काम कर रहे थे उनसे कार्य संचालन को कहा।

श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)--

श्रीमन्, जहांतक ला ऐंड आर्डर का सवाल है, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चाहिये था कि वह स्टैटस्को को कायम रखते, कोई नयी बात वह कैसे कर सकते हैं, इसका स्पष्टीकरण कराया जाय।

श्री अध्यक्ष--

यह बहस है।

श्री मैनेजरसिंह--

माननीय अध्यक्ष जी, जो वक्तव्य माननीय गृह मन्त्री ने दिया है मैं उसका स्पष्टीकरण चाहता था। पहले आपने एक दूसरा विचार जाहिर किया, लेकिन फिर आपने स्पष्टीकरण का मौका दिया। तो मैं पुनः जानना चाहता हूं कि जिलाधीश महोदय ने जो आदेश दिया चार्ज देने का वह किस कानून के अन्तर्गत दिया ?

श्री नवलकिशोर--

मैंने अर्ज किया कि ला ऐंड आर्डर मेनटेन करने के लिये दफा १४४ लगाई गई।

श्री अध्यक्ष--

वह धारा १४४ के अन्दर आर्डर दे सकते हैं।

(व्यवधान)

मैनेजरसिंह जी, आप बैठिये। नरसिंह नारायण जी, आप भी अपना स्थान ग्रहण करें।

(श्री नरसिंहनारायण अपने स्थान पर खड़े रहे।)

श्री मैनेजरसिंह--

मैं बैठता हूं, लेकिन आपका रवैया ठीक नहीं है, मैं बहुत असें से आपको देख रहा हूं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

आप मुझे निकाल दीजिये, लेकिन मैं यह बरदाश्त नहीं.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष--

आप सदन छोड़िये, नरसिंहनारायण जी।

(श्री अध्यक्ष के बार-बार कहने पर भी श्री नरसिंह नारायण ने सदन का त्याग नहीं किया और बोलते रहे।)

श्री अध्यक्ष---

मैं सदन का ध्यान उनके व्यवहार की ओर आकर्षित करते हुए माननीय नरसिंह नारायण को इंगित करता हूं।

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्र भानु गुप्त)---

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि नरसिंह नारायण जो एक महीने के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किये जायं।

श्री अध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि माननीय नरसिंह नारायण एक महीने के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और विभाजन की मांग होने पर घंटी बजायी गयी।)

श्री उग्रसेन---

आप तैश में आ जाते हैं, यह आपके लिये ठीक नहीं है। एक प्रश्न और करवा देते तो क्या हो जाता? रोज-रोज एक-एक महीने के लिये प्रस्ताव करवा देते हैं।

श्री नरसिंह नारायण पांडेय---

गुप्ता जी की सरकार मेरे मर्डर का प्रयत्न करे और मेरी दौलत पर हमला करे और हम कुछ कह भी न सकें। मैं इसको बरदाश्त नहीं कर सकता। आप इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, आपको इंसाफ करना चाहिये.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष---

आप अब नहीं बोल सकते, आप इंगित किये जा चुके हैं।

प्रश्न यह है कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय एक मास के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और हाथ उठाकर निम्नलिखित मतानुसार स्वीकृत हुआ :---

हां---१३३,

नहीं---६२।)

श्री अध्यक्ष---

यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, माननीय नरसिंहनारायण पांडेय एक मास के लिये इस सदन की सेवा से निलम्बित किये गये।

(व्यवधान)

(श्री नरसिंह नारायण से) आप सदन छोड़ें।

(श्री नरसिंह नारायण पांडेय ने सदन का त्याग नहीं किया और अपने स्थान पर खड़े रहे। श्री अध्यक्ष के आदेश से मार्शल की प्रार्थना पर भी उन्होंने सदन नहीं छोड़ा।)

श्री अध्यक्ष---

आप सदन छोड़ दीजिये, वरना मुझे फोर्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, वह ठीक नहीं होगा। मैं समझता हूं माननीय उग्रसेन जी, आपकी शोभा इसी में है कि आप अपने साथी से कहें कि वे चले जायं।

(श्री नरसिंह नारायण पांडेय के सदन न छोड़ने पर)

अब काउन्सिल हाउस गार्ड्स आयेंगे।

श्री उग्रसेन--

वे तो श्रीमन्, जनतन्त्र की परम्पराओं के अन्तर्गत कुछ कहना चाहते थे, मगर माननीय मुख्य मन्त्री जी ने एक मास का यह प्रस्ताव ला दिया.....

श्री अध्यक्ष--

इस पर कोई विवाद नहीं होगा। आप कृपया बैठें।

श्री मैनेजर्रासिह--

आप स्थान छोड़ दें, सारा झगड़ा समाप्त हो जायेगा....

श्री अध्यक्ष--

देखिये, मैनेजर्रासिह जी, यह सदन का अपमान है, आप कृपया इन शब्दों को वापस लें।

श्री मैनेजर्रासिह--

मैं कहता हूं आप स्थान छोड़ दें, मैं वापस नहीं लूंगा।

श्री अध्यक्ष--

अगर आप वापस नहीं लेते तो मैं सदन का ध्यान आकर्षित करता हूं और माननीय मैनेजर-सिंह जी के तरीकों के प्रति उनको इंगित करता हूं।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं प्रस्ताव करता हूं कि माननीय मैनेजर्रासिह को एक महीने के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि मैनेजर्रासिह जी को एक महीने के लिये सदन की सेवाओं से निलम्बित किया जाय।

(व्यवधान)

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)--

अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ निवेदन करना चाहता हूं.....

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

आपने, अध्यक्ष महोदय, प्रीविलेज का प्रश्न उठाया था, आपने यह नहीं कहा था कि मैं इंगित करता हूं उनको।

श्री चन्द्रजीत यादव--

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी प्रार्थना है कि आपने माननीय नरसिंहनारायण जी को बाहर जाने के लिये कहा तो माननीय मैनेजर्रासिह ने गुस्से में आकर कुछ कहा जिसको मैंने पूरा नहीं सुना।

श्री अध्यक्ष--

उन्होंने मेरे लिये कहा कि अपना स्थान छोड़ कर चले जाओ।

श्री चन्द्रजीत यादव--

मैं समझता हूं कि यह उचित नहीं है, इसलिये मैं माननीय मैनेजर्रासिह जी से प्रार्थना करता हूं कि वे उन शब्दों को वापस ले लें। और अगर वे उन शब्दों को वापस ले लें तो फिर आप सदन को किसी अशोभनीय स्थिति से बचा लें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं।

श्री उग्रसेन--

हम इस बारे में कोई मेहरबानी नहीं चाहते।

श्री अध्यक्ष--

क्योंकि माननीय मैनेजर्रासिह जी ने अपने शब्दों को वापस नहीं लिया है इसलिये मैं उन्हें इंगित करता हूं।

श्री कमलार्सिह यादव (जिला गाजीपुर)--

अगर वे वापस नहीं ले रहे हैं तो पहले आप उनको इंगित न करें, पहले सदन छोड़ने के लिये कहें। किसी को एकदम से इंगित करना उचित नहीं है।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि माननीय मैनेजर्रासिह जी को एक मास के लिये सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

यह प्रस्ताव आप नहीं ला सकते, माननीय मुख्य मन्त्री जी को लाना चाहिये।

श्री कल्पनार्थासिह--

अध्यक्ष महोदय, हमारी प्रक्रिया नियमावली में कहीं भी यह बात लिखी नहीं है कि माननीय अध्यक्ष स्वयं इंगित करेंगे और यह प्रस्ताव भी करेंगे कि एक माह के लिये उनको निकाल दिया जाय।

श्री अध्यक्ष --

प्रस्ताव मुख्य मन्त्री जी कर चुके हैं। उनके प्रस्ताव करने के पश्चात् जब मैं प्रश्न रखना चाहता था कि माननीय चन्द्रजीत जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया। मैं उसको सुन रहा था।

श्री कमलार्सिह यादव--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय नर्रासिहनारायण जी को निकालने के आदेश दिये और वे अभी पालन नहीं हुए हैं, तो क्या उस बीच में किसी दूसरे को भी निकालने का प्रस्ताव आ सकता है, जब तक वह कन्टीन्यू कर रहा है?

श्री अध्यक्ष--

अभी सदन खत्म नहीं हुआ है, ऐसा प्रस्ताव आ सकता है।

प्रश्न यह है कि माननीय मैनेजर्रासिह जी को सदन की सेवाओं से एक मास के लिये निलम्बित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अध्यक्ष--

माननीय मैनेजर्रासिह जी आप सदन छोड़ें।

(श्री मैनेजर्रासिह तथा श्री नर्रासिहनारायण पांडेय अपने-अपने स्थान पर खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष--

काउन्सिल हाउस गार्डस्, माननीय नर्रासिहनारायण जी को सदन से निकाल दें।

(श्री अध्यक्ष के आदेश से मार्शल ने काउन्सिल हाउस गार्ड्स की सहायता से श्री नर्रासिह-नारायण पांडेय को सदन से बाहर कर दिया।)

श्री अध्यक्ष--

श्री मैनेजर्रासिह जी, आप भी अब कृपया सदन छोड़ें।

श्री मैनेजर्रासिह--

मैं मार्शल के साथ जाना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष --

मार्शल, माननीय मैनेजर्रासिह को बाहर ले जाइये।

(श्री अध्यक्ष की आज्ञा से मार्शल के आग्रह पर श्री मैनेजर्रासिह सदन से बाहर चले गये।)

## गोरखपुर जिल में स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज में १५ मार्च, १९६३ १९६३ को घटी घटना के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री उग्रसेन--

दो मिनट के लिये मुझे भी मौका दें।

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। आपने माननीय नरसिंहनारायण पांडेय के १५-३-६३ के अविलम्बनीय लोक महत्व के सवाल पर जो आपने सदन में पढ़ कर सुनाया, माननीय गृह मन्त्री को उत्तर देने के लिये आदेश दिया था। तो आप कृपा करके बतलायें कि आपका आदेश केवल इम्तहान से सम्बन्धित था, और माननीय गृह मन्त्री जी ने जो उत्तर उस हाउस में दिया वह उसी के अनुकूल है या उसके विपरीत है? अगर विपरीत है तो आपने हम सदस्यों को सप्लीमेन्ट्री करने से जो वंचित किया है, मैं समझता हूं कि यह नियमों के विपरीत है।

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

यह क्या व्यवस्था का प्रश्न है?

श्री कल्पनार्थासिंह--

श्रीमन्, आप जरा माननीय शान्तिप्रपन्न शर्मा को कहें कि वे अध्यक्ष मत बनें।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामसुन्दर जी, जहां तक नियम ५२ का प्रश्न है, आप चाहे मेज पार्लियामेंट्री प्रैक्टिस को देख लें, आप चाहे पार्लियामेंट की प्रैक्टिस को देख लें, कहीं की प्रैक्टिस को भी आप देख लीजिये, वहां यही है कि चूंकि सदन के समक्ष कोई प्रस्ताव नहीं रहता, इस वजह से यह स्पीकर के ऊपर निर्भर है कि वह उसके ऊपर कितने प्रश्न और कहां-कहां के सम्बन्ध में प्रश्न की अनुज्ञा दे और यही हमारे नियमों में है, अगर अध्यक्ष उचित समझे तो स्पष्टीकरण दिला दे। यदि मैं उचित समझता हूं कि तो आदेश दे देता हूं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि १५-३-६३ को इस स्कूल के सम्बन्ध में में जो घटना घटी उसको आपने माना और स्वीकार किया और उनको उत्तर देने के लिये हुक्म दिया। उसके अनुसार हम सप्लीमेंट्री करने चाहिये। तो क्या जो बयान माननीय गृह मन्त्री ने दिया वह आपके आदेश के अनुकूल है? यदि अनुकूल है तो उस पर सप्लीमेंट्री होने चाहिये।

श्री अध्यक्ष--

उसके अनुकूल है यही मंशा और इसी मंशा से उन्होंने उत्तर दिया।

## रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट के लिये ४ सदस्यों के निर्वाचन का प्रस्ताव तथा कार्यक्रम

विद्युत् उपमन्त्री (श्री शांतिप्रपन्न शर्मा)--

अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के सदस्य सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, जगदीशशरण अग्रवाल, जे० पी० मिश्र तथा श्रीनिवास का कार्यकाल दिनांक २६ नवम्बर, १९६२ को समाप्त होने के कारण रिक्त स्थान पर, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी की मद (११) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि यह सदन जिस प्रकार तथा जिस तिथि को अध्यक्ष महोदय आदेश दें, रुड़की यूनिवर्सिटी सिनेट में विधान सभा के सदस्य सर्वश्री चन्द्रजीत यादव, जगदीशशरण रस्तोगी, जे० पी० मिश्र तथा श्रीनिवास का कार्यकाल दिनांक २६ नवम्बर, १९६२ को समाप्त हो जाने के कारण रिक्त स्थान पर, रुड़की यूनिवर्सिटी ऐक्ट, १९४८ की धारा १६ की तृतीय श्रेणी की मद (११) के अनुसार विधान सभा के चार सदस्यों का निर्वाचन करे।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

अनेक सदस्य--

व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष--

आप बैठ जायं, मैं एक सूचना दे दूं। अभी जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ है उसके लिये नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की अन्तिम तिथि तथा समय २३ मार्च, १९६३ को ५ बजे सायंकाल तक रहेगा, नाम-निर्देशन पत्रों की सूक्ष्म परीक्षा की तिथि तथा समय २५ मार्च, १९६३ को १२ बजे (सचिव, विधान सभा के कमरे में)।

श्री उग्रसेन--

एक व्यवस्था का प्रश्न है .....

श्री अध्यक्ष--

पहले मैं इसे समाप्त तो कर लूं। और नामों की वापसी की अन्तिम तिथि....

बहुतसे सदस्य--

हमारा व्यवस्था का प्रश्न सुन लिया जाय....

श्री अध्यक्ष--

जब मैं बोल रहा हूं तो व्यवस्था का प्रश्न नहीं होता। माननीय उग्रसेन जी आप खामोश रहें.....

श्री उग्रसेन--

पहले आप हमारी बात सुन लें।

श्री अध्यक्ष--

आप की बात मैं सुन लूंगा, लेकिन जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ है उसके सम्बन्ध में आधी घोषणा हो चुकी है वह तो पूरी करने दें.....

श्री उ सेन--

जो घटना यहां घटी है उसको कहने का हमें अधिकार है, पहले सुन लिया जाय।

श्री अध्यक्ष--

वह मैं बाद में सुन सकता हूं। तो नामों की वापसी की अन्तिम तिथि २७ मार्च तथा समय १९६३ को ५ बजे तक रहेगा और निर्वाचन यदि आवश्यक हुआ तो मतदान दिनांक ३० मार्च, १९६३ को विधान वाचनालय में १२ बजे से ५ बजे तक होगा।

## गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक इंटर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य (क्रमांगत)

श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)--

अध्यक्ष महोदय, जो घटना आज सदन में घटी है उसकी चर्चा तो मैं करना नहीं चाहता क्योंकि हमें आप की आज्ञा शिरोधार्य है और आप की व्यवस्था भी स्वीकार है, लेकिन मैं आप से नम्र निवेदन करूंगा कि वास्तव में आप यहां अभी रुग्ण शय्या से आये हैं और परमेश्वर आप

के लिये न जाने कब क्या कर सकता है, हम तो बराबर आप के लिये ईश्वर का भजन करते रहे हैं और चाहते रहे हैं कि आप यहां आकर बैठें और हमारा मार्ग प्रदर्शन करें। मैं आप से चाहूंगा कि आप जब तक इस सदन को चलायें तो अपनी तन्दुरुस्ती का खयाल कर के गुस्से का त्याग कर और इस ढंग से चलायें कि यहां इस प्रकार की परिस्थिति न पैदा हो क्योंकि अगर आप इस झगड़े में इस संसार से उठ गये तो बड़ा मुश्किल हो जायगा और बड़ी दिक्कत होगी। हम चाहते हैं कि वह परिस्थिति न पैदा हो और ऐसी कोई बात न हो।

श्री अध्यक्ष--

माननीय रामेश्याम जी से और सदन के समस्त माननीय सदस्यों से मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुझे किसी सदस्य को इंगित करने में जरा सा भी कोई प्रसन्नता का भाव हो या कोई आनन्द हो, ऐसी बात नहीं है...

एक सदस्य--

सरकार को बचाने में तो आता है।

(श्री बांकेलाल क कुछ कहने पर)

श्री अध्यक्ष--

श्री बांकेलाल जी, आप बैठ जायें। पता नहीं किस प्रकार से आपके हृदय में यह भावना पैदा होती है। मैं सरकार का बिल्कुल संरक्षक या उसका पक्ष नहीं लेना चाहता। मुश्किल यह होती है कि यह भी मुझसे नाराज होते हैं और आप भी नाराज होते हैं, दोनों तरफ असंतोष है। इधर के लोग यह समझते हैं कि मैं विरोधी दल के साथ जरा अधिक नम्र रहता हूं, और आपका यह खयाल होता है कि सरकारी पक्ष लेता हूं। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि किसी विषय पर मैं सरकारी किसी अधिकारी का परामर्श नहीं लेता। लेकिन अगर आपके हृदय में शंका होती है तो उसका इलाज मेरे पास नहीं है।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)--

सब को आपने १ महीने के लिये इंगित किया.....

श्री अध्यक्ष--

गलती कर सकता हूं, इन्सान हूं और अल्प बुद्धि हूं। लेकिन गलती अगर होती है तो आप मुझे बता दें मैं समझने की कोशिश करूंगा। लेकिन जो तरीका आप अख्तियार किये हुए हैं यह उचित नहीं है। अब मुझे आशा है माननीय सदस्य आगे का काम चलने देंगे और कोई अड़चन नहीं डालेंगे। अब मद ११ लिया जायगा।

*श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मुझे आपका ध्यान आकृष्ट करना है, जरा मुझे सुन लें उसके बाद जो आप चाहें कहें।

श्री अध्यक्ष--

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था का प्रश्न केवल उस विषय के सम्बन्ध में होता है जो प्रस्तुत हो।

श्री कल्पनाथसिंह--

मेरा व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, केवल आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

श्रीमन्, आप जिस मद पर बहस कराने का जा रहे हैं वह कौन-सी मद है जरा उसको देख लें। वह है राष्ट्रीय संकट से सम्बन्धित। वह दिन मुख्य मन्त्री जी को याद होगा जब ऐसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कल्पनाथसिंह]

ही वातावरण था और मुख्य मन्त्री ने सदस्यों से अपील की थी, आपको भी याद होगा, उसके बाद जो यहां का वातावरण बना वह भी याद होगा। यह बात सही है, कम से कम मैं इस बात को कबूल करता हूं कि हम भी और सरकार पक्ष भी आपसे नाराज होता है, लेकिन आज कैसे यह बात आपके मुंह से निकल गई जो आपने नरसिंहनारायण जी को इंगित किया, मुझे ताज्जुब हुआ। मुख्य मन्त्री जी ने सदन में एक बड़ी स्वस्थ परम्परा कायम करने की कोशिश की। इमर्जेन्सी के पीरियड में और जहां तक इमर्जेन्सी का सवाल है, हाउस के प्रोसीजर के बारे में दोनों दलों में मतभेद हो जाया करते हैं उससे कोई बात बनती बिगड़ती नहीं है, लेकिन जो स्थिति आज पैदा हुई है मुख्य मन्त्री जी को आप अवसर दें, वह सोचें कि एक तरफ ऐसी ही स्थिति आयी जब माननीय चन्द्रजीत यादव जी यहां खड़े हुए थे तो सरकारी पक्ष की तरफ से उनको एक दिन के लिये इंगित करने का प्रस्ताव आया और आज माननीय नरसिंहनारायण और माननीय मैनेजर-सिंह के लिये १, १ महीने का प्रस्ताव आया। आप सोचें ऐसे राष्ट्रीय संकट के अवसर पर अगर यह स्थिति पैदा रहेगी तो मैं समझता हूं अच्छा नहीं रहेगा। आप मुख्य मन्त्री जी को सोचने का अवसर प्रदान करें और मेरा प्रस्ताव है कि सब नेतागण. . . . .

श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)--

हम मेहरबानी नहीं चाहते।

## १९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान--

## अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत

श्री अध्यक्ष--

अब अनुदान संख्या ४८ पेश होगी जिस पर विवाद नहीं होता है।

नियोजन मंत्री (श्री हरगोविन्दसिंह)--

श्रीमन्, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,२८,४०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

श्री अध्यक्ष--

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४८--औद्योगिक विकास पर पूंजीगत लागत के अन्तर्गत ४,२८,४०,९०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, एक व्यवस्था का प्रश्न है। अभी यहां सदन के सामने आपने बयान में बताया कि इधर के लोग भी आपसे नाराज हैं और उधर के भी। तो इसका मतलब यह है कि दोनों तरफ के लोगों का आप में कानफीडेंस नहीं है। अतः मैं व्यवस्था चाहता हूं कि क्या आप उस कुर्सी पर आसीन रह सकते हैं जब दोनों पक्ष आपके खिलाफ हैं?

श्री अध्यक्ष--

जो समझदार हैं वह दोनों तरफ के खुश हैं।

## अनुदान संख्या ४६--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय

श्री अध्यक्ष--

अब अनुदान संख्या ४६ उपस्थित की जायगी।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)--

अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदय की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि वित्तीय वर्ष १९६३-६४ के लिये अनुदान संख्या ४६--राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के अन्तर्गत ७,०९,३२,१०० रुपये की मांग स्वीकार की जाय।

# गोरखपुर जिले में महाराजगंज स्थित गणेशशंकर विद्यार्थी स्मारक इन्टर कालेज में १५ मार्च, १९६३ को घटी घटना के सम्बन्ध में नियम ५२ के अन्तर्गत वक्तव्य

**श्री काशीनाथ मिश्र (जिला बलिया)—**

श्रीमन्, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। अभी जो सारा कार्य हुआ है उसमें ऐसी कठिनाई हुई है जिसकी वजह से आप अध्यक्ष नहीं हैं। आप प्रक्रिया नियमावली को जरा देखें।

**श्री अध्यक्ष—**

मैं इसको ओवर रूल करता हूं।

**श्री काशीनाथ मिश्र—**

आप सुन लें नियमावली की धारा २९९ है।

**श्री अध्यक्ष—**

मैं उसे जानता हूं। आप बैठ जायं। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। जैसा कि माननीय सदस्य जिक्र कर रहे हैं उस नियम का इस प्रसंग से कोई संबंध नहीं है। अतः मैं ओवररूल करता हूं। अब हम उठते हैं और २ बजे फिर बैठेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बजे अधिष्ठाता, श्री नरेन्द्रसिंह विष्ट के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

**श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—**

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। आप कृपा करके मेरे निवेदन को २ मिनट में सुनने का कष्ट करें। मेरा निवेदन यह है कि जब आप प्रातःकाल यहां पर आसीन नहीं थे, माननीय अध्यक्ष आसीन थे, उस समय गृह उप मंत्री ने मुख्य मंत्री जी की तरफ से एक तरफा एक बयान दिया था। उस समय कुछ माननीय सदस्य उस पर प्रश्न करना चाहते थे। माननीय अध्यक्ष महोदय ने उसके लिये अपनी आज्ञा नहीं दी। उसके बाद व्यवस्था यह भी हुई कि माननीय मैनेजरसिंह के निष्कासन के प्रश्न पर प्रस्ताव भी नहीं आया और उस पर मत भी नहीं लिया गया और उनको निकाल दिया गया। इस तरह से प्रक्रिया नियमावली, भारतीय संविधान और जनतंत्र सब की हत्या आज माननीय अध्यक्ष के हाथों हो गयी है। आज राष्ट्रीय सुरक्षा का अनुदान है। मुल्क की सुरक्षा और धरती की आजादी के लिये आज वह बजट पेश करना चाहते हैं। लेकिन भारत की सुरक्षा और प्रदेश की सुरक्षा पर बातचीत होने के समय भारतीय जनतंत्र की हत्या कैसे की जा सकती है उसका पर्दाफाश आज इस सदन में माननीय अध्यक्ष के कार्यों से हुआ है।

**श्री अधिष्ठाता—**

बहुत लम्बा भाषण नहीं होना चाहिये। केवल २ मिनट में आप खत्म करेंगे।

**श्री उग्रसेन—**

ठीक है, अभी २ मिनट पूरे नहीं हुए हैं, श्रीमन्, मैं आपके द्वारा सारे सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि हम लोगों को इस तरह से दबा करके सदन से निकाल करके, पुलिस के कंधों पर लदवा कर फेंकने से सदन का काम कैसे चलेगा और कैसे देश की रक्षा होगी यह माननीय अध्यक्ष जी ने नहीं बतलाया। माननीय मुख्य मंत्री ने एक तरफा सीजफायर किया। उसके विरोध में हम अपने दल के साथ आज दिन भर के लिये इस सदन का परित्याग करते हैं और यह आपसे निवेदन करते हैं कि माननीय अध्यक्ष तक आप हमारा यह संदेश पहुंचा दें कि इस तरह से वे सदन नहीं चला सकते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

आपको इसका अधिकार है।

(श्री उग्रसेन ने संयुक्त समाजवादी दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया ।)

श्री नेकराम शर्मा—

श्रीमन्, आज जो मुख्य मंत्री जी ने १ महीने के लिये माननीय सदस्यों को निलम्बित करवा दिया, वह अवधि अधिक है, क्योंकि पहली बार १ या २ दिन के लिये निलम्बित किया जाना चाहिये । इसके विरोध में हम लोग वाक आउट करते हैं ।

(श्री नेकराम शर्मा ने निर्दलीय सदस्यों सहित सदन का परित्याग किया ।)

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

मैं २ मिनट में कुछ कहना चाहता हूं । इससे पहले जो घटना हुई है उससे सदन का वातावरण सचमुच बहुत विषाक्त हो गया । जो घटना हुई उसकी प्रतिक्रिया माननीय मुख्य मंत्री महोदय पर ऐसी हुई कि एक साधारण बात पर भी १ महीने के निलम्बन का प्रस्ताव उन्होंने कर दिया । तो ऐसा वातावरण हुआ जिससे हम सब बड़े दुखी हुये हैं। पहले भी और अब भी । हम ऐसी आशा करेंगे कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय स्वयं जो निलम्बन का प्रस्ताव उन्होंने रखा था उस पर पुनर्विचार करेंगे और उसे कम कर देंगे । हम सब बड़े क्षुब्ध है। सदन की जो मर्यादा है उसको हमने सुरक्षित रखने का पूरा प्रयास सदा किया है और करते रहेंगे यह जनसंघ दल की इच्छा है और मेरा अनुरोध है, करबद्ध प्रार्थना है, कि मुख्य मंत्री महोदय इस पर पुनः विचार करें ।

## १९६३-६४ के आय-व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान—

## अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय—(क्रमागत)

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मुख्य मंत्री अपना भाषण दें ।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, मैं विरोधी दल के नेता का विरोध करता हूं और मुख्य मंत्री जी से कहता हूं कि जो प्रस्ताव सदन ने पास कर दिया है कि वह जो सदस्य १ महीने के लिये सदन की सेवा से वंचित कर दिये जायं वह कायम रहे ।

श्री अधिष्ठाता—

वह प्रस्ताव इस समय सदन के सामने नहीं है इसलिये मैं कोई राय नहीं ले रहा हूं ।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

अधिष्ठाता महोदय, जो अनुदान मैंने इस सदन के विचारार्थ और उसकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया है वह अनुदान आज की परिस्थिति में कितने महत्व का है उस पर मुझे इस अवसर पर अधिक रोशनी डालने की आवश्यकता नहीं है। चीन के हमले ने अपने प्रदेश में और सारे देश में क्या क्या परिस्थितियां पैदा की इस सदन के सदस्य उन परिस्थितियों से भली-भांति परिचित है। हमने जो वातावरण इस सदन में और इस सदन के बाहर सारे प्रदेश में और देश में पैदा किया वह वातावरण कभी भुलाया नहीं जा सकता । उससे नई आबोहवा देश में पैदा हुई और जिसने सब को जाग्रत किया, सचेत किया, वह अपने इस जमाने के इतिहास की एक सुनहरी कहानी रहेगी और वातावरण को बनाने में देश के प्रत्येक वर्ग ने, देश के प्रत्येक दल ने सहयोग प्रदान किया । अपने प्रदेश में भी उन साथियों के प्रति मैं कृतज्ञता प्रकट करता हूं , आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने देश की संकट की घड़ी में एकता की भावना लाने में हमारी सहायता की और देश में उमंग और उत्साह , चीन के मुकाबले में पैदा किया । चीन के हमले ने जो परिस्थिति

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

पैदा की, हमने उसका मुकाबला करने के लिये केन्द्रीय सरकार के आदेश से और स्वतः इस सदन की भावना को अच्छी तरह से समझते हुए अपना ध्यान उन कार्यवाहियों की तरफ दिया जिनके द्वारा हमले का मुकाबला हो सकता हो, जिनके द्वारा डैमोक्रेसी में, गणतंत्र में वे बातें पैदा की जा सकती हैं कि जिनसे जनता का मनोबल ऊंचा उठे और देश का और प्रदेश का प्रत्येक नागरिक अपने कंधों पर जिम्मेदारी ओढ़ने की क्षमता पैदा कर ले जिनसे लड़ाई के अवसर पर दूसरी पंक्ति में रहते हुए भी, प्रदेश का नागरिक लड़ाई का वातावरण कायम रखते हुए हमारे बीच में विजय ला सके और देशवासियों के अन्दर वह भावना पैदा कर सके जिससे हर एक इस लड़ाई के अवसर पर विभिन्न स्थानों पर रहते हुए अपना योगदान दे सकें। ज्योंही लड़ाई की सूचना हमारे पास आई त्योंही हमारे अधिकारियों का ध्यान, हमारे सार्वजनिक नेताओं का ध्यान उन तमाम चीजों की तरफ गया जिनसे कि हम नई चेतना सारे प्रदेश में पैदा कर सकते थे।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने जो कहा मुख्य मंत्री जी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं अपनी आत्मा के विरुद्ध बैठ नहीं सकता हूं, इसलिये मैं अपने दल सहित ५ मिनट के लिये सदन का परित्याग करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

(जनसंघ के सदस्य सदन त्याग कर चले गये।)

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मुझे दुःख है कि आज के महत्वपूर्ण विषय के ऊपर बिचार करने के लिये सदन में जिन साथियों को उपस्थित रहना चाहिये वे नहीं हैं। यह हमारा दुर्भाग्य है और प्रदेश का अभाग्य है, परन्तु मुझे भी इस प्रदेश के एक नागरिक के नाते और मुख्य मंत्री के नाते अपने उत्तर-दायित्व को निभाना पड़ता है और इस बात की भरसक चेष्टा करनी पड़ती है कि सदन की परम्परायें और मर्यादायें सुरक्षित रखी जायं और कोई भी कार्य ऐसा न किया जाय जिससे हमारे प्रदेश के नाम पर धब्बा लगे और जिससे हमारे बारे में अन्य प्रदेशों के नागरिक उलाहना दें। जो चर्चा की गई उसका मैंने इसलिये जिक्र नहीं किया कि मैं इस अनुदान के विषय में अपने विचार प्रकट कर रहा था। लेकिन मुझे कहना पड़ रहा है। मैं यह कह रहा था कि हम सब ने उस वातावरण को बनाने का प्रयास किया और आज जो यह अनुदान प्रस्तुत कर रहा हूं वह भी उसी वातावरण को बराबर कायम रखने के सिलसिले में है। अगर डेमोक्रेसी की लड़ाई किसी अधिनायकवादी देश से हो तो डेमोक्रेसी में यह नहीं कर सकते कि भारी फौज को तनख्वाह दे कर बहुत दिनों तक के लिये रख लें। डेमोक्रेसी में, अन्य देशों में लड़ाई के अवसर पर देश के नागरिकों ने अपने पैरों पर खड़े हो कर देश की सुरक्षा का कार्य किया है। हमें भी सुरक्षा कार्य को जारी रखने के लिये उन योजनाओं को चलाना पड़ा जिनके द्वारा अपनी सुरक्षा हम कर सकते हैं और जिनके द्वारा हम अपने उन बहादुर जवानों को मदद दे सकते हैं जो कि लड़ाई के मैदान में दुश्मन का मुकाबला करते हैं और अपनी जानों को खतरे में डालते हैं और देश की रक्षा के कार्य में जुटना चाहते हैं। हमारे वे सेना के बहादुर सिपाही जिनको मुख्तलिफ मोर्चों पर दुश्मन का मुकाबला करना पड़ा और जिन्हें दुनियां से फना भी होना पड़ा वह हमारी प्रशंसा के पात्र ही नहीं हैं वरन् उन्होंने जो त्याग और बलिदान देश की आजादी की रक्षा के लिये किया है वह भारतीय इतिहास में आजादी के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जायगा। मैं इस सदन की ओर से अपने उन तमाम बहादुर साथियों के प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और इस अवसर पर जब मैं इस अनुदान की स्वीकृति सदन से चाहता हूं, आज उनकी यादगार को ताजा रखने के लिये जो योजनाएं हम बना रहे हैं, और जो प्रोग्राम हम आने वाले वर्ष में चालू रखने के लिये इस अनुदान के अन्तर्गत पूरा करना चाहते हैं।

आज इस बात की आवश्यकता है कि इस प्रदेश का प्रत्येक नागरिक उस दिशा में सहयोग प्रदान करें और उन चीजों को तैयार करे जिनसे जब फिर से हमारे बीच में लड़ाई के बादल

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

गरजे हम अपनी अपनी जगह पर परिस्थितियों का मुकाबला कर सकें। हमने लड़ाई के बारे में केन्द्रीय सरकार से सलाह करके अपने यहां एक सिविल डिफेंस डाइरेक्टर की नियुक्ति की, हमने इस बात की भी कोशिश की कि उस सिविल डिफेंस डाइरेक्टर के तहत में वे अधिकारी रखे जायं जो कि सिविल डिफेंस को एक मार्ग दिखा सकते हैं और सिविल डिफेंस किस तरह से किया जाता है उसके लिये योजनाएं बनाकर कार्यान्वित करवा सकते हैं। हमने यह भी फैसला किया कि एक स्कूल हम लखनऊ में खोलें जहां अधिकारियों को सिविल डिफेंस के कार्य में शिक्षित करें और हमने इस बात का भी प्रयास किया पिछले महीनों में कि हम अपना प्रान्तीय रक्षक दल पुनर्जीवित करें और नये ढंग से नया रूप प्रदान करके गांव-गांव में इस तरह से चलें जिससे गांव में ऐसे वालंटियर तैयार हो जायं जो कि दूसरी पंक्ति के लिये अपने बीच में लड़ाई के लिये वालंटियर आदि इकट्ठा कर सकें, जो गावों में सुरक्षा का कार्य कर सकें, जो गावों में जनता के मनोबल को ऊंचा करके जनता को बराबर शिक्षित करते रहें और जो किसान कार्य करते हैं खेतों के ऊपर उस कार्य के बढ़ाने में भी सहायता देता रहें, अपने तजुर्बों को उन लोगों को देते रहें।

कौन नहीं जानता कि जब लड़ाई आती है तो बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर आती है। महज फौज ही लड़ाई के भार को नहीं सम्हालती वरन फौज के अलावा जैसा मैंने कहा एक दूसरी पंक्ति की आवश्यकता होती है। लड़ाई के जमाने में दुश्मन कहीं हमारे पुलों को तोड़ने की चेष्टा करता है, कहीं हमारे पावर हाउसेज के ऊपर हमला करना चाहता है, कहीं हमारे कल कारखानों और आर्डिनेंस फैक्ट्रीज को नष्ट करना चाहता है और कहीं बांधों को तोड़ना चाहता है। ऐसे समय में ऐसे आदमियों की आवश्यकता होती है जो कि पुलिस का कार्य भी अपने कन्धों पर ओढ़ सकें। वैसे लड़ाई के जमाने में पुलिस इन चीजों की देखभाल करती है। लेकिन पुलिस की संख्या की भी सीमायें हैं। इसलिये हमारा ध्यान इससे सी० आर० डी० को पुनर्जीवित करने की तरफ गया और हमारा ध्यान अपने सैनिक बल को लोगों के अन्दर बढ़ाने के लिये गया। विभिन्न स्थानों पर हमने राफफल क्लब्स इत्यादि की स्थापना करा के लोगों में जोश पैदा किये, एक उमंग पैदा की कि जिससे जिसे जहां-जहां साधन मिल सके वहां वह सैनिक शिक्षा ग्रहण कर सके, बन्दूक चलाना सीख सकें। हमने अपने थानों को और थानों के अन्तर्गत कार्य करने वाले अधिकारियों को इस कार्य के लिये इस्तेमाल किया। विभिन्न स्थानों पर हमने राइफल रेंजेज कायम कराया और बहुत से स्थानों पर शहरों में और देहातों में कैम्प्स की रचना करके एक ध्यान अपने राष्ट्र और अपने प्रदेश के निवासियों का उस दिशा में खींचा कि जिस दिशा में लड़ाई के अवसर पर प्रत्येक नागरिक का ध्यान जाना चाहिये। अपने प्रदेश ने, अपने देश ने अपनी राजनीति के बीच में एक नया मोड़ लिया। हमारा देश एक अविकसित देश रहा है और अविकसित देश के रहते हुए उसका ध्यान बराबर अपने विकास के कार्यों की तरफ आज तक रहा है और ऐसा होना भी चाहिए था क्योंकि कोई भी अविकसित देश यदि अपने समय, अपने धन अपने साधन लड़ाई के कार्यों में ही पहले से जुटा दे तो वह तरक्की नहीं कर सकता, वह अपने बीच में उस व्यवस्था को स्थापित नहीं कर सकता जिस व्यवस्था के लाने की प्रत्येक के हृदय में उत्सुकता रही है। इसलिये बराबर हमारे देश का ध्यान संसार में शान्ति की व्यवस्था लाने की दिशा में रहा, अपने देश में शांति की व्यवस्था बनाये रखने की तरफ रहा और दुनिया में उस सन्देश को ले जाने की तरफ रहा जो सन्देश इस युग में बराबर हमारी संस्कृति से जुड़ा भी रहा है और जिसको ले जाकर कदाचित हम मानवता की सेवा कर सकते थे क्योंकि यह हमारे देश का विश्वास रहा है, हमारे देश के नेता का विश्वास रहा है कि संसार को तीसरी लड़ाई से बचाना चाहिये, उस ग्लोबल वार से बचाना चाहिये जो न्यूक्लियर वार में परिणत हो सकती है क्योंकि विज्ञान ने बहुत सी चीजें हमको दी हैं, और ऐसी चीजें दी हैं जो मानवता को खत्म कर सकती हैं जो सभ्यता को खत्म कर सकती हैं और जो संस्कृति को खत्म कर सकती हैं। हमारे लिये यह स्वाभाविक था कि हम संसार को उस दिशा में चलने से बचावें और इस बात से संसार के देशों

मे हमारा सम्मान, मान और मर्यादा बढ़ी। कोई यह नहीं कह सकता कि पिछले १४, १५ वर्षों में इस देश का सम्मान नहीं बढ़ा, इस देश का आदर नहीं बढ़ा और इस देश की ख्याति ऊंचे नहीं उठी अपनी उन नीतियों के कारण जिन नीतियों को इस देश ने दुनिया के अन्य देशों में प्रतिपादित किया। इस देश का पंचशील और सह-अस्तित्व का विश्वास वह विश्वास था जिसने दुनियां के देशों को प्रभावित किया, परन्तु इस पड़ोसी चीन के हमले ने हमारे जीवन को एक ऐसा मोड़ दिया है कि हम जो शान्ति के पुजारी थे, जो हम अहिन्सा के पुजारी थे उनको भी इस बात के लिये, इस बिचार के लिये बाध्य होना पड़ा कि जो संसार में अहिन्सा और शान्ति का सन्देश फैलाता है वह लड़ाई के लिये भी तैयार रहे और उस देश को उन प्रवृतियों का मुकाबला करने के लिये तैयार होना चाहिये जो प्रवृत्तियां अधिनायकवाद को लाने की चेष्टा करना चाहती है, जो प्रवृत्तियां गणतंत्र की भावना को खत्म करना चाहती हैं, जो प्रवृतियां हमारे बीच से पंचशील की भावना को खत्म करना चाहती हैं।

इसलिये आज हमारे राष्ट्र के सामने यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि भले ही आज चीन हट गया है और भले ही चीन आज पहाड़ की चोटियों पर नहीं लड़ रहा है, परन्तु जो कुछ उसका मन्शा है और जो उसका चलन है वह हमको पुकार पुकार कर कह रहा है कि चीन के ऊपर कोई विश्वास नहीं किया जा सकता। चीन किसी वक्त भी हमारे ऊपर हमला कर सकता है और जब वह हमला कर सकता है तो फिर आज हमारा क्या कर्तव्य नहीं है कि हम उसके उस हमले के मुकाबले में खड़े न हों ? आज हमारे देश को बराबर उस तैयारी में जुटना है जिससे जनता का मनोबल ऊंचा रहे, जिससे जनता में वह शक्ति पैदा होती रहे कि जो शक्ति दुश्मन का मुकाबला कर सकती है और दुश्मन को परास्त करने में सहायता प्रदान कर सकती है और जिस एकता ने काश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश को एक सिद्ध किया उसने हमारे देशवासियों पर ही प्रभाव नहीं डाला है, बल्कि संसार के देशों को भी प्रभावित किया और जिसने दुश्मन को भी प्रभावित किया है। आज हम चाहते हैं कि जहां हम अपनी लड़ाई की तैयारी में जुटे रहें वहां इस बात की भी आवश्यकता है कि हमारी एकता निरन्तर बनी रहे और हमारे वे विचार हमारे बीच से न हटने पायें जिनसे कि हमने संसार के देशों को प्रभावित किया है और दुश्मन को भी प्रभावित किया है।

आज इस बात की आवश्यकता है कि जो मैंने अभी आपके समक्ष अनुदान पेश किया है, वह जितनी आवश्यकता है उसके अनुपात से बड़ा भारी वह अनुदान नहीं है परन्तु वह अनुदान जनता के सहयोग और खर्चों को सिद्ध करता है जिसका वर्णन बजट साहित्य के अन्दर किया गया है। मैं यह कह रहा था कि लड़ाई जैसे आई, हमारे देश की सरकार का ध्यान और प्रदेश की सरकार का ध्यान उस दिशा की तरफ गया कि जब अगर दुश्मन कोई हवाई हमला करे हमारे ऊपर करे तो हम उस हवाई हमले से किस तरह बचे। पहले कुछ आदेश आये जिसके अन्तर्गत ट्रेन्चेज मुख्तलिफ स्थानों पर खोदी गई। और बहुत से स्थानों पर नर्सिग इत्यादि की ट्रेनिंग का कार्य प्रारम्भ किया गया, बहुत से स्थानों पर लोगों को लड़ने का कार्य सिखाया गया और किस प्रकार राइफल का वह प्रयोग करें इसकी ट्रेनिंग दी गयी, पी० आर० डी० के० कैम्प्स खोले गये और उत्तरोत्तर लोगों को काफी संख्या में ट्रेनिंग देने की चेष्टा की गयी है। इस वर्ष जो अनुदान आपकी स्वीकृति के लिये प्रस्तुत किया गया है उसमें इस दिशा में काफी मात्रा में काम होगा। हमारी डेढ़ लाख होमगार्ड्स को तैयार करने की योजना है, पी० आर० डी० की योजना है इसमें, इसलिये कि गांव गांव में जनता का मनोबल ऊंचा हो और लोग इस दिशा में सोचने लगें कि जिस दिशा में सोच कर वे लड़ाई का वातावरण अपने बीच में कायम रख सकें। अगले वर्ष काफी मात्रा में नर्सेज की ट्रेनिंग का प्रबन्ध होगा, काफी मात्रा में दवाइयों को स्टोर करने की व्यवस्था की गयी है क्योंकि लड़ाई के अवसर पर उनकी काफी मात्रा में आवश्यकता होती है। ब्लड बैन्क जिन स्थानों पर खोले जा सकते हैं उनकी वहां व्यवस्था की गयी है। कल हमारे साथियों ने पुलिस बजट पर बोलते समय कहा था कि हमारे प्रदेश की पुलिस आवश्यकता के अनुपात से बहुत कम

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

है । इस अनुदान में ५० लाख रुपया होमगार्ड्स के लिये और सवा करोड़ रुपया पी० आर० डी० पर खर्च करने के लिये रखा गया है। इसमें लोगों को शिक्षित भी किया जायगा। नर्सेज की ट्रेनिंग और दवाइयों के स्टोरेज के लिये भी एक करोड़ या सवा करोड़ रुपये की व्यवस्था इस अनुदान में है।

इसके अतिरिक्त हमारे ३५ ग्रेडेड टाउन्स हैं जहां अधिकारी नियुक्त किये गये है लोगों को शिक्षा प्रदान करने के लिये और उन स्थानों पर स्थिति का मुकाबला करने के लिये लोगों को शिक्षा प्रदान करने का कार्य करेंगे ताकि लोग तैयार रह सकें और अपने में क्षमता पैदा कर सकें। लड़ाई के अवसर पर जैसा मैंने कहा था, दुश्मन आग लगा देता है, उससे लड़ने के लिये और उसके ऐपरेट्स बढ़ाने का भी प्रबन्ध किया गया है। इसके अतिरिक्त लोगों को विभिन्न राइफल क्लब्स के अन्तर्गत ट्रेनिंग देने की व्यवस्था को गयी है। यह हमारा दुर्भाग्य रहा कि पिछले महीनों में जब हमें अधिक राइफल्स की आवश्यकता थी, हम अपनी आवश्यकता के मुताबिक राइफलें नहीं पा सके। केंद्रीय सरकार प्रदेशों को राइफलें नहीं दे पायी इसलिये कि पहले उसको फौज के लिये उनका प्रबन्ध करना था और अन्य चीजों का प्रबन्ध करना था जिनकी कि फौज को जरूरत पड़ती है। इसलिये फौज की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गयी। परन्तु हमारा विश्वास है कि अगले कुछ महीनों में कुछ राइफिल्स प्रत्येक प्रदेश को प्रदान की जायेंगी। उसकी सहायता से और सहयोग से हम आगे आने वाले महीनों में काफी संख्या में लोगों को राइफिल्स की शिक्षा प्राप्त कराने का प्रबन्ध कर सकेंगे। इस जमाने में जनता ने जिस प्रकार की उमंग और उत्साह का परिचय दिया है, वह भी आशातीत रही है। गरीब से गरीब व्यक्ति ने भी चन्दा देकर इस बात को देशवासियों के समक्ष प्रस्तुत किया है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को अच्छी तरह से एहसास करता है। देश की आजादी की रक्षा के लिये प्रत्येक कुर्बानी करने के लिये तैयार है। हम प्रदेश की वह गरीब जनता बधाई की पात्र है। इसलिये भी और अधिक बधाई की पात्र है कि वह आज खुशी से उन भारी बोझों को अपने ऊपर उठाने के लिये अपने अन्दर क्षमता पैदा कर रही है जो कि इस लड़ाई के अवसर पर हमारे बीच में आने वाले हैं।

इस विषय में यह मैं निवेदन करना चाहता हूं कि एक आधे अफसरों और कर्मचारियों की किसी गलती को ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा न की जाय कि इस प्रदेश के निवासी कोई उमंग ही न रखें। मैंने कुछ कटौती के प्रस्ताव देखे हैं। इसलिये मैं यह माननीय सदस्यों से कहना चाहता हूं कि यह कहना कि उत्तर प्रदेश से भी और प्रदेशों की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में ही चन्दा और रुपया आना चाहिये था, और दूसरे प्रदेश वाले अधिक रुपया दे रहे हैं और खुशी से दे रहे हैं, यह कहां तक उचित होगा। बराबर इस बात की मिथ्या आलोचना की जाय कि यहां पर जबरिया चन्दा लिया जा रहा है, और गरीब जनता जिसको कि किसी अमुक व्यक्ति या अधिकारी के विरुद्ध शिकायत हो, उसका जनरलाइजेशन अनुचित ही नहीं होगा, वरन् प्रदेश की शान के खिलाफ होगा और जनता के मनोबल को गिराने वाला होगा। इसलिये जिन साथियों ने आलोचना करते हुए कट मोशन इस विषय में रखे है, मेरी उनसे प्रार्थना है कि वे एक अधिकारी, दो अधिकारी, तीन अधिकारी या कर्मचारियों को गलतियों, को सारे प्रदेश के कर्मचारियों और अधिकारियों की गलती बताकर, ऐसा सिद्ध करने की चेष्टा न करें कि इस प्रदेश में निवासियों में कोई उत्साह और उमंग नहीं है। यह उचित नहीं होगा। यह कहना कि जनता आज की परिस्थितियों में दुश्मन का मुकाबला करने के लिये हर तरह की कुर्बानी करने के लिये उद्यत नहीं है, यह सत्य से परे है।

आज सौभाग्य से इस प्रदेश का ही नेता, और सबसे बड़े नेता आज हमारे देश की सरकार का नेता है। वह आज उस वातावरण को बनाने का अगुवा है, जिसको बनाकर हम चीन का मुकाबला कर सकते है। अक्सर ऐसी बातें कही गई हैं और कट मोशन में भी कही गई हैं कि अब तो इमरजेंसी की कोई आवश्यकता ही नहीं है और वह हट जानी चाहिये, तो यह

आपका भ्रम है। हमारे साथी माननीय उग्रसेन जी नहीं है, जिन्होंने कि इस तरह की कटौती रखी है और जो कदाचित् इस विषय पर बोलते। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं और उनके पास तब बाहर अपनी आवाज पहुंचाना चहता हूं कि इस प्रकार का वातावरण आज की परिस्थति में उत्पन्न करना, देश के साथ खिलवाड़ करना है, और देश के साथ मजाक करना है। आप देखें कि चीन आज भी कई स्थानों पर डटा हुआ है। उसने वह परिस्थितियां पैदा कर दी हैं कि जिन परिस्थितियों में, जहां हमारी फौजें हैं, वहां से हम उनको हटा नहीं सकते हैं और बराबर हमको सतर्क रहना पड़ता है, तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कहां इमरजेंसी हटी है ? चीन हमारे सिर पर बैठा है और जैसा कि आप लोगों को अखबारों के द्वारा भी विदित हुआ होगा कि चीन बराबर इंडियन बार्डर पर अपनी फौजों को इकट्ठा कर रहा है और जो नीतियां चीन ने इन महीनों में बरती हैं, क्या वह हमें इस बात का अनुभव नहीं देती हैं कि जो व्यक्ति चीन में विश्वास रखते थे वह चिल्ला कर कहते हैं कि हम चीनियों में विश्वास नहीं रखते हैं कि और वह व्यक्ति जो कि चीन की विस्तारवादी विचारधारा से तो नहीं, लेकिन उस विचारधारा से जिसका चीन प्रतीक है अपने को संबद्ध करते थे वह उसकी उन नीतियों का समर्थन नहीं करते, बल्कि विरोध करते हैं। तो आज जब कि सब डिस्अल्यूजंड़ हो गये हैं तो क्या हमारे अन्दर ऐसा अल्यूजन पैदा होना चाहिये कि चीन अपनी हरकतों से बाज आ जायगा ? जब वह बाज आने का नहीं तो क्या हमारा पुनीत कर्तव्य नहीं होना चाहिये कि हम अपने बीच में उस वातावरण को बनाये रखें और जनता को उन बातों की आगाही से दूर न होने दें और उस जोश और उमंग से जनता को हटने न दें ? जैसा कि विगत तीन महीनों में सबने एकता का परिचय दिया और सभी दलों ने एक भावना से प्रेरित होकर कार्य किया, तो अब भी अपनी ओर से कोई ऐसा कार्य नहीं होना चाहिये जो कि अन्य प्रदेशों के निवासियों को यह प्रदर्शित करें कि हम अपने नियत मार्ग से पीछे हट रहे हैं।

अब मैं इतना ही कह कर बैठूंगा कि यह अनुदान एक आवश्यक अनुदान है और वह उस फिजा को बनाने वाला है जिसकी बुनियाद पर प्रदेश के नागरिकों का मनोबल ऊंचा रहेगा और प्रत्येक नागरिक में देशभक्ति की ऐसी भावना जाग्रत होगी कि वह देश की इज्जत के लिये मरने मिटने के लिये उद्यत रहेगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह सदन मेरी बातों से सहमत होते हुए इस अनुदान को स्वीकृति प्रदान करेगा और बराबर उस वातावरण को बनाये रखने के लिये कदम उठायेगा जिससे दुश्मन भी यह अनुभव कर सके कि अब भारत, और खास कर उत्तर प्रदेश के निवासी जिसकी सीमाओं पर चीनी बैठे हुए हैं, ऐसे गये गुजरे नहीं हैं, हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे, भले ही आज हम कमजोर हैं, हमारे पास आधुनिक साधन नहीं हैं, परन्तु हमने अंग्रेजों का भी मुकाबला किया था, उस वक्त भी हमारे पास कोई आधुनिक अस्त्र-शस्त्र नहीं थे। तो आज इस देश का निवासी अपने देश और गणतंत्र की रक्षा करने के लिये परम्पराओं की रक्षा करने के लिये अपने को न्योछावर कर सकता है और संसार से अपने को फना कर सकता है, इस उद्देश्य को सामने रखकर हमें इस अनुदान पर विचार करना है तभी हम जीवन में संतुलन लाकर प्रदेश की आंतरिक स्थिति का सुधार करने में समर्थ हो सकेंगे।

इन चन्द शब्दों के साथ मैं इस अनुदान को प्रस्तुत करता हूं।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से यह कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं कि अनुदान संख्या ४६—राष्ट्रीय संकट से संबद्ध व्यय के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय—कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है। श्रीमन्, इसमें दो मत नहीं है कि इस वक्त बड़ा भयंकर राष्ट्रीय संकट सामने उत्पन्न हो गया है। जो हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने अनुदान सामने रखा, है उसको आज के संकट को देखते हुये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

हम अपरियाप्त समझते हैं, परन्तु जब रुपये का प्रश्न आता है तो मन में एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या रुपये की भी इतनी आवश्यकता होती है ? उसका जवाब है हां, यदि उस रुपये का सदुपयोग हो । अगर उसका गलत उपयोग होता है तो उससे लाभ होने के बजाय हानि भी हो सकती है । इन बातों को कहने का मेरा मतलब यह है कि आप रुपया तो लें, मगर उस रुपये का सदुपयोग हो । इस संबंध में मैं कुछ विचार रखूंगा और जो मेरे सुझाव हैं, उस पर मैं समझता हूं सरकार विचार करेगी ।

श्रीमन्, यह संकट आज का नहीं है, बल्कि १५ वर्षों से यह संकट चला आ रहा है और हम समझते हैं कि जो परिस्थितियां आज हैं उनके रहते हुये पता नहीं यह संकट कब तक चलेगा क्योंकि आज दो जीवन धाराओं में, दो विचारधाराओं में संघर्ष और इस ओर हमने कभी ध्यान नहीं दिया । हम १५ वर्षों से सोते रहे । कहीं पंचशील का पाठ पढ़ाते रहे, कहीं शांति की बात करते रहे, कहीं एफ्रो-एशियन सालिडरिटी की कोशिश करते रहे, कहीं कांगों और कोरिया में अपनी टांग अड़ाते रहे, सुरक्षा की ओर हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया । शांति की रक्षा के बल से होती है । जो फासिज्म की भावना पुराने समय से बढ़ी, उसको रोकने की ओर भी हमने प्रयास नहीं किया । आज यह सब उसी का परिणाम है । यह समस्या प्रदेश और केन्द्र दोनों की समस्या है, मिली जुली समस्या है । हमने ऐसे मंत्री के साथ में सुरक्षा का कार्य दिया जिसकी उससे कोई दिलचस्पी नहीं थी, जिसका कहना था--आई हैव ग्रेट एफेक्शन ऐन्ड ऐड-मिरेशन फार चाऊ एन लाइ--जिसका संबंध अधिकतर दुश्मन से था । इसी के कारण ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गयीं कि फौज तक में राजनीति घुस गयी । क्या कारण है कि आज हमारी सेना यूनिलेट्रल सीज फायर पर मुंह लटकाये चली आयी, और वह सेना जो अपनी बहादुरी के लिये प्रसिद्ध थी ? आज हमारा हृदय उबलता है और हम सोचते हैं कि किस प्रकार से हम उनमें वह मर्यादा पैदा करें, कैसे देश के बच्चे बच्चे में उत्साह पैदा करें, ताकि एक एक इंच भूमि के लिये वे मर मिटें और उसे अपने अधिकार में कर लें । हम सदन में या बाहर भले ही आलोचना कर लें कि हम उनके मुकाबले दो नम्बर पर हैं, मगर हम यह सोचने के लिये भी तैयार नहीं हैं कि हम उनसे कमजोर हैं । जब हम पंचशील की बात कर रहे थे, शांति का पाठ पढ़ा रहे थे, दुश्मन अपनी फौजी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ था, जो दुनियां में बराबर लड़ाई लड़ता रहा है, वह उनमें वही लड़ाई की भावना भरने में लगा हुआ था । हमने कभी इस ओर ध्यान नहीं दिया ।

मैं पुरानी बातों की तरफ नहीं जाता, पर इतना कहना चाहता हूं कि ऐसी परिस्थिति में हमारे प्रदेश का कर्तव्य है, ७ करोड़ की जनता यहां की है, मेरी सरकार के लिये यह आवश्यक है, कि हम २१ वर्ष तक की उम्र वालों के लिये अनिवार्य सैनिक शिक्षा कर दें चाहे वह शहर के हों, या देहात के, ताकि आवश्यकता पड़ने पर हम १० लाख जवान लड़ाई के लिये दे सकें । आज दुश्मन का अभिमान इस रीति से चूर-चूर हो सकता है कि आज हमारे प्रदेश में इतने लड़ने वाले उपस्थित हैं । अगर हमारे विद्यालयों में सैनिक शिक्षा अनिवार्य कर दी जायगी तो हमारा विद्यार्थी अनुशासनहीनता के लांछन से भी दूर हो जायगा जो कि उसके ऊपर आज लगाया जाता है, जैसा कि अमरीका और इंगलैंड में है ।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने पी० आर० डी० और होम गार्ड्स का जिक्र किया । उसमें एक चलता हुआ मेरा सुझाव है कि उसे प्रांतीय नाम न देकर जनसेवा का नाम दें । यह समस्या सारे देश की है ।

आज हमारी सरकार ने शिक्षा के विषय में क्या किया है इन १५ वर्षों में ? क्या इस शिक्षा से हमारे बच्चों में यह भावना उठी कि हम देश के लिये मर मिटें ? १९४७ के बाद सरकार ने कौन सा परिवर्तन शिक्षा में ऐसा किया है ? शिक्षा में भारत के अतीत गौरव, महा-पुरुषों और महावीरों का ज्ञान कराना चाहिए ये हमारी प्रजातंत्र प्रणाली में रूल आफ ला होगा

जिसमें सब सुख से रहेंगे प्रजातंत्र च्वाइस आफ दी पीपुल है, ऐसी भावना हमारे बच्चों में आनी चाहिये । क्या इसका पाठ हमारे विद्यालयों में दिया गया ? कदापि नहीं । दुर्लक्ष्य तो इस प्रकार से किया गया कि एक बात याद दिलाऊं । मैसूर में एक किताब निकली जो कि बड़ी हंसी की है । उसे पढ़कर हृदय में दुख होता है । एक व्यक्ति ने एक जगह लिखा था कि दर्जा ७ में पढ़ायी जा रही है कि एक पुस्तक जिसमें लिखा है कि हमारे हिमालय पर हमारा परम मित्र बन्धु हाथ फैलाये हुए चीन खड़ा है हमारे आलिंगन के लिये । मेरी सरकार को ज्ञान होना चाहिये कि यह शिक्षा देती है । अभी हाल में अखबार में मैंने पढ़ा .....

एक सदस्य—

यह कौनसी किताब है ?

श्री माधो प्रसाद त्रिपाठी—

मैं आपको दे दूंगा । सरकार तक पहुंच गई है ।

अभी अखबार में निकला कि मैसूर सरकार की एक किताब सामने आई जिसमें लिखा था कि शेख अब्दुल्ला शेरे काश्मीर हैं और राष्ट्र भक्त है । तो मेरी सरकार सोचे कि जो शिक्षा हमारे विद्यालयों में वह दे रही है उससे भारत के लिये मर मिटने की भावना हमारे नौजवानों में उत्पन्न हो सकती है या नहीं ।

१५ वर्षों में जो अफसर ऐडमिनिस्ट्रेशन की कड़ी में आये उनके हृदय में सेवा की भावना उत्पन्न नहीं हुई । हम उन्हें यही पढ़ाते रहे कि चीनी हिन्दी भाई भाई । पिछले १५ सालों में हमारी सरकार को सूझ नहीं आई । १९५० से लेकर आज तक चीनी हिन्दी भाई भाई की शिक्षा देते रहे । इन बातों के कहने से मेरा तात्पर्य यह है कि मेरी सरकार शिक्षा प्रणाली में बदल लावे । हमारे जो ज्ञाता लोग हैं वे ऐसी पाठ्य पुस्तकें बनावें जिनसे हृदय में राष्ट्रीय चेतना जागृत हो । यह लड़ाई वर्षों तक लम्बी चलनेवाली है । चीन की नीयत और विस्तारवादी नीति देखिये । अपने तौर-तरीके से अपनी विचार-धारा से उल्टी उसकी विचारधारा देखिये । जिस किसी भी पहलू से आप देखेंगे आपका हृदय यही कहेगा कि यदि आपकी कथनी में सत्य है तो आपका उससे कोई मेल नहीं हो सकता है । हमें एक लांग रेंज पालिसी अपनानी चाहिये और उसमें कोई ढ़िलाई नहीं होनी चाहिये । हम समझते थे कि हिमालय को पार नहीं किया जा सकता, लेकिन वह हमारी गलतियों से पार दिया गया । हमको उसे पीस का पाठ नहीं पढ़ना चाहिये जिसने हमारे देश के टुकड़े कर दिये हैं । यह उसी का परिणाम है । हमें अपने बच्चों को ऐसे पाठ पढ़ाने चाहिये कि हमारी परम्पराएं क्या हैं, हमारी ग्लोरीज क्या हैं, हमारे ट्रेडीशन्स क्या रहे हैं, यहीं राम खेले थे, यहीं कृष्ण खेले थे, यहीं महात्मा गांधी थे, इत्यादि, इत्यादि, ताकि वे अपने मन से देश के लिये अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिये तैयार हो जावें । आज की पाठ्य पुस्तको से यह भावना बहुत दूर है । उनसे यह भावना नहीं पैदा होती है । इसलिये आज के साहित्य में तुरन्त बदलाव किया जाय ताकि राष्ट्रीय चेतना हमारे विद्यार्थियों में जागे ।

हमारे अफसर वहां से भाग आये । राष्ट्र के प्रति, देश के प्रति उनमें अपने कर्तव्य की भावना नहीं आई । जब से स्वतंत्रता प्राप्त हुई है तभी से उन्होंने सर्विस की होगी । उनमें राष्ट्रीय चेतना का अभाव है ।

बार्डर जिलों में जो हिल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें तो मैं नहीं गया हूं, लेकिन मैं भी बार्डर डिस्ट्रिक्ट में रहता हूं । मेरी जानकारी है कि बार्डर डिस्ट्रिक्ट्स में पंचमांगी बहुत हैं । वहां से हमारे चीनी भाई बहुत निकट हैं, नाना प्रकार का प्रोपैगंडा किया जाता है और प्रलोभन दिये जाते हैं । कहते हैं कि हमारी लिबरेशन आर्मी है । उन्हें सब रास्ते मालूम हैं । वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति ऊपर उठाना बहुत आवश्यक है । मैं यहां तक जाने के लिये तैयार हूं कि अगर उनकी आर्थिक स्थिति हम से भी ऊपर उठ जावे तो वह भी करना चाहिये ।

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

मैं जानता हूं कि वहां खेती आसानी से नहीं हो सकती है। पर मेरा सुझाव है कि एक इंडस्ट्रियल कमीशन की स्थापना की जाय जो वहां काटेज इंडस्ट्रीज चलाने मे बारे में सुझाव दे। उन्हें यह भी ज्ञान होना चाहिये कि हमारी विचारधारा क्या है और हमारी क्या परिस्थिति होगी। वह एक मार्शल रेस है। वहां हर घर में करीब एक आदमी सिपाही मिलता है, ऐसा कहते हैं और मेरी जानकारी भी है। इसलिये मेरा सुझाव है कि वहां के लोगों को मिलीटरी ट्रेनिंग और हथियार जितनी उदारता से दिया जा सकते हों दिये जाने चाहिये। हिट का युद्ध, गृह युद्ध, जिसे गुरिल्ला वारफेयर कहते हैं, वह ट्रेनिंग उनको दी जाय।

हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि जनता का पूरा सहयोग हमें प्राप्त होना चाहिये। इस विषय में भी मैं थोड़ा सा कहूंगा। पहली बात तो यह है कि जो चन्दा वसूल किया जा रहा है उसके लिये हमारे मुख्य मंत्री जी ने कहा कि उससे यह प्रकट होता है कि हमारे प्रदेश के लोगों में बड़ी राष्ट्रीय भावना है, देश भक्ति की भावना है। सत्य है, उनके मन में देश के प्रति लगन है, परन्तु मैं एक बात की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। आप यह न समझें कि हम आपकी कोशिशों में, योजनाओं में, कोई रोड़ा अटकाना चाहते हैं। पर हम सत्य कहते हैं कि यह आपकी भूल है कि हर जगह आपको उत्साह से चन्दा मिल रहा है। मैं चाहता हूं कि हर जगह हृदय से चंदा मिले। लेकिन वहां आप जाकर देखिये, तो १, २ या ३ की बात नहीं है। मैं तो कहता हूं कि इसका विपरीत परिणाम होता है, इस प्रकार से चन्दा वसूल करने से। मैं, श्रीमन्, अलीगंज, जिला इटावा का उदाहरण देता हूं। वहां के एस० डी० एम० ने ज्यादा चन्दा वसूल कर लिया और उसने कलेक्टर के सामने इस बात को तस्लीम भी कर लिया, लेकिन आज तक उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हुई।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने बस्ती जाकर मेरे ऊपर लांछन लगा दिया। चाहे जितनी भी अच्छी नीयत से कोई काम करे, लेकिन उसके ऊपर लांछन लगा दिया जाता है क्योंकि वह विरोधी दल का है। बनारस में अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा अध्यापकों से जबरदस्ती चन्दा वसूल किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी को नालेज में यह बात आयी, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इस प्रकार से जनता में मनोबल कायम नहीं हो सकता। न्यायालयों में चंदा वसूल किया जाता है, जमानत के समय लिया जाता है, लाइसेंस देने के समय लिया जाता है। अतः इस प्रकार जनता से जबरदस्ती रुपया वसूल न किया जाय, मुख्य मंत्री जी इस ओर ध्यान दें।

माननीय उग्रसेन जी ने कहा कि देवरिया में भी जबरदस्ती चन्दा वसूल किया गया। वहां पर अधिक दामों पर सोना खरीद कर धांधली की गयी। इस प्रकार की चीजें एक ही स्थान पर नहीं प्रदेश के बहुत से स्थानों पर हुई हैं। हम नहीं कहते कि इसमें माननीय मुख्य मंत्री अथवा सरकार का दोष है, लेकिन बहुत से सरकारी अफसर ऐसे हैं जो सरकार की बहुत ज्यादा वाहवाही लूटना चाहते हैं और रुपया वसूल करने में सख्ती करते हैं। यह नहीं कि सरकार को इन घटनाओं का पता न हो। अभी मुख्य मंत्री जी किसी जगह गये थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की बात न कहो, कहीं विरोधीदल वालों को मालूम न हो जाय नहीं तो झगड़ा मचायेंगे। इस प्रकार की बातें अखबार में निकली हैं। प्रधान मंत्री जी इसके विरुद्ध कह चुके हैं, फिर मेरी समझ में नहीं आता कि इसका प्रबंध क्यों नहीं किया जाता है। मेरी प्रार्थना है कि सरकार इस पर ध्यान दे।

यह सभी को मालूम है कि चीन बार्डर एरिया में किस प्रकार से सड़कें बना रहा है। रास्ते इतने सुगम कर दिये हैं कि अगर उसको हिन्दोस्तान पर अटैक करना पड़े तो वह वहां से कुमुक सीधी भेज सकता है। वैसे तो सरकार इस संबंध में प्रयास कर रही है, लेकिन और शीघ्रता इसमें होनी चाहिये।

इसके अतिरिक्त अगर हम जन साधारण का सहयोग प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें उनमें विश्वास जागृत करना चाहिये । इसके लिये दो तीन बातों की ओर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है ।

एक तो यह कि खाने पीने की चीजें बहुत महंगी हो रही है। जहां सके हो सके सरकार को उसे बढ़ने न देना चाहिये और काबू में रखना चाहिये और जनता को यह विश्वास होना चाहिये कि अगर कोई संकट आयेगा तो वैसी हालत न होगी जैसी कि पिछली लड़ाई में लोगों को मुसीबत उठानी पड़ी थी ।

इसके अतिरिक्त सरकार को यह भी देखना चाहिये कि जो आज्ञाएं सरकार देती है उनको ऐडमिनिस्ट्रेशन पालन करता है या नहीं । सरकार में अब भी करप्शन और नेगलिजेन्स है । पुरानी बात होते हुए भी मुझे मजबूरन इसको कहना पड़ रहा है । इसका कारण यह है कि जितनी पोस्ट खाली होती हैं उन पर पोलिटिकल नियुक्त होती हैं नतीजा यह है कि वे डिस-एप्वायंटेड हो जाते हैं, डिसकरेजमेंट फील करते हैं, डिमोरेलाइजेशन फील करते हैं । उनके मन में जो जनसेवा की भावना होनी चाहिये, अपने कर्त्तव्य के प्रति जो एक भावना होनी चाहिये, वह ढीली पड़ जाती है और अपने काम को वे अच्छी तरह से नहीं कर सकते ।

पांचवीं बात इंटर्नल है जिसको हम पंचमांगी कहते हैं । पंचमांगियों के संबंध में कोई भी कटुता की बात नहीं कहूंगा, केवल तथ्य ही सरकार व आपके सामने रखना चाहता हूं । सरकार में भी कुछ लोग इस तरह के हैं । पंचमांगी भी दो तरह के हैं, एक तो निराकार और दूसरे साकार । निराकार के अन्तर्गत तो यह है कि जनता के मन में इस तरह की भावना पैदा कर दी जाय कि देश के किसी काम के प्रति कोई उत्साह न हो । मैंने बहुत जगह पूछा है तो लोग यही कहते हैं कि कुछ भी हो जाय, हमारा क्या, हमारा संकट तो दूर न होगा । किसी के रहने या न रहने से हमारे ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, किसी भी परिस्थिति में रहें, हमें तो भोजन के लाले पड़ने ही हैं । मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि वह इस बात की तरफ ध्यान दे कि रोज अखबारों में जिस तरह की खबरें निकलती हैं उससे लोग हतोत्साह हो जाते हैं । देहातों में भी यह बात पहुंच गयी है कि कोलम्बो प्रपोजल के अनुसार अब लड़ाई नहीं होगी और अब लड़ाई के लिये चन्दा देने की भी कोई आवश्यकता नहीं है । तो इस परिस्थिति के ऊपर गंभीरता के साथ विचार करने की आवश्यकता है । मैं पूछता हूं कि सरकार की ओर से जनता में इसके प्रतिवाद के लिये प्रचार करने का क्या प्रयास किया गया ? मेरी समझ में तो नहीं आता कि कोई भी प्रयास किया गया है ।

दूसरे, जो सरकार पंचमांगी भाई हैं उनके बारे में क्या कहूं, जो कुछ घटनायें बार्डर पर हुई हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि हर एक व्यक्ति उन्हें जानता है । हां, मैं मानता हूं कि सरकार में कुछ लोग ऐसे हैं जो फैलो ट्रैवलर्स हैं, जैसे श्री गोविन्द सहाय जी——वे कहते हैं कि कम्युनिस्ट भाइयों से दूर रहना हमारे लिये उचित नहीं है । मैं तो कहता हूं कि वे अपना हार्ट सर्चिंग करें तो मालूम हो जायगा कि असलियत क्या है । जिन कम्युनिस्ट भाइयों के लिये उनके दिल में इतनी जगह है उनकी एक्स्ट्रा टैरिटोरियल लायलटीज हैं जो आज भी चीन और रूस से प्रेरणा लेते हैं । अब तक इनके जितने पुराने कारनामे रहे हैं उनको हम तराजू पर रख कर तौलें तो मालूम होगा कि इनकी आस्था प्रोलेटेरियन रूल में ही रही है । जब हम उनके विरुद्ध कोई बात कहते हैं तो हमारे ऊपर लांछन लगाया जाता है कि हम इम्पीरियलिज्म की बात करते हैं । लेकिन सही बात यह है कि इनका विश्वास वर्ल्ड वाइड कम्युनिज्म लाने में है । इनका तो कहना है कि प्रोलेटेरियन रूल चाहे यहां हो, चाहे दुनिया में कहीं हो, होना चाहिये, इसके लिये कोई राष्ट्रीय बाउंड्री नहीं है । श्रीमन्, अपनी बात के जस्टिफिकेशन में मैं बतलाना चाहता हूं कि १७ दिसम्बर, १९६२ तक कम्युनिस्ट पार्टी ने यह निर्णय नहीं लिया था कि चीन ऐग्रेसर । है मैं पंडित जी के प्रति श्रद्धा रखता हूं, उनसे प्रेम करता हूं,

[श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी]

उनके संबंध में कुछ कहने का मुझे अधिकार नहीं है। लेकिन मैं सोचा हूं कि एक जन समाज का प्रतिनिधित्व मैं भी करता हूं, तो अपने विचारों को आपके सामने रखूं या न रखूं। आज उनको उससे भी प्रोत्साहन मिले। इसका फल यह हुआ कि उनकी हिम्मत हुई और देश पर हमला हुआ और यह चीन को फिर भी ऐग्रेसर कहने को तैयार नहीं हुये। इतना समय लगा। पहले एक्सोडस कहते रहे और बाद में ३१ दिसम्बर को ही उन्होंने निर्णय लिया कि वह ऐग्रेसर है। जब उनकी मीटिंग होती है तो उसमें भी आप को मालूम होगा कि २३ वोट उस प्रस्ताव के खिलाफ रहे और १७ उसमें वोट देने सें ऐब्सटेन कर गये और ४० ने ही केवल वोट किया कि चीन हमलावर है। इसकी मूल बात यह कि पार्टी के जनरल सेक्रेटरी नम्बूद्रीपाद भी उन्हीं ४० में से थे जिन्होंने वोट नहीं दिया, इस तरह सें ४० व्यक्ति ऐसे थे कि जिन्होंने यह नहीं कहा कि चीन ऐग्रेसर है। ऐसा लगता है कि जब तक भारत का चीन से युद्ध रहेगा उनके विचार नहीं मिल सकते जैसा कि मंत्री जी ने कहा कि हमें अपनी परम्पराओं के और भारत के साथ होना चाहिये। ऐसे कम्युनिस्ट विचार के लोग चीन को कभी भी ऐग्रेसर नहीं कह सकते, यह स्थिति है।

उन्होंने अपना काम पूरा किया, सरकार में भी एक पक्ष है चाहें वह कन्द्रीय सरकार में हो या कहीं हो, में दोहराना नहीं चाहता। अभी कल परसों की जो घटना पैवीलियन के बारे में हुई है, मैं कोई चापलूसी नहीं करता मैं किसी भी मिनिस्टर के यहां नहीं जाता, कोई अभियोग नहीं लगाता। उसमें उनका उल्लू सीधा हुआ, दो गुटों में लड़ाई पैदा कर दी। लेकिन इस से उनका भी कार्य सफल होगा जो कम्युनिस्ट भाई हैं, उनसे जरा सतर्क रहने की आवश्यकता है जो आज सारे देश में फैले हुये हैं। उनसे उदासीन रहना ठीक न होगा। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि इस तरह की विचारधारा जो फैलाई जा रही है, मुझे याद है कि लिबरेट करने वाली लाल सेना उत्तरी सरहद पर खड़ी है? ऐसी विचारधारा फैलाई जाती है, लेकिन अगर ऐसी विचारधारा फैलाई गई, बढ़ने दी गई तो रक्षा नहीं हो सकती। यदि भारतीय आदर्शों को देखा जाय, यहां की परम्पराओं को देखा जाय, यहां की शासन प्रणाली को देखा जाय, यहां की जीवन धारा को देखा जाय, यहां की विचारधारा को देखा जाय तो मैं कहूंगा कि कम्युनिज्म भारत के लिये एक नेशनल क्राइम है और यहां कम्युनिस्ट पार्टी बैन होनी चाहिये।

मैं यह कह कर समाप्त करूंगा कि मैंने बहुत कोशिश की अपनी छोटी बुद्धि के अनुसार कि हम सरकार का सहयोग करना चाहते हैं और सिविल डिफेंस के बारे में मैंने विचार रखे। जहां तक बाहरी सहायता की बात है, इंगलैंड और अमरीका की बात है और जो बात मेरी समझ में आई कुछ बातें ऐसी हैं कि जो सोच समझ कर करनी चाहिये। जब खाई खुदने की बात हो तो रैबिट की तरह उसमें न जाइये बल्कि नाहर शेर की तरह मुकाबले के लिये तैयार होना चाहिये। अपने वक्तव्य में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि अमरीका में रोस्टर तैयार हुआ, उसमें स्किल्ड लेबर, टेक्निकल पर्सनल, डाक्टर्स सब अलग-अलग रख गये ताकि अगर इमरजेंसी आये तो उनको फौरन तलब कर सकें, उनकी सेवा ले सकें। जब पाकिस्तान का बटवारा हुआ तो उससे एगजोडस का प्रश्न उठा, उसके डील करने के लिये अलग स्कीम तैयार होनी चाहिये।

जो इस वक्त खाद्य पदार्थों की गडबड़ी होती है उस के सम्बन्ध में प्रिकाशन्स तो लिये जांयगे। दवा का इंतजाम, क्राइम्स का इंतजाम किया गया, लेकिन अगर कुछ भूलें हुई डिफेंस के क्षेत्र में और यह हमला हुआ तो हम समय पर भोजन नहीं पहुंचा सकेंगे। वहां स्टोर हाउसेज बना लिये और सरकार ने जो पदार्थ इकट्ठा किया तो एयर रेड के समय उसको ट्रांसपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी, समय पर जनता को सामान मिल सकता था। आप कह सकते हैं इस समय हमला कहां होने जा रहा है ? इतना हो सकता है, अब गफलत में न रहिये और जो हमारे ऊपर विपत्ति आयी यह हमारी गफलत रही। अब अगर सरकार विचार करके अपनी नीति निर्धारित करेगी तो जो रुपया सरकार मांग रही है उसका सदुपयोग होगा। इन शब्दों के साथ में अपना कटौती का प्रस्ताव पेश करता हूं।

श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर (जिला गढ़वाल)—

श्रीमन्, यह बजट ८ करोड़ के बजाय १२ करोड़ का होता तो और भी अच्छा था। मेरी धारणा है कि यह संकटकाल का बजट नहीं है बल्कि विजय का बजट है, इसी बजट पर हमारी विजय निर्धारित है। माननीय नेता विरोधी दल ने कहा कि इस सदन के बाहर कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रोपैगेंडा करके हमारी राष्ट्रीय रक्षा में बाधक हो सकते हैं। मैं कहूंगा वह प्रोपेगेंडा कुछ लोग हमारे इस सदन में कर रहे हैं। अगर विरोधी दल के नेता का भाषण का रेकार्ड चीन में पहुंचता तो मांवों महाशय यही कहते कि हमारे एजेंट भारत में मौजूद हैं। आश्चर्य है कि विरोधी लोग सुझाव देते हुये यह नहीं सोचते हैं कि हमारे भाषणों का क्या प्रभाव संसार पर पड़ेगा। इधर तो हमारी सरकार इस बात पर संलग्न है कि ५०० मील का जो हमारा बार्डर एरिया है उसके निवासियों के साथ अच्छा सलूक किया जाय, परन्तु उस तरफ से कहा जाता है कि सरकार उनके लिये कुछ नहीं कर रहे हैं। इधर विरोधी दल वाले राष्ट्र के नेता नेहरू जी के उपासक और प्रशंसा करने वाले बनते हैं और वही उनकी हर एक कार्य-वाही की नुक्ताचीनी करते हैं। इस समय हमारे नेहरू सरीखे नेता हैं जिनकी नीति संसार में मान्यता प्राप्त कर रही है। अगर वे पहले ही अपने को चीन का शत्रु जाहिर करते तो क्या आज संसार हमारा साथ देता ? हमको इस समय ऐसा नेता मिला है जो इस युद्ध में हमारी रहनुभाई कर रहा है। हमारी विजय अवश्य होगी। हमारे प्रांत में भी जिस पर सारे देश की रक्षा का भार है, ऐसें मुख्य मंत्री हैं जिनकी में चर्चिल सें तुलना करने के लिये तैयार हूं, इसलिये कि मैंने उनके इस सदन के बाहर दिये हुए भाषणों को सुना है, में उनके साथ बार्डर एरियाज में गया हूं। जो उन्होंने बहां की जनता में उत्साह पैदा किया? उनके उत्तेजना पूर्ण भाषणों को मैंने सुना है। गुप्ता जी ने लोगों में उत्साह और शक्ति का उत्पादन किया है। उनका भाषण सुनते ही लोग कहने लगे कि हम मर मिटेंगे लेकिन चीन को मार भगायेंगे। विद्रोही लोग इस बात को महसूस नहीं करते हैं। वह हमारे नेता जो कल तक कहने के लिये तैयार थे कि हम चीन को भी भाई समझते हैं उन के प्रति अब उनका क्रूर भाव है। आज के अखबार आप लोगो ने देखा होंगे। नेहरू जी सबसे बड़े डिमेक्रेट और पेट्रियट, देश भक्त हैं। जब उन्होंने देख लिया कि जनता उनके साथ है और जनता चाहती है कि भारत की तिल भर भूमि चीन के अधीन नहीं रहने देंगे तो आज नेहरू जी युद्ध और विजय की वीणा बजा रहे हैं। वह साधारण व्यक्ति नहीं हैं। नान-अलाइनमेंट की अगर नीति न होती तो क्या अमरीका, रूस और इंगलैंड हमारी सहायता करते ? हरगिज नहीं। अब हमको यह बात याद रखनी चाहिये कि विरोधी दल बड़ा अनिष्ट करेंगे अगर बार-बार उन्हीं बातों को कहें कि पहले उन्होंने क्या कहा था। हमें तो वर्तमान स्थिति को देखना है। इस समय इस प्रदेश पर बड़ा उत्तर-दायित्व है, क्योंकि ५०० मील का बोर्डर हमारा चीन सें मिला हुआ है और चीन वहां अपने अड्डे जमाये हुये हैं, हमको इस प्रदेश के शत्रु का सामना कल को करना है और चीन को अपने देश की सीमा से भगाना है। यह बिल्कुल नया बजट है। सैनिक शिक्षा, सैनिकों के बालकों की शिक्षा के लिये, सैनिक स्कूल स्थापित करने के लिये एक सुझाव करना चाहता हूं कि सरकार एक ऐसा सेन्सस सारे प्रदेश में कराये जिससे पता लेगे कि कितने सिपाही फौज में हैं और कितने पेंशनर्स हैं, उनके कितने बच्चे हैं, जिनको हम सैनिक शिक्षा दे सकें। क्योंकि यह युद्ध हमेशा के लिये चलने वाला है, चीन हमारे सर पर बैठा है, इसके लिये हमको सर्वदा के लिये लोगों को तैयार करना है।

इस सदन में बार-बार कहा गया है कि चन्दा जबरदस्ती वसूल किया जा रहा है। मान लिया जाय किसी ने जोश में आकर ५ रु० की जगह १० रु० चन्दे में जमा कर लिया तो इसमें कौन सी ऐसी जबरदस्ती हो गई। जिसकी आये दिन शिकायत की जाय ? हमको देखना चाहिये कि जो चन्दा हो रहा है उसमें जनता की धारणा क्या है? धारणा यह है कि प्रदेश की जनता चाहती है कि जहां तक उससे हो सके वह सहायता करेगी। क्या हमारे प्रदेश में ऐसे आदमी नहीं हैं जो कम से कम ५ रु० और १० रु० दे सकें। ५ करोड़ हमने अब तक जमा किया है जब कि

[श्री मुकन्दीलाल बैरिस्टर]

प्रदेश की आबादी ७ करोड़ है । अगर ५, ५ रु० जमा होता तब भी ३५ करोड़ रु० होना चाहिये था इसलिये कोई जरबदस्ती की बात नहीं है । पर अगर बार बार और यही कहा जाय कि चन्दा जबरदस्ती लिया जा रहा है तो इसका संकेत यह होगा कि हमारी सरकार के साथ हमारी जनता नहीं है। अगर शत्रु को यह मालूम होगा तो उसका साहस बढ़ेगा।

संयोग की बात है, अगर चीन का आक्रमण हमारे ऊपर शुरू नहीं होता तो मुमकिन है कि हम पहाड़ी जिलों की ओर ध्यान न देते । सारी बात जरूरत पर निर्भर है । गढ़वाल से लेकर कुमायूं तक हमको चीन से मुकाबला करने के लिये अपनी सेनाओं को संगठित करना है और यह अनुदान उसी संगठन के लिये है । इसी सैनिक दृष्टिकोण से गढ़वाल में सरकार सैनिक स्कूल स्थापित कर रही है ताकि उसके द्वारा वहां आफिसर्स तैयार हो सकें । हमारी सरकार चीन के आक्रमण से पहले इस बात को अनुभव कर ही नहीं सकती थी कि गढ़वाल में भी हमें सैनिक स्कूल बनाना होगा । गढ़वाल के ४० हजार फैमिलीज के लड़के सेना में हैं उनके लड़कों को आफिसर बनाने की सरकार सोच रही है । वहां सात हजार सिपाही गढ़वाल रेजिमेंट में हैं, २० हजार रंगरूट फौज में भर्ती होने को तैयार हैं और २० हजार रिटायर्ड सैनिक गढ़वाल में हैं । उनके लड़कों को सैनिक स्कूल में सैनिक शिक्षा दी जायगी । ब्रिटिश काल के राज्य में सैनिक दृष्टि से यह देखा जाता था कि पल्टन में आफिसर ऐसा रखा जाय जो सिपाही से मिल जुल कर रहे? उनके रहन सहन से वाकफियत रखता हो । इसलिये आज भी यह जरूरी है कि जिन इलाकों से हमारे सैनिक आते हों उन इलाकों के सिपाहियों के लिये वही के अफसरों की जरूरत है जो सिपाहियों के रहन-सहन और मनोवृत्तियों को आफिसर जान सके। और इसी उद्देश्य को सामने रख कर हमारी सरकार ने गढ़वाल में सैनिक स्कूल खोलने का निश्चय किया और उसके लिये इस अनुदान में ३५ लाख रुपया रखा है ।

आखिर में मैं अपना आभार कांग्रेस पार्टी की ओर प्रकट करूंगा कि उसने मुझे कांग्रेस में सम्मिलित किया है । इसके लिये मैं कांग्रेस का आभारी हूं । जिनको पता इसका नहीं होगा उन्हें बतलाना चाहता हूं कि १९०६ से मैं कांग्रेस का अनुयायी रहा हूं । सन् १९३० तक दादाभाई नौरोजी ने कलकत्ते में स्वराज्य का नारा सन् १९०६ में लगाया था उस कांग्रेस अधिवेशन में मैं मौजूद था बहैसियत एक स्टूडेंट वालेंटियर के । मैं कांग्रेस में नया नहीं हूं । कांग्रेस की स्थापना १९२१ में गढ़वाल में मैंने की थी । व्यक्तिगत कारण से मैंने कांग्रेस को छोड़ा । १९३० में मैं अपने लड़कों को सैनिक शिक्षा देना चाहता था । मैं वकालत छोड़ देता और विद्यालयों का बहिष्कार करता तो अपने लड़कों को सैनिक शिक्षा नहीं दे सकता था । कांग्रेस ने मुझे ३३ वर्ष बाद अब अपना लिया है तो मेरा उत्तरदायित्व अब और बढ़ गया है । अब तक मेरा उत्तरदायित्व केवल जिले गढ़वाल की ओर था और अपने क्षेत्र के प्रति था ? लेकिन अब कांग्रेस तथा पूरे सूबे के प्रति मेरा उत्तरदायित्व हो गया है । मेरे दो लड़के और १ दामाद आज देश की रक्षा के कार्य में लगे हुये हैं । मुझे आशा है कि मैं अपना उत्तरदायित्व ठीक से पालन करने में सफल हूंगा ।

*श्री जेड० ए० अहमद (जिला आजमगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं इस बात से सहमत हूं कि इमर्जेन्सी के काम के लिये काफी रुपया खर्च किया जाय । मैं उस रुपये को कम नहीं करवाना चाहता । इसलिये कि मैं ऐसा महसूस करता हूं कि ऐसा प्रदेश जो सीमाई प्रदेश है? जितनी कमजोरियां उसकी सीमाओं पर रह जायेंगी तो आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों हमें खतरे में डालेंगी । इसलिये मैं चाहता हूं कि जो हमारी कमजोरियां हैं उनको दूर किया जाय । अगर सड़कें नहीं हैं तो वहां पर सड़कें बनाई जायं, अगर पुल नहीं हैं तो वहां पुल बनाये जायं, अगर अन्दरूनी इन्तजाम कोई कमजोर है तो उस अन्दरूनी इन्तजाम को मजबूत किया जाय । इसलिये मैं इससे सहमत नहीं हूं कि ४ करोड़ या ८ करोड़ रुपया लिया गया है । अच्छा किया आपने उस पर दे दिया, लेकिन मैं यह चाहता हूं कि उसका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उचित इस्तेमाल हो और वह जाया न हो । बेकार के कामों में खराब न हो । जब कभी मैं स्टेशन से गुजरता हूं तो खंदकों को देखता हूं जो सुरक्षा के लिये खोदे गये हैं । मुझे दुख होता है कि आज कल की दुनिया में, आजकल की ऐटमी और हाइड्रोजन बम की दुनिया में खंदकों में हम घुस सकेंगे ? कम से कम मैं तो घुसूंगा नहीं ।

एक सदस्य--

आपको घुसने की जरूरत नहीं पड़ेगी ।

श्री जेड० ए० अहमद--

ठीक है, आप खरगोश की तरह से घुस जाइयेगा । कुछ लोगों ने किताब पढ़-पढ़ कर उसे कर दिया । वह अब भर जायेंगी । तो मैं कह रहा था कि रुपया जो लिया जाय उसका सही इस्तेमाल हो और जिस काम के लिये लिया जाय उसी में उसका उपयोग हो ।

अब क्या होगा, इस बारे में अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं । हमला कब होगा ? तो मैं उनसे कहता हूं कि मुझे मालूम नहीं है कि चीन कब हमला करेगा, कब नहीं करेगा यह तो आप चाऊ एन लाई से या माओ त्से-तुंग से पूछिये । मैं तो एक साइंटिस्ट की तरह से रियलिटी को देखता हूं । मैं भविष्यवाणियां अपने मित्रो की तरह से नहीं करना चाहता । आज की पेंचीदा दुनिया में वह भविष्यवाणियां गलत साबित हो सकती है । यह साइंटिफिक ऐप्रोच है कि हो सकता है कि हमला हो और हो सकता है कि हमला न हो । हमला हो, यह बहुत से फैक्टर्स पर मुनहसिर होगा । चीन पर कितना दुनिया का प्रेशर है, चीन की बुद्धि सही दिशा में या गलत दिशा में कितनी मुड़ी हैं, इस तरह से पचीसों बातें हैं जिनके आधार पर यह बड़े-बड़े देश हरकत करते हैं । हम किस तरह आप से कह दें ? लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि आज चीन से जहां तक हमारा ताल्लुक है हम अपने बचाव के सामान को अपने बचाव के इंतिजाम को मजबूत करें। संकट काल में भविष्यवाणियां नहीं करना चाहिये, अपने आप को मजबूत करने के लिये पूरा यत्न करना चाहिये । हम शान्ति के रास्ते से अपने मसलों को हल करते हैं और हमेशा उसी रास्ते पर चलेंगे । महात्मा गांधी से लेकर आजतक जो हमारे राष्ट्र के नेता हैं उन्होंने हमें सिखाया है कि चाहे दुनिया कुछ करें हम अपने उसी रास्ते पर चलेंगे । अगर आज भी राष्ट्र को मजबूत करना है तो उस रास्ते को नहीं छोड़ना पड़ेगा । इसलिये हम अपने इंतिजाम को, अपनी ताकत को और अपनी तैयारी को बढ़ावें, उस पर हमें कुछ खर्च करना ही पड़ेगा ।

अब मजबूत करने के मानी क्या हैं ? दो तरीके से हमारी मजबूती होगी । एक तो भौतिक मजबूती, यानी डिफेंस पोटेंशल बढ़ाना, पैदावार बढ़ाना यह सब चीजें भौतिक मजबूती में आती हैं, यह उसका एक भाग है, लेकिन हमें नैतिक मजबूती उससे ज्यादा चाहिये । मैं समझता हूं कि इस इमरजेन्सी के जमाने में जहां हमने कुछ भौतिक मजबूती पैदा की है और कुछ तैयारी करने की भी चेष्टा की है, लेकिन नैतिक मजबूती हमारी जितनी होनी चाहिये उतनी नहीं हुई । मैं खास तौर से अपने कांग्रेस भाइयों की तरफ मुखातिब हो कर कहता हूं, क्योंकि आप हुकूमत में हैं, आपके हाथ में हिन्दुस्तान की बागडोर है । अगर हम चिल्लाने वाले या आलोचना करने वाले लोग कुछ कहते हैं तो फटाफट करके रह जायेंगे लेकिन आप अगर चाहें तो आप बहुत कुछ कर सकते हैं क्योंकि आपके हाथ में राज्यसत्ता है और राज्यसत्ता आजकल की दुनिया में बहुत बड़ी चीज है । मैं खास तौर से आपकी तरफ मुखातिब होकर कहना चाहता हूं कि जितनी चेष्टा भौतिकता को मजबूत करने के लिये की गई है उतनी चेष्टा नैतिकता को मजबूत करने के लिये नहीं की गई है । मैं कहता हूं कि अजब हालत है कि इतना बड़ा देश मुकाबला करता है दूसरे देश का जो बहुत मानों में हमसे मजबूत है और उसकी लड़ाई की तैयारी भी ज्यादा है, उसकी परम्परायें भी दूसरी हैं, हम "तो रघुपति राघव राजा राम" ही कहते रहे हैं और उसकी फौजी तैयारी होती रही है । तो हर देश की अलग-अलग परम्परायें होती हैं । मैं नहीं कहता हूं कि उनकी परम्परा अच्छी है । बुनियादी तौर पर हमारी परम्परा अच्छी है क्योंकि एक इंसान

[श्री जेड० ए० अहमद]

को एक दुनिया बनानी है, एक वर्ल्ड स्टेट बनानी है। हालांकि आर्जी तौर पर भले ही हमें नुकसान पहुंच जाय, लेकिन बुनियादी चीज वकत रखती है

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)—

वर्ल्ड स्टेट कैसे बनती है, बता दीजिये ।

श्री जेड० ए० अहमद—

वह आपकी समझ में नहीं आयगी । मैं कहता हूं कि अजब हालत है । इतने बड़े देश की रक्षा का सवाल आ पड़ा है। लेकिन देश में जो दल और पार्टियां हैं वे सब अपना-अपना राग अलापती हैं । मुझे याद है जब इंगलैण्ड में हिटलर बम्बार्ड करता था तो उस वक्त वहां पर लेबर पार्टी थी, कंजर्वेटिव पार्टी थी और इस तरह से ५,६ पार्टियां थीं, लेकिन उनमें मेन दो पार्टियां यही थीं। उस वक्त किस तरह से पूरे राष्ट्र में एकता थी, एक टालरेंस थी, एक डिटरमिनेशन था कि हम अपने आर्जी तफरीकों को सिक करेंगे क्योंकि इस वक्त नेशन डेंजर में है, इसलिये झगड़ों को बंद करके मिलकर सबको एक साथ खड़ा होना चाहिये और ये आर्जी तफरके बाद में तय हो सकते हैं । मैं समझता हूं कि यह भावना हमारे देश में पैदा नहीं हुई । यह सब से बड़ी कमजोरी हमारे हिन्दुस्तान के इतिहास में रही है । बड़े-बड़े इनवेडर्स हमारे हिन्दुस्तान में आये हैं और हिन्दुस्तानी हिन्दुस्तानी से ही लड़ गया और मुट्ठी भर लोगों ने हम पर हुकूमत की । यह हकीकत है जो माननी पड़ेगी । आज वही अनफौर्चुनेट हकीकत हमारे सामने है । इसका मतलब यह है कि हम में सेंस आफ नेशनहुड नहीं है । इसका मतलब यह है कि —

"Loyalty to the party is greater than loyalty to the nation."

"Loyalty to a particular State is greater than loyalty to the nation."

यही बदवक्ती आज हमारे मुल्क में है । उसको दूर करना हमारा पहला कर्त्तव्य है । गुप्ता जी, आप ४ करोड़ क्या, ५० करोड़ खर्च कीजिये अगर इसको पूरा नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। हम सब मिलकर राष्ट्र की रक्षा के लिये एक समान प्रोग्राम बनायें जिसमें हम और आप कुछ दें। गिव एन्ड टेक की पालिसी होनी चाहिये, कम्प्रोमाइज की पालिसी होनी चाहिये। आज नेशन कहते हैं कि पीसफुल कोएविग्जसटेंस की पालिसी को रखकर लड़ाई को जीतेंगे। पीसफुल एग्जिस्टेंस तभी मुमकिन है जबकि एक आनरेबिल काम्प्रोमाइज हो राष्ट्रों के अन्दर। इसी तरह इस संकटकाल में हमें भी हिन्दुस्तान में पीसफुल एग्जिस्टेंस की नीति को लाना है, न कि एक दूसरे को उलट पलट करके, मार काट करके खत्म करें और हमेशा दुहाई देते रहो राष्ट्र की रक्षा की। यह जिम्मेदारी आप पर ज्यादा है, हम सब पर हैं। मैं अपने को बरी नहीं समझता। जिस दिन संकट शुरू हुआ मैंने कहा कि इनटालरेंस की भावना को बदल कर सहनशीलता की भावनाओं को चलाना चाहिये। व्हाट इज ऐट स्टेक ? what is at stake ? हमारे इन भाइयों के दिमाग में यह बात नहीं आ रही है, नहीं घुसती। आप गाली दे दीजिये। कम्युनिस्ट पार्टी को बेन करो। मैं नहीं कहूंगा कभी कि इनको बैन करो। मैं कहूंगा कि इनको कुदरती मौत मरने दो। बड़े बड़े आये। कुदरती मौत मर गये। हिटलर भी आया। कत्ले आम हुआ। युहूदियों का कत्ले आम हुआ। यह हमारा देश सबसे बड़ा है, दुनिया पर हावी हो जायगा। कहां गये हिटलर, कहां गये मसोलिनी, कहा गयें टोजो और आप कहते हैं कि बैन करो। मैं नहीं कहूंगा कि बैन करो। मैं कहूंगा कि पलो, लेकिन हिन्दुस्तान की प्रगतिशील, सेकुलर और डेमोक्रेटिक फोर्सेज वह दिन लाएंगी कि तुमको खुद ब खुद अपनी मौत मरना पड़ेगा। (शोर) मैं कहता हूं कि इस इमर्जेंसी को इन्होंने मिसयूटिलाइज किया। इन्होंने इमर्जेंसी में मोरेल को कमजोर करने की कोशिश की और अपनी पार्टी की नीतियों को बढ़ा कर इंडियन नेशन को कमजोर करके अपने को मजबूत करने की कोशिश की। हमने भविष्यवाणी की थी कि यहां खतरा आयेगा। जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था। न कोई जिम्मदारी थी, न हूकूमत संभालनी थी, सिर्फ भविष्यवाणी ही करनी थी। फिर जब हमारी फौजों को कुछ हार हुई तो आप आगये, देखिये साहब तैयार नहीं थे, कम्बस नहीं

थे, जहां बंदूकें बननी चाहिये वहां जूते बन रहे थे, हमारे सिपाहियों के पांव कट गये। कहां से यह खबरें मिलीं ? यहां कुछ अखबार रोज लिखते हैं कि कम्बल नहीं थे, जूते टूटे हुए थे। कमजोरियां हो सकती हैं। (व्यवधान) तारीख इसकी लीजिये। मैं सोवियट रशा का उदाहरण दूंगा। आप का, हिटलर का भी उदाहरण दूंगा। याद है वह दिन जब २२ जून, १९४१ या कब, हमला हुआ था हिटलर का। डेढ़ साल तक इतनी मजबूत सोवियट रशा की फौजें पीछे हटती गयीं और हट कर गोरिला फोर्सेज तैयार कीं, प्रोडक्शन बढ़ाया। जब स्टालिनग्रेड तक आ पहुंचे तो वहां से घूमकर ऐसा मारा कि खदेड़कर बर्लिन तक ले गये। तो थोड़ी सी हमारी फौजें पीछे हट आयीं, बस नेहरू को हटाओ, उलटो, पलटो ले आओ बाजपेयो को बैठाओ, करियप्पा को बैठाओ, सब हो गया। इतना सा मौका मिल गया, बस, सारा मसला हल हो गया, जनता के सामने भंडाफोड़ हो गया, यह सरकार निकम्मी हो गई, जो इसका समर्थन करे वह गद्दार हो गया और बस इनको लाकर कुर्सी पर बैठा दो। इतनी जल्दी गद्दी मिल नहीं सकती। मैं आज विरोधी दल में हूं, किसी जमाने में कांग्रेस में था। मगर आज कांग्रेस यहां बैठी है तो इसके पीछे ५० साल की सालिड सैक्रिफाइस है। इसके पीछे वह कुर्बानियां हैं, वह त्याग है, वह बलिदान है, मैं मानता हूं और गर्व करता हूं उन परम्पराओं पर जो कांग्रेस के पीछे हैं। वह आप नहीं जानते हैं। उस परम्पराओं में हम पले हैं। हम जानते हैं कि उस जमाने में एक एक कांग्रेस का वर्कर अपने पेट पर पत्थर बांधकर लड़ता था उन जमींदारों के खिलाफ और आज वही जमीदार यहां बैठे हैं। वह त्याग की भावना आपमें नहीं है। यह कांग्रेस का ही सरमाया है, आपका कोई सरमाया नहीं है। आपका सरमाया यह पैविलियन है। इस पैविलियन से काम नहीं चलेगा। खून और पसीना बहाना पड़ता है। आज हमारा कांग्रेस से विरोध है, हम कांग्रेस की नीतियों की आलोचना करेंगे। (व्यवधान) लेकिन मैं कहता हूं कि अगर कोई च्वायस करना हो मुझे आपके और कांग्रेस के दरमियान में, तो मैं आंखें मूंदकर कांग्रेस में जाऊंगा.....

**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—**

यह च्वायस को निकाल दीजिये, हम तो धक्के आपको अभी देते हैं. . (व्यवधान)

**श्री जेड० ए० अहमद—**

कम्यूनिस्ट पार्टी को आप गालियां देते हैं। कम्यूनिस्ट पार्टी ने भी खून पसीना बहाया है। यह बात दूसरी है कि हमने कुछ गलतियां भी जरूर की हैं, लेकिन कौन है दुनिया में जो गलती नहीं करता ? हमने गलती की और उसके बाद अपने को ठीक कर लिया। आप तो गलती करते हैं और गलती को सही समझते हैं। हमेशा गलती करते रहे हैं और करते रहेंगे। यह कांग्रेस और हम, हमारी कम्यूनिस्ट पार्टी, पी० एस० पी०, एस० पी०, इनमें और आपमें एक अन्तर है और बहुत बड़ा अन्तर है। मैं यह समझता हूं कि बुनियादी तौर पर हम सब एक राजनीतिक खान्दान के है, एक मां के पेट में से, राष्ट्रीय आन्दोलन के पेट में से, निकले हैं, हमने गलतियां की हैं, इधर जांय उधर जांय, राजनीति में पचास मर्तबे यह हुआ करता है, लेकिन बुनियादी तौर पर हम सब एक हैं।

**श्री टम्बेश्वरीप्रसाद—**

यह राष्ट्रीय आन्दोलन की मां का पेट कौन सा है ?

**श्री जेड० ए० अहमद—**

यह राष्ट्रीय आन्दोलन की मां का पेट आप नहीं जानते हैं। आप दूसरे खान्दान के हैं। आप और स्वतंत्र पार्टी दूसरे खान्दान की हैं और इस खान्दान का हमारे खान्दान से कोई ताल्लुक नहीं है और यह बात मैं आज ही नहीं दस दफा कहूंगा, अपने कांग्रेस भाइयों के सामने जाकर कहूंगा, उनके पांव छूऊंगा कि अगर इन तत्वों को प्रोत्साहन दोगे तो भविष्य हिन्दुस्तान का तारीख हो जायगा। वह हमें चाहे तो कुछ कहें, गालियां दें, उसे हम समझेंगे कि हमारे भाई की तरफ से गालियां है लेकिन आपकी तरफ से जो गालियां मिलती हैं उनको मैं समझता

[श्री जेड० ए० अहमद]

हूं कि दुश्मन की तरफ से गाली मिलती हैं । जरा देखिये, क्या-क्या बातें होती हैं—नेहरू को हटाओ, नानएलाइनमेंट को हटाओ, समाजवाद को हटाओ, प्लानिंग को हटाओ । समाजवाद आज दुनियां में पनप रहा है । हमारे ये भाई यह कह रहे हैं कि यह समाजवाद गलत है । मैं यह समझता हूं कि आपकी आवाज कुछ लोगों को दबा सकती है और भड़का सकती है,लेकिन असलियत छुप नहीं सकती । वह समय आयेगा कि जब हिन्दुस्तान की जनता खड़े होकर आपको अलग कर देगी । इमरजेन्सी के वक्त में लम्बी चौड़ी बात करना और रात दिन फाइटिंग मोरेल को कमजोर करने की बात करना देश के प्रति गद्दारी है । मैं कांग्रेस के भाइयों से अपील करूंगा कि इन लोगों को बेलेन्स में इतना न कीजिये कि देश के लिये कोई खतरे की बात पैदा हो । मैं गुप्ताजी से कहूंगा, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता हूं, उनसे अदब से यह कहूंगा कि पंडित जवाहरलाल जी की नीतियों का समर्थन अपने दल के अन्दर मजबूती से कीजिये । अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं चुप होकर बैठ जाऊंगा । मैं जब यह देखता हूं कि हिन्दुस्तान का भविष्य क्या होने वाला है तो मेरा दिमाग परेशान होता है । मैं उस वक्त परेशान होता हूं जब यह देखता हूं कि धमकियों के फोर्स से जब लोग दबाव डालते हैं । आज इतिहास से आपको सीखना चाहिये । अगर कोई सरकार मजबूती के साथ रिऐक्शनरी फोर्सेज का मुकाबला करने के लिये तैयार नहीं होती तो वह फोर्सेज आहिस्ता-आहिस्ता छा जाते हैं और हावी हो जाते हैं । उसके बाद बहुत देर हो जाती है । इसको पटाओ, उसको पटाओ, इसको ले लो, उसको भी ले लो यह सारी बातें साधारण हालत में चलती हैं, लेकिन आज तो हिन्दुस्तान के अन्दर संकट का जमाना है । हिन्दुस्तान के अन्दर तारीकी फोर्सेज बढ़ रहे हैं । दक्षिण में डी० एम० के बढ़ रहा है । पंजाब में अकाली बढ़ रहे हैं । इधर जनसंघ बढ़ रहा है । मद्रास में स्वतंत्र पार्टी बढ़ रही है । उधर केराला में मुसलिम लीग बढ़ रही है । यह सब जुड़ेंगीं । इस तरह के फोर्सेज जब बढ़ रहे हैं तो फिर देश का भविष्य कैसा होगा ? वह चैन के दिन अब चले गये हैं । अब तो बहुत सतर्क रहने की जरूरत है । वह हैंड सम डेज आफ पीस ऐन्ड प्रास्पैरिटी चले गये हैं । अब तो ऐसा जमाना आ गया है कि जब तारीकी शक्तियां खड़ी हो रही हैं । इसलिये मैं आपसे अपील करूंगा कि आप डटकर खड़े रहें और इनका डटकर मुकाबला करें । हम आपके साथी हैं । इस देश के अन्दर सोशलिज्म फैलाने में हमारा साथ आपके साथ है, लेकिन अगर इस देश के अन्दर डिक्टेटरशिप की बात की गई तो हम उसका भी मुकाबला करेंगे । अगर सरकार इस काम को अपने हाथ में लेले तो हम खामोश हो जायेंगे और जबान नहीं खोलेंगें । मैं चाहता हूं कि कांग्रेस वर्कर अपने अन्दर इस तड़पन को महसूस करें और अपने राष्ट्रीय आन्दोलन को बनाने के लिये और अपनी राष्ट्रीय नीतियों को बचाने के लिये खड़े हो जांय । आज जिले जिले में कांग्रेस नीतियों को बदनाम किया जाता है, जवाहरलाल जी को गाली दी जाती है, जवाहरलाल जी को नीचा दिखाने की कोशिश की जाती है, राष्ट्रीय आन्दोलनों को और राष्ट्रीय नीतियों को गलत तस्वीर दी जाती है । आज अगर कांग्रेस वर्कर खड़े होकर इसका मुकाबला करते हैं तो यह उनके लिये बड़ी शान की बात है ।

अब मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता । मेरे पास कहने को तो बहुत है, लेकिन मैं इतना जरूर अपने मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इन चीजों पर वह गौर करें । यह इमरजेन्सी का सवाल केवल एडमिनिस्ट्रेटिक सवाल नहीं है । यह राजनीतिक सवाल भी है । इस पहलू को भी आप देखें । उसका एक पहलू बुनियादी तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा का है, लेकिन उसका राजनीतिक और नैतिक सवाल भी है । उस राजनीतिक और नैतिक सवाल को ध्यान में रखने की जरूरत है और इस पहलू पर ज्यादा खयाल करने की जरूरत है । मैं इस बात पर जोर दूंगा कि आपको उनका डटकर मुकाबला करना चाहिये जो इमरजेन्सी की जान को खत्म करना चाहते हैं, जो इमरजेन्सी के एसेन्स को खत्म करना चाहते हैं और जो देश में आपसी नफरत को फैलाकर उन सिद्धान्तों को खत्म करना चाहते हैं जो इस देश को महात्मा गांधी ने दिये थे । कम्युनिस्ट तो बड़ें थिक-स्किन्ड होते हैं, बड़े बेशरम होते हैं, लेकिन राष्ट्रपिता ने जो टालरेंस,

मुहब्बत, आर एकता का भावना बढ़ाया था आर ाजसक आधार पर हम आजाद हुए थे, उसे मटियामेट करने के लिये आज प्रदर्शनियां की जाती हैं। इसके लिये हम तड़पते थे, जाते थे हम गुप्ता जी के पास और मैं गुप्ता जी को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने इस प्रदर्शनी को खत्म कराया। मैं जानता हूं कि उनको दुख था, वह समझते थे कि कानूनी और प्रेक्टिकल दिक्कतें हैं, लेकिन उन्होंने उसे खत्म किया और उसके लिये मैं मुबारकबाद देता हूं उन सब लेजिस्लेटर्स को और दलों को जिन्होंने इस नफरत के बार को खत्म करने के लिये उसके खिलाफ आवाज उठायी है। मैं उनको कांग्रेचुलेट करता हूं।

*श्री रामचन्द्र विकल (जिला बुलन्दशहर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, जो सवाल आज हमारे सामने उपस्थित है और जो बजट सुरक्षा का इस विधान सभा में माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है मैं उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। साथ ही मुख्य मंत्री जी से विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आप बालजती हैं। यह दो झगड़ालू बीबियां हैं, इसलिये इनसे सम्हल कर रहने की जरूरत है। अभी हमारे डाक्टर साहब कुछ भविष्यवाणी करने में हिचक रहे थे चीन से युद्ध के संबंध में। मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि विज्ञान, इतिहास आदि का ज्ञान मुझे नहीं है, लेकिन चीन की सेनायें आज हमारे देश की सीमा पर खड़ी हुई हैं। वह ल्हासा से काठमांडू तक सड़क बना रहा है। वह नैपाल से बात कर रहा है। सीमा के बारे में उसकी बात बरमा से चलरही है, पाकिस्तान से उसकी बात चल रही है और इन सब हालात को देखते हुए दुनिया का कौन आदमी नहीं कह सकता कि वह हम पर हमला नहीं कर सकता ? आज ही अखबार में मुख्य मंत्री जी का बयान था कि हमारी सीमा पर चीन की सेनायें बड़ी संख्या में जमा हैं। इसमें कहां इस बात की गुंजायश है कि चीन हम से युद्ध नहीं करेगा ? युद्ध तो जारी है। वह बन्द नहीं हुआ, यह हमारा कहना है। वह एक दिन के लिये भी बन्द नहीं हुआ।

अब जनता का मनोबल ऊंचा करने की बात आज का एक खासा विषय है और चाहे जिस राजनीतिक दल के नेता हों, वे सब आज हर समय इसका उपदेश हमें देते रहते हैं। अधिष्ठाता महोदय, मुझे आज यह कहनें में हिचक नहीं है कि देश की जनता देश पर आये हुए संकट को गंभीरता से समझ चुकी है और पिछले ४, ५ महीने का इतिहास बता रहा है कि उसने तन, मन-धन से इस संकट में सरकार को अपना सहयोग दिया है। मैं इसके लिये जनता को हार्दिक बधाई दिये बिना नहीं रह सकता। यह अवसर ऐसा है कि हमारे देश की सीमाओं पर लड़ने वाले फौजी जवानों, जो देश की सीमाओं पर हैं और जो देश की रक्षा के लिये स्वर्ग चले गये, उनके लिये भी मैं हार्दिक बधाई देना, अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करना, ऐसे मौके पर मुनासिब समझता हूं। परन्तु जहां मैं एक ओर फौजी सिपाहियों को और देश की जनता को इस बात की बधाई देता हूं, वहीं दूसरी ओर सरकार से भी निवेदन करना अपना परम कर्त्तव्य समझता हूं कि सरकार के ऐसे बहुत से काम हैं, जिनसे संकट काल नहीं प्रदर्शित हुआ है। यह आज अम जनता की शिकायत है। जो अभी यहां पर सदन में विवाद चल पड़ा था और जिसका कि अभी एक तरह से प्रदर्शन हो रहा था, उसके पीछे भी कुछ मुख्य कारण हैं। वह यह कि संकट काल का अनुभव, सरकार और सरकारी कर्मचारी, दोनों से मेरा मतलब है, दोनों ने उतना अनुभव नहीं किया है जितना कि जनता ने उसका किया है। मैं जनतन्त्र का पूरा हामी हूं। उसमें मेरी उतनी ही आस्था है जितनी कि किसी भी माननीय सदस्य की हो सकती है। लेकिन संकट काल के नाम से इतना महंगा जनतन्त्र, और जनता पर बढ़ते हुए टैक्स, इन दोनों में विरोधाभास है। जनता हर कुर्बानी करने के लिये तैयार है। उसने की है और वह करती रहेगी। परन्तु जो सरकार की फिजूलखर्चियां हैं, वह बदस्तूर हैं। योजनायें भले ही कम हो जायें, लेकिन खर्चे कम नहीं हो रहे हैं। आप जितना टैक्स बढ़ायेंगे, उतना ही जनता का मनोबल कम होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री रामचन्द्र विकल]

यह इस बात को महसूस करती है। यह सत्य है कि जनता में जनतन्त्र में विश्वास रखने वाले हैं, उसकी उसके प्रति आस्था और निष्ठा दोनों हैं।

मैं एक बात और आपके द्वारा कह देना चाहता हूं कि अभी जो केन्द्रीय सरकार ने और प्रदेशीय सरकार ने चुनाव शुरू करा दिये, तो संकटकाल में इनकी क्या आवश्यकता थी ? उसी के कारण यह वातावरण है, वरना इन लोगों को इतना मौका नहीं हो सकता था। यह तो सही बात है कि राजनीतिक लोग हैं, वह भी चुनाव में खड़े होंगे और लड़ेंगे। इसलिये चुनाव कराकर सरकार ने उनको मेरे खयाल से एक प्रकार से मौका दिया है कि खामख्वाह का विवाद खड़ा हो। यदि सरकार कुछ दिन और रुकी रहती तो अच्छा होता। मै यह कह रहा था कि आज जनता जो सरकारी टैक्सों का बोझ है, उनके संबंध में यह जरूर सोचती है कि उनमें कमी होनी चाहिये। प्रशासन में और खर्चों में कुछ कमी होनी चाहिये। खर्चों में कमी के लिये तो केन्द्र और प्रदेश के नेता सभी कहते हैं, लेकिन कोई ऐसा उदाहरण जनता के सामने नहीं आया।

(इस समय ३ बज कर ५८ मिनट पर, उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, पीठासीन हुए।)

ऐसा कोई उदाहरण जनता के सामने नहीं आया कि यह मालूम हुआ हो कि फलां चीज में संकट-काल के कारण कमी की गई है। आप देखें कि आज जिलों में नुमाइशें हो रही हैं और उनमें मंत्री लोग जा रहे हैं और म्यूजिक कान्फ्रेन्सेज हो रही हैं और वही कव्वालियां तथा कवि सम्मेलन हो रहे हैं, पहले जैसे। पता नहीं क्या-क्या हो रहा है। सरकार उसको खुशी से देख भी रही है। उसको मालूम भी करती है, परन्तु कुछ उसके लिये उपाय नहीं करती है। मैं यह स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि उसकी खामख्वाह में जनता में आलोचना होती है। वह यह सोचती है और यह कहती है कि संकट काल का तो कोई प्रभाव सरकार पर नहीं पड़ता है। जब सरकार संकटकाल के नाम पर गरीबों से इतना पैसा ले रही है, तब थोड़ा यह प्रदर्शन जो है उनका असर जनता पर बहुत अच्छा नहीं पड़ता है। यह अगर कम हो जाता, तो मैं समझता हूं कि यह कोई बुरी बात नहीं थी। परन्तु यह नहीं महसूस किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे प्रान्तीय रक्षक दल, होम गार्ड्स के लिए, जिनके लिए खास तौर से यह बजट है, बहुत थोड़ा है, यह बढ़ना चाहिए। लेकिन मुख्य मंत्री को यह अवश्य सोचना चाहिये कि हमारे विभागीय कर्मचारियों के जनता के साथ संपर्क में और व्यवहार में जो ज्यादती होती है उसमें संकटकाल की वजह से कोई कमी नजर आयी या नहीं। उनको पता लगेगा कि कोई कमी नहीं है। उसमें कहीं 'चोर' जरूर है और वह 'चोर' इस प्रकार से है कि मुख्य मंत्री जी कल थाने के दलालों की चर्चा कर रहे थे जो थानों से सम्पर्क रखते हैं। मेरी एक शिकायत है और आप जांच कर लें कि जिले में आज संकटकाल में भी बहुत से मंत्रियों के लोग दलाल बने हुए हैं और वह हर विभाग को टच किये हुए हैं—चाहे सप्लाई डिपार्टमेंट हो, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो। यह संकट-काल का द्योतक नहीं है और अगर आप समर्थ होकर कह दें कि यह शिकायतें जिले-जिले में नहीं हैं तो मैं सूबे भर की लिस्ट पेश करूंगा कि कहां क्या हो रहा है और मुख्य मंत्री जी ! यह आपको स्वयं अपने तौर पर जांच करनी चाहिए। आपके भी बहुत से हाली-मवाली मैं जानता हूं जो आप को गुमराह रखते हैं और गलत सूचनाएं देते हैं। उससे भी जनता का मनोबल नहीं बढ़ रहा है। आज मनोबल बढ़ने के लिए जो सरकारी कर्मचारियों के कामों में जनता की आस्था और विश्वास होना चाहिए उसकी कमी नजर आ रही है और वह अकेले आपके किये दूर हो सकता है। मेरी व्यक्तिगत आप में बड़ी श्रद्धा और भक्ति है और इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि आप हमारी बात पर, जरूर विचार करेंगे और प्रदेश की रिपोर्ट मागेंगे अपने निजी लोगों से कि यह सही है या नहीं है।

मैं कह रहा था कि टैक्स ही नहीं, आज किसानों पर लगान बढ़ाया संकटकाल के नाम से लोगों ने कहा कि संकटकाल की अवधि के बाद तो खत्म हो जायगा, सरकार नहीं स्वीकार करती। आप कह देते कि हम खत्म कर देंगे संकट काल के बाद। वह भी नहीं। कहा गया कि फौजियों पर लगान मत बढ़ाओ—वह भी नहीं। फजूल-खर्ची भी हों और टैक्स फौजियों

पर रहेगा और किसानों पर बढ़ेगा और सब इसी तरह से चलता रहेगा, तब जरा मनोबल के बारे में सोचने का विषय है। इस प्रकार से टैक्स लगाकर तो आप चलते बैल को चोभ लगा रहे हैं। "चोभ" जो बैल को लगाया जाता है, हांकने वाला लगाता है। कभी आपने सोचा कि बड़े-बड़े सरमायेदारों ने प्रदेश में कितना रुपया दिया है और कितना लिये बैठे हैं? और हाउस के सामने संकट काल की बात करते हैं। यही अवसर है जब आप कह सकते हैं कि इतना लाओ और इस तरह से हम वसूल करेंगे। लेकिन वह नहीं हो रहा है और वही आदत है कि हम कहते रहें और आप सुनते रहें। इसमें काम चलने वाला नहीं है। बोलने वाला बोलता रहे और आप बैठे सुनते रहें और जो मन में आया जवाब दे दें। सरकार के पास आंकड़े आया करते हैं, उनसे काम नहीं चलने वाला है। मैं, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप चीन के खिलाफ प्रदेश की जनता से जो कुछ भी मांगेंगे वह आपके कदमों पर डालने के लिये तैयार हैं, किसी को कोई हिचक नहीं होगी उसको देने में। लेकिन आप अपनी फजूलखर्ची को रोकिये और थोड़ा सा विभाग के अधिकारियों के प्रति अपने को सचेत करिये। मैं कहता हूं, इससे आप को बल मिलेगा। आप भी महसूस करते हैं कि हमारा सीमाओं का प्रदेश है और इस कारण हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लोग हम को ताना देते हैं कि हम पंजाब से भी, जो १३ जिलों का प्रदेश है, पीछे हैं।

आज इस सदन में कुछ दुर्घटना हुई। एक-एक महीने के लिये सदस्यों को निकाला गया। यह संकट काल का द्योतक नहीं है। यह विषय इस समय का नहीं है, लेकिन आपको इस प्रश्न पर भी ठंढे दिल से सोचना पड़ेगा। यहां पर माननीय सदस्य आते हैं गम्भीर परिस्थितियों पर विचार करने के लिये, और अगर उनको एक-एक महीने के लिये निलम्बित किया जाय, तो इस विषय पर आपको ठंढे दिल से विचार करना पड़ेगा। आप इसको मेरी शिकायत समझिये, या मेरे भाव समझिये, मगर इसकी गहरायी पर आपको विचार करना होगा और उस पर विचार करके आप इस प्रदेश को आगे ले चलें, यही मेरा आप से निवेदन करना है।

*कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, सुरक्षा सम्बधी अनुदान पर मुझे दो बातें निवेदन करनी हैं। सुरक्षा दो प्रकार की है---एक तो सुरक्षा हमारी सीमाओं की, तथा दूसरी आन्तरिक है और इसको पंचमांगियों से हमको बचाना है। तो जो बाहरी सुरक्षा है, पहले मैं उस पर कुछ निवेदन करूंगा। उसके लिये मैं यह नहीं कहूंगा कि उसके बारे में अपनी तरफ से कोई कमजोरी है, या प्रयास नहीं किया जा रहा है, परन्तु इतना अवश्य कहूंगा कि आज, जैसा मैंने पहले कहा था, पंडित नेहरू के हाथ मजबूत करने की जरूरत नहीं है। बल्कि उनका दिल मजबूत करने की जरूरत है क्योंकि उसके हाथ तो इतने मजबूत हैं कि चाऊ के १० हाथ भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते, उनके १०-२० साथी भी उनका मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि जितने मजबूत उनके हाथ हैं, उनका दिल उतना ही कमजोर है और वह कैसे हैं उसके लिये मैं अपनी बात नहीं कहूंगा---हमारे राष्ट्रपति ने संसद में अपने वक्तव्य में जो कहा उसे ही कहूंगा। उन्होंने संसद में अपने वक्तव्य में कहा है कि 'आक्रमण के खतरे से देश की रक्षा करेंगे'। यानी जो जमीन उसने ले ली है, उसकी तो कोई बात नहीं, आक्रमण से रक्षा करेंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्री भी कहते हैं कि जब तक एक-एक इंच भूमि वापस नहीं ले लेंगे दम नहीं लेंगे? कैसे दम नहीं लेंगे? चुनाव लड़ने में, कुर्सियों से चिपके रहने में, मंत्रिमंडल बढ़ाने में, आखिर किस चीज में दम नहीं लेंगे। लड़ाई तो हो नहीं रही है, आप लड़ना भी चाहते नहीं, डाक्टर साहब ने भी उसको सपोर्ट किया, तो दम आप किस चीज में नहीं लेंगे, इसका जवाब कोई साहब मुझे बतला दें।

एक चीज में और निवेदन करना चाहता हूं। वाह्य सुरक्षा हमारा सब्जेक्ट नहीं है, हमारी परिधि में नहीं है, भारत सरकार उसे कर रही है, वह उसे करे। मगर आन्तरिक सुरक्षा हमारा विषय है। हमें उसको देखना है। देश में नहीं तो कम से कम अपने प्रदेश में तो देख ही

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[कुंवर श्रीपालसिंह]

सकते हैं, प्रान्त के लिये तो हमारी जिम्मेदारी है ही। आन्तरिक सुरक्षा के लिये हमें पैदावार बढ़ाना है। मगर किस चीज की? रेंडी के तेल की पैदावार बढ़ाना है? जूतों की पैदावार बढ़ाना है? पैदावार बढ़ाना है हमें जवानों की जो देश के लिये लड़ कर काम आयें। इसके लिये हमें जरूरत है सैनिक स्कूलों की जहां हम लोगों को बता सकें कि किस प्रकार से लड़ा जाता है, लेकिन उधर हमारी सरकार का ध्यान नहीं है। इस बजट के अन्दर एक खर्चा है हवाई हमले से बचाव के प्रदर्शन का। उसके लिये १५,६०० रुपया रखा गया है। पता नहीं उसका कैसा प्रदर्शन होगा?

लखनऊ में ही एक महाराणा प्रताप ट्रस्ट है। उसकी ३० एकड़ जमीन लखनऊ के अन्दर है, दो लाख से ऊपर रुपया है और २८ कमरों का एक मकान है। उस ट्रस्ट का मैं भी एक छोटा सा सदस्य हूं। हम लोग उसको सैनिक कालेज के लिये देना चाहते हैं, लेकिन सरकार नहीं लेना चाहती है। इसके लिये सुरक्षा मंत्रीजी को भी एप्रोच किया है कि सैनिक कालेज यहां खोलिये और उन जवानों को पैदा कीजिये जो देश की रक्षा कर सकें। परन्तु पता नहीं सरकार क्यों नहीं खोलना चाहती है, भगवान जाने क्यों? लेकिन है ऐसी बात। उसके स्थान पर रामकृष्ण मिशन की ओर से कहा जाता है कोढ़ियों का अस्पताल खोलने के लिये दे दी जाय। मैं मानता हूं कि उसकी भी जरूरत है। उसके लिये भी ३ एकड़ दे देना चाहते हैं, मगर सैनिक कालेज खोलने में सरकार को एतराज है। सुरक्षा मंत्री ने तो कह दिया कि अगर आपके यहां की सरकार चाहे तो हम खोल सकते हैं। इसलिये मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि इस पर ध्यान दिया जाय। इसकी युद्ध के लिये बड़ी जरूरत है।

अब जरा अपने मित्र डाक्टर साहब के बारे में कुछ कह देना चाहता हूं। उनका भाषण सुन कर कुछ लोग खुश हो रहे थे। इसको देखकर मुझे एक रामायण की चौपाई याद आ गयी। उसके अन्दर प्रत्येक वस्तु मिल जाती है--

'लागत कुमुख वचन शुभ कैसे, मगध गयादिक तीरथ जैसे।'

इस प्रकार से उनकी बातें कुछ बहुत अच्छी लग रही थीं वह इस प्रकार से जैसे मगध में गयादिक तीर्थ। कहने का मतलब यह है कि डाक्टर साहब ने कहा कि हमें मारल को ऊंचा उठाना चाहिये। मगर यह किस ढंग से होगा? क्या इस ढंग से होगा कि उनमें से आधे कहने लगें कि चीन ने हमला नहीं किया है, हिन्दोस्तान ने किया है, आधे कहने लगें कि चीन के मुकाबले में हिन्दोस्तान लड़ नहीं सकता है? उन्होंने राष्ट्रीयता की बात भी कही। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीयता जागृत होनी चाहिये। प्रत्येक मनुष्य के हृदय में राष्ट्रीयता जाग्रत होनी चाहिये। बड़ी सुन्दर बात है। मगर यह बात कहते हैं डाक्टर साहब जिनके यहां राष्ट्रीयता कही जाती है कि वह बुर्जुआ सोसाइटी की देन है। राष्ट्रवाद के लिये कहते हैं कि यह आज के बुर्जुआ सोसाइटी की देन है। आपका यही राष्ट्रवाद है, और कुछ है ही नहीं।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

आपने पढ़ा नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह--

खूब पढ़ा है, जितना पढ़ा है वही काफी है। डाक्टर साहब ने एक बात कही कि हम चाहते हैं कि तुम कुदरती मौत से मरो। बड़ी सुन्दर बात है, प्रत्येक व्यक्ति कम से कम भारतवर्ष का जो धार्मिक होता है वह कुदरती मौत ही चाहता है, लेकिन हम चाहते हैं कि डाक्टर साहब की पार्टी की मौत ऐक्सीडेन्टल हो जाय और भगवान से मेरी प्रार्थना है कि वह उसको उठा ले तो बड़ी कृपा हो।

एक बात और डाक्टर साहब ने कही और सत्य कही। किसी ने इधर से ताव दिला दिया और उनके मुंह से निकल गया कि वह राजनीति है। बिलकुल सही बात उन्होंने कही और जो बुर्का था उसे उतार कर रख दिया। वाकई में राजनीति में यह कोई उन्हीं की बात नहीं है, बल्कि उनके उस्ताद लेनिन, स्टालिन, चाऊ, माऊ सभी इसी तरह की राजनीति को प्रोत्साहन देते रहे और देते हैं कि जब दुश्मन तगड़ा हो तब तो उसके सामने अपनी दुम हिलाने लगो, उसका

तलवा चाटने लगो, जैसा कि डाक्टर साहब ने कहा कि हम तो कांग्रेस के तलवे चाटेंगे, उसके सामने घुटने टेक देंगे, और क्या-क्या बात कही—और जब दुश्मन कमजोर पड़े तो पड़ाक से उसकी गर्दन पकड़ लो। इसे आज सारा संसार देख रहा है।

बड़े जोर क साथ कहा जाता है, और डाक्टर साहब ने भी कहा, कि रूस हमारी मदद कर रहा है। आप कैसी बात करते हैं? जो कुछ भी किया है, रूस ने थोड़ी बहुत जो हम रो मदद की है, उसके लिये हम उसके कृतज्ञ हैं। लेकिन डाक्टर साहब को मालूम होना चाहिये कि इस तरह की खुशामद की बातें जो आजकल की जा रही हैं उसके भी कुछ कारण हैं। जिस अन्तर्राष्ट्रीय राष्ट्रवाद की बात की जाती है, उसका अर्थ चीन ने अपने मन से लगाना शुरू कर दिया है, चीन का कहना है कि तुम्हारे पास जमीन ज्यादा है और हमारे पास आदमी ज्यादा हैं लिहाजा जमीन हमारी, और इस तरह से वह अब ख्रुश्चेव की जमीन भी करीब ६–७ हजार वर्गमील दबाने की कोशिश कर रहा है। इसलिये रूस भी अब सावधान हो गया है। इसको आज अपने दोस्त भारत से कोई मुहब्बत नहीं पैदा हो गयी है, अगर मुहब्बत होती तो चीन को भाई और हिन्दुस्तान को दोस्त कहने की कोई आवश्यकता न थी। जब चीन उनकी जमीन पर कब्जा करता जा रहा है और उनकी कोर जब आज दब रही है तब बेचारे ख्रुश्चेव परेशानी में किसी तरह अपने को निबाह रहे हैं।

एक बात मैं और निवेदन कर दूं। माननीय गुप्त जी का वक्तव्य जो अखबारों में निकला है, उसमें एक बात जो उन्होंने कही है उसे देख कर मुझे बड़ा दुख हुआ और इसलिये दुख हुआ कि उन्होंने अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट कर दिया। हमारे डाक्टर साहब के हृदय में पवेलियन की बड़ी जबरदस्त चोट थी और इसका प्रमाण यह है कि कोई कम्युनिस्ट साहब पवेलियन को देखने गये तो १ नं० से २५ नं० के पोस्टर तक तो किसी तरह से उन्होंने अपने को दबा रखा और पच्चीसवें पर पहुंचते-पहुंचते उनका जोश, गुस्सा, खरोश और जलन नहीं रुकी और उन्होंने हाथ मारकर वह पोस्टर ही फाड़ दिया। जलन हो तो हम मानते हैं, लेकिन माननीय गुप्ता जी ने जो कल बात कही कि कुछ पोस्टर वहां जनता के मनोबल को गिराने वाले थे तो मैं उस के लिये नम्र निवेदन करूंगा कि वह जरा बतायें कि उनमें से कौन से पोस्टर जनता के मनोबल को गिराने वाले थे? सत्य बात के कहने से मनोबल कभी नहीं गिरता, अगर कोई आपके फोड़ा है उसका समय से आपरेशन हो जाय तो वह अच्छा हो जायगा, लेकिन अगर मवाद उसमें भरा रहा और समय से आपरेशन न हुआ तो भयंकर गैंगरीन हो जायगा और मरने की नौबत आ जायगी और उस वक्त डाक्टर साहब खुशी मनायेंगे। वहां के जो पोस्टर थे उनमें एक भी मनोबल को गिराने वाला नहीं था और मैं माननीय गुप्ता जी से पुनः निवेदन करूंगा कि आप इस नजरिये से या डाक्टर साहब के चश्मे से न देखें।

एक बात मैं और निवेदन करूंगा कि सुरक्षा और मितव्ययिता के नाम पर बड़े जोर से कहा जाता है कि गुप्ता जी अपना मंत्रिमंडल छोटा कर दें और कुछ थोड़ा-सा खर्च बच जाय। तो देखने में तो मालूम हो कि खर्च कम करने की ओर कुछ सरकार की निगाह गई, लेकिन मैं माननीय गुप्ता जी से कहूंगा कि आज भी तो आप कुल काम अकेले ही कर रहे हैं, नाम के लिये यह तमाम मंत्री हैं लेकिन काम पूरा वह खुद ही करते हैं। एक चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक के काम में कहीं नुक्ता रखना हो तो वह काम बगैर गुप्ता जी के नहीं हो सकता। जब यह बात है तो वह क्यों इतनी बड़ी बदनामी लेते हैं, भंग कर दें मंत्रिमंडल को और २–३ को इनमें से रख लें और जैसे आज वह सब कुछ चला रहे हैं वैसे ही फिर भी चलता रहेगा, उनके लिये इस तरह से बदनामी मोल लेना ठीक नहीं है।

सुरक्षा के नाम से सुरक्षा परिषद् बनी थी, लेकिन उसमें बार्डर के जिले के कोई लोग नहीं रखे गये और शायद मुख्य मंत्री जी ही उधर का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह मैदान के रहने वाले हैं, लेकिन अब हिलमैन बन गये हैं और जो वाकई हिलमैन थे उनको फोरगो कर दिया गया है। उसमें एक भी बार्डर के जिलों का आदमी नहीं रखा गया है, माननीय नेगी जी हैं, विष्ट जी हैं या माननीय कांडपाल जी हैं, बहुत से उधर के रहने वाले माकूल सज्जन हैं, लेकिन एक को भी उसमें नहीं रखा गया है। इसलिये यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिषद् में उधर के लो ों

[कुवर श्रीपालसिंह]

को अधिक रखा जाय, क्योंकि जैसा कि आप कहते हैं कि जब आक्रमण होगा, आप तो इन्तजार करेंगे। जो जमीन उसने ली है उसको वह अभी छोड़ने को तैयार नहीं है, वही पहले बढ़ेगा जब आक्रमण होगा, इसलिये वहां का प्रतिनिधित्व उसमें होना बहुत आवश्यक है और मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि वह इस पर विचार करें। (लाल बत्ती होने पर) थोड़ा सा समय मुझे आप दे दें केवल एक कहानी और सुना दूं। एक राजा था जब वह लावारिस मरने लगा तो उसके मंत्री ने उनसे पूछा कि आप के मरने के बाद आप की गद्दी का वारिस कौन बनाया जाय। तो उन्होंने कहा कि जब हमारी अर्थी बाहर निकले तो जो भी पहला आदमी बाहर दिखाई दे उसी को राजा बना देना। जब वह मरे और अर्थी निकली तो पहले सामने एक गेरुए वस्त्र पहने बाबा मिल गये, मंत्री ने उनको ही राजा बना दिया। जब बाबा राजा हो गये, उनके पास जो भी आता तो वह उससे यही कहते थे कि 'शांत रहो, आनन्द से रहो बच्चा।' जब दुश्मनों ने देखा कि यह हाल है तो उनकी जमीन के एक कोने पर उन्होंने कब्जा कर लिया। मंत्री ने जब उनसे बताया कि ऐसी बात है तो उन्होंने कहा कि थोड़ी सी जमीन के लिये क्यों उनको नाखुश करते हो, शांत रहो, आनन्द से रहो बच्चा। इसके थोड़े दिन बाद उसी दुश्मन ने और थोड़ी सी जमीन पर आगे बढ़ कर कब्जा कर लिया फिर मंत्री जी ने कहा कि फिर उसने ऐसा किया है। इस पर बाबा जी जो राजा बने थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं है, शांत रहो, आनन्द से रहो बच्चा। इसके बाद तीसरी बार दुश्मन ने फिर हमला किया और सारे राज को दबा लिया और जब राजा पकड़े गये और उनको वह मारने लगे तो बाबा जी ने कहा कि शांत रहो, आनन्द से रहो बच्चा, हम को तो मंत्री जी ने जबरदस्ती पकड़कर गद्दी पर बिठा दिया था, इन्हीं को फांसी दी जाय।

तो सुरक्षा के प्रति वही भावना हमारी चल रही है। माफ करेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी कि यह कटु सत्य है पर जरूरत है कटु सत्य आपको सुनाने की। मैं डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब की तरह खुशामद करके आपको आग में कुदाना नहीं चाहता हूं। हम वह दोस्त हैं कि पीठ में छुरा नहीं भोंकने देंगे। हम उनका हाथ रोक देंगे। आप हमको पैरों के नीचे रौंद दीजिये, लेकिन हम आपकी पीठ की रक्षा करेंगे, करने को तैयार हैं।

श्री रामलखन शुक्ल (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस आदरणीय सदन के समक्ष जो प्रस्तुत अनुदान है, राष्ट्रीय संकट से सम्बद्ध व्यय के लिये, उसके समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। इतिहास में प्रत्येक महती घटना कुछ न कुछ समस्यायें उत्पन्न करती हैं, कुछ सवालात सामने आते हैं। इस चीनी आक्रमण के संकट ने भी हमारे देश के समक्ष दो सवाल रखे कि हम अपनी लोकतंत्रात्मक परम्पराओं की रक्षा करें, हम अपने जीवन दर्शन की रक्षा करें, हम अपनी संस्कृति की रक्षा करें और अपनी योजनाओं को सतत् चलाते रहें। साथ ही साथ हम अपनी सीमाओं की सुरक्षा भी कायम रखें। इस चुनौती को इस देश और प्रदेश ने, इसकी जनता ने और सरकारों ने बड़ी दृढ़ता के साथ स्वीकार किया और इस संकट के आने के बाद उसी के अनुसार उसने अपनी तैयारियां भी कीं। हमें इस युद्ध की तैयारी उस पद्धति के अनुसार करनी थी जिसे हमने स्वीकार कर लिया था और स्वीकार कर लिया है और उसी लोकतांत्रिक पद्धति के अनुसार तैयारी शुरू कर दी।

हमने इस युद्ध के सन्देश को, राष्ट्रीय संकट की भावना को प्रदेश के जन जीवन तक पहुंचाने का प्रयास किया। पंचायतों तक उसे पहुंचाया, क्षेत्र समितियों तक पहुंचाया, जिला परिषदों तक पहुंचाया और जो सुरक्षा का कार्य प्रदेश के जिम्मे था दूसरी पंक्ति की स्थापना करना, उसे दृढ़ बनाना, उसे हमने किया। इस प्रदेश की जैसी आबादी है उसे देखते हुए यह निर्विवाद है कि रुपये पैसे के अतिरिक्त हमें अपने श्रम को भी ठीक ढंग से सुनियोजित करना है, लोकतंत्रात्मक ढंग से सुनियोजित करना है और इसीलिये पंचायतों को यह अधिकार दिया है कि वह ९६ घंटे प्रति व्यक्ति से साल में श्रम ले सकती हैं और उनको सुरक्षा के कार्य में, उत्पादन के कार्यों में लगा सकती हैं। आज सुरक्षा के कार्यों को उत्पादन के कार्यों से अलग नहीं किया जा सकता।

हमारे साथी ने यह कहा कि उनको बड़ा सन्तोष होता अगर यह बजट कुछ और ऊंचा होता, ७ करोड़ के अतिरिक्त और भी रुपये इसमें दिये गये होते। मैं उनकी भावना की कद्र करता हूं

लेकिन मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि उनको इस बात को समझने का प्रयत्न करना चाहिये कि आज की सारी अर्थ व्यवस्था हम वार फुटिंग पर चला रहे हैं, आज की लड़ाई ऐसी नहीं है कि सुरक्षा के नाम पर जो पैसा खर्च किया जा रहा है वही केवल सुरक्षा में लगता है बल्कि उत्पादन बढ़ाने में, योजनाओं को जो चलाने में जो पैसा लगता है, विकास कार्यों में जो पैसा लगता है, आज की अर्थ व्यवस्था में उस पैसे का व्यय वार फुटिंग पर ही मानते हैं ।

अभी एक भाई ने पुरानी शिकायत की जो प्रायः वह किया करते हैं । उन्होंने कहा कि टैक्सेशन बहुत बढ़ा और जनता इससे बड़ी क्षुब्ध है । यह भी कहा जाता है कि जनता का उत्साह बढ़ा हुआ है, उसके साथ ही यह भी कहा जाता है कि जो टैक्सेशन हो रहा है वह उचित नहीं है, जनता उसे सहन नहीं कर सकती । मान्यवर, मैं इस सम्बन्ध में एक शब्द आप से निवेदन करना चाहता हूं कि युद्ध काल में दूसरे देशों ने अपनी अर्थ व्यवस्था किस प्रकार से संतुलित की । उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूं । सन् १९१४-१८ तक प्रथम महायुद्ध काल में इंगलैण्ड में उसका टैक्सेशन १ शिलिंग ६ पेंस पर पौंड युद्ध से पहले था तब उसको ४ शिलिंग तक कर लिया गया था और वही दूसरे महायुद्ध में ९ शिलिंग ६ पेंस पर पौंड तक पहुंच गया, यानी लगभग ५० प्रतिशत वृद्धि हुई । तो प्रदेश में आज का जो टैक्सेशन का रेट है वह हमारी राष्ट्रीय आय का १० प्रतिशत है जो युद्ध काल के लिये नाकाफी है इसे कम से कम १४ फीसदी अपनी राष्ट्रीय आय का कर पाते हैं तभी हम अपनी युद्ध की प्रक्रियाओं को सफलतापूर्वक चला सकते हैं। तो, मान्यवर, एक ऐसी फिजां पैदा करना ऐसा वातावरण पैदा करना, ऐसा मनोवैज्ञानिक धरातल पैदा करना जिससे वह जनता जो पहले से ही त्याग कर रही है कन्फ्यूजन में पड़ जाय अत्यन्त अनुचित बात है । आज हमें मुकरना नहीं चाहिये चाहे कोई भी त्याग करना पड़ेगा चाहे टैक्स की शक्ल में हो, चाहे चन्दे की शक्ल में हो, चाहे दान के रूप में हो या शुल्क के शक्ल में हो । इस प्रकार की व्यवस्था को उत्पन्न करने के लिये, इस प्रकार के वातावरण को उत्पन्न करने के लिये, आवश्यकता यह है कि हम अपनी वाणी पर संयम रखें । हमारे विवाद के तरीकों में अवसर के अनुकूल परिवर्तन हो ।

मान्यवर, मैं कुछ उन बातों की भी चर्चा करना चाहता हूं जिसको कि हमारे मित्र माननीय पंडित माधोप्रसाद त्रिपाठी ने इस आदरणीय सदन के सम्मुख रखा है। मैं किसी आदरणीय साथी के प्रति व्यक्तिगत रूप से कुछ कहना पसन्द नहीं करता, न मैं किसी की नीयत को खराब कहता हूं और न मैं यह कहना हूं कि किसी की राष्ट्रीयता में कहीं कमी है, परन्तु बड़ी नम्रता से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि मास्टरी करने के पहले किसी भी विद्यार्थी को पढ़ने जाना जरूरी होता है । मान्यवर, उन्होंने कहा कि आज १५ वर्ष से जो स्कूलों में किताबें पढ़ाई जाती हैं उनमें राष्ट्रीयता का कोई भाव नहीं है और उनको हमारी समूची शिक्षा की व्यवस्था में कहीं राष्ट्रीयता दिखाई नहीं दी । मान्यवर, मैं अत्यन्त नम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि वे एक वकील हैं और मैं एक गरीब अध्यापक हूं । अध्यापक के नाते मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रारम्भिक शिक्षा से लेकर विश्वविद्यालय तक कम से कम सोशल साइंसेज के पाठ्यक्रम से मैं थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उस पाठ्यक्रम में भारतीय संस्कृति की आत्मा गूंजती है । उसमें पूर्वजों की गौरव गाथा, और राष्ट्रीयता का पूर्ण परिचय है, उसमें राष्ट्रीयता झंकार करती है । इसका अध्ययन करने का हमारे विद्यार्थी प्रयास करते हैं । तो इस तरह से स्वीपिंग जेनरलाइजेशन कर देना कि १५ वर्ष के अन्दर राष्ट्रीयता की कोई बात नहीं हुई इस संकट काल में अत्यन्त अवांछनीय है । मैं एक चीज और कहना चाहता हूं और दृढ़ता से कहना चाहता हूं कि जो इस तरह बैठे हुये लोग हैं जिन्होंने सरकार की बागडोर अपने हाथ में ली है और जनता ने जिनको यह अवसर दिया है कि वे इस सरकार को बना कर उनकी सेवा करें वह तो पूर्ण रूप से ही राष्ट्रीय आन्दोलनों की उपज हैं । जब से राष्ट्रीयता की लहर इस २०वीं शताब्दी में उग्रतम रूप में आयी तब से विश्व की एक महानतम विभूति के नेतृत्व में राष्ट्रीय संघर्षों में भाग लिया, वही राष्ट्रीयता के सच्चे पुजारी हैं । इसमें कोई सन्देह की बात नहीं है । मैं उस राष्ट्रीयता की सीख माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी और उनके दल से सीखने के लिये तैयार नहीं हूं क्योंकि जहां तक मुझे इतिहास का ज्ञान है, उनके दल के इतिहास

[श्री रामलखन शुक्ल]

में कोई ऐसा अवसर नहीं आया है जब वे किसी राष्ट्रीयता की परीक्षा में बैठे हों और उत्तीर्ण हुये हों। जिन्होंने राष्ट्रीयता के इम्तिहान में कोई भाग ही नहीं लिया वे हमारे ऊपर इतनी कृपा तो करें कि राष्ट्रीयता का पाठ हमें पढ़ाने का साहस न करेंगे। वे हमें यह सीख दे सकते हैं कि जमींदारी किस तरह से की जाती है, वकालत किस तरह से की जाती है और राष्ट्रीय आन्दोलनों के समय भी किस तरह से जनता का शोषण किया जाता है तथा विदेशी शासकों से हाथ मिलाये रखा जा सकता है लेकिन इस तरह से हिम्मत करना, हमको यह सिखाना कि राष्ट्रीयता क्या है, या हमको राष्ट्रीयता का पाठ पढ़ाना, या हमसे इस तरह से कहना कि तुम्हारी शिक्षा व्यवस्था में कोई राष्ट्रीयता की भावना नहीं है, एक हास्यास्पद बात है। मान्यवर, मैं अपने मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि यह अनावश्यक है, अनर्गल है और गलत बात है।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि आजकल एक फैशन हो गया है यह कहने का कि जवाहर लाल जी के हाथ मजबूत करने की जरूरत नहीं है, दिल मजबूत करने की जरूरत है। यह देश के बड़े आदमी श्री गोलवल्कर जी का नारा है जिनको लोग गुरुजी कहते हैं। उन्होंने अपने हाल के भाषणों में यह नारा दिया है। यहां पर भी हमारे मित्र ने कहा कि जवाहर लाल जी के हाथ तो बहुत मजबूत हैं लेकिन दिल कमजोर है। मैं अपने मित्र से निवेदन करना चाहता हूं कि उनको नेहरू जी के दिल पर हाथ रखने का और उनकी नब्ज पर हाथ रखने का कैसे साहस होता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं जैसा कि हमारे मुख्य मन्त्री जी ने कहा कि नेहरू जी को हमको कम से कम चर्चा करनी चाहिये दुनिया के दूसरे देशों को उनको पहचानने दीजिये आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। आपको इसकी आवश्यकता नहीं है।

एक बात मैं और निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय माधोप्रसाद जी त्रिपाठी ने कहा कि शांति की रक्षा के लिये बल की आवश्यकता होती है। मैं कहना चाहता हूं कि बल की आवश्यकता तो होती है लेकिन इसके साथ-साथ बुद्धि की भी बड़ी आवश्यकता होती है। वर्तमान लड़ाई में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर, पोलिटिकल फ्रंट पर लड़ना पड़ता है और हमारे देश में, हमारी सरकार ने इस युद्ध में डिप्लोमेटिक फ्रंट पर विजय प्राप्त की है। क्योंकि सारे संसार के राष्ट्रों ने हमारे देश की नीति को स्वीकार किया है और कहा है कि हमारी नान एलाइनमेंट की पालिसी सही है, हमारी गुट निरपेक्षता की नीति सही है, हमारी शांति और पंचशील के नारे सही हैं जिनका यहां पर मखोल उड़ाया जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि इस तरह की बात करने से न तो जनता का मनोबल ही बढ़ेगा और न राष्ट्रीयता की भावना को प्रखरता ही मिलेगी। आप सुरक्षा की बात कहते रहे लेकिन कार्यवाही ऐसी करते रहें, ऐसे लेक्चर देते रहें जिससे आपके अचेतन मन के पूर्व संस्कार प्रदर्शित होते रहे और उनसे यहां की जनता का मनोबल घटे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह मौका नहीं है कि हम देश के विभिन्न दलों पर हमला करें, एक दूसरे पर कीचड़ उछालें, आज इस बात का अवसर नहीं है कि हम चुनौती किसी को दें और लें, आज तो मौका इस बात का है कि इस देश की जनता ने लोकतांत्रिक पद्धति के अनुकूल जिस दल को मान्यता दी है, जिसके ऊपर राष्ट्रीय संकट को निवारण करने की जिम्मेदारी दी है, उसके हाथ मजबूत करें। इन शब्दों के साथ मैं अनुदान का समर्थन करता हूं।

श्री मंगलप्रसाद आर्य (जिला बहराइच)—

अध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। हमारा देश संकट में है, सरकार न जागरूक थी और न है और आज सशस्त्र व्यक्ति का मुकाबला निशस्त्र कैसे कर सकता है, यह प्रश्न है। गांवों में जो ट्रेनिंग दी जाती है तो ट्रेनिंग के बाद बन्दूक नहीं दी जाती है, ऐसी ट्रेनिंग से क्या फायदा ? इसके अलावा जिनके पास बन्दूक का लाइसेन्स है उनको कारतूस नहीं दिये जाते हैं तो उस बन्दूक से बेहतर लाठी है।

श्रीमन्, हमारा बहराइच जिला नेपाल की सीमा पर स्थित है, एक बार्डर जिला है। इससे बहराइच के लिये बहुत खतरा दिखाई पड़ता है क्योंकि ल्हासा से तिब्बत तक पक्की सड़क बन गई है और वहां से काठमांडू तक मिलायी जा रही है। श्रीमन्, हमारे जिले की सुरक्षा के लिये कुछ मिलिटरी की आवश्यकता है और जो लोग बन्दूक का लाइसेंस लेना चाहें उनको बिना किसी रोक-टोक के, उनकी आर्थिक दशा न देखकर, बल्कि उनकी चाल-चलन देखकर, बन्दूक का लाइसेंस दिया जाय। साथ ही साथ कारतूस का भी प्रबन्ध कर दिया जाय। मान्यवर, इसके साथ-साथ उन गरीब किसानों का भी ध्यान रखा जाना चाहिये जिन्होंने अपने बेटे दिये हैं और आर्थिक सहायता भी कर रहे हैं। इस समय उनकी हालत इतनी खराब है कि जो वस्तु उनको खरीदना पड़ती है उसका मूल्य दिन प्रति दिन बढ़ता जा रहा है और जो किसानों की पैदा की हुई चीज है उसका मूल्य दिन प्रति दिन घटता जा रहा है। ऐसी दशा में सरकार को चाहिये कि किसान को साहस दे और उत्पादन बढ़ाने की कोशिश करे; लेकिन किसान तो इधर इमर्जेंसी में परेशान है और उधर चकबन्दी से परेशान है। मान्यवर, इमर्जेन्सी पीरीअड तक चकबन्दी न करायी जावें। इसके अतिरिक्त हमारे जिले में बहराइच के पश्चिम रुपई डीहा के पास पी० आर० डी० की ट्रेनिंग हुई थी, तो वहां से, वे लोग थाने पर बन्दूक लेने के लिये गये। १२० आदमी थे, दरोगा जी ने कहा कि १२० डाकू और पैदा हो रहे हैं। मान्यवर, उस दिन पी० आर० डी० की ट्रेनिंग पाने वालों ने दिन भर भोजन नहीं किया। उसकी रिपोर्ट की गई। बहराइच से एस० पी० वहां गये और उसकी इंक्वायरी की, परन्तु आज तक कुछ भी नहीं हुआ। यह जो ट्रेनिंग दी जा रही है पुलिस वालों को मालूम होता है कि इससे कुछ धक्का लग रहा है जिससे वह उनसे कुछ वैमनस्य रखते हैं। अगर वैमनस्य न रखते तो ऐसा क्यों कहते? ऐसी हालत में ग्रामों में जाकर सब लोगों का साहस बढ़ाना चाहिये न कि उनका साहस गिराना चाहिये। अतः मैं सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि ग्रामों के नवजवानों का साहस बढ़ायें और उनको अपने देश की सुरक्षा के लिये प्रोत्साहित करें।

*कारागार राज्य मन्त्री (श्री गोविन्दसहाय)—

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा इरादा बहस में हिस्सा लेना का नहीं था क्योंकि मैं ज्यादा वक्त अपने ऊपर नहीं खर्च करना चाहता। लेकिन चूंकि इस बहस के दौरान में आज भी और कल भी मेरा नाम लेकर कुछ चर्चा की गई है इसलिये आवश्यक हुआ कि मैं भी दो चार शब्द इसके सिलसिले में कहूं। जहां तक सुरक्षा का प्रश्न है यह बात सही है कि पीपुल्स वार जिसे आप लोगों की लड़ाई कहते हैं हिन्दुस्तान को और हम सबको पहली बार लड़ने का मौका मिला है और इसलिये इस लड़ाई में सभी को अपना मस्तिष्क लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से हम अपने सब साधनों को जुटायें और अपने देश की शक्ति को बढ़ायें। आज कल की लड़ाई में दो चीजों की बड़ी जरूरत है। पहली चीज जो सबसे ज्यादा जरूरी चीज है वह है, जिसे मनोबल कहा जाता है, मोरेल जिसे कहा जाता है, और फिजिकल प्लेन पर आर्थिक और औद्योगिक विकास के साथ-साथ सैन्य तैयारी, इन दो चीजों की सबसे ज्यादा जरूरत है आजकल की लड़ाई के लिये। मनोबल इसलिए और भी ज्यादा जरूरी है, पिछली लड़ाई का इतिहास यह बताता है, कि जिन देशों के पास पूरी सैनिक तैयारी थी, सब तरह के उनके पास हथियार थे लेकिन उनका मनोबल ठीक नहीं था वह हार गये। मिसाल के तौर पर फ्रान्स जैसा देश, जिसकी सब प्रकार की तैयारी थी, मनोबल कमजोर होने की वजह से, सिविल पापुलेशन का अपनी नीतियों में और अपने देश में विश्वास न होने की वजह से फ्रान्स १५ दिन में हार गया। इसलिये इस बात में सभी सदस्य एक हैं कि मारेल एक होना चाहिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री गोविन्दसहाय]

अब यह देखना है कि मोरेल किन बातों से बनता है। एक एक शब्द जो हम बोलते हैं उससे मोरेल बनता है। मोरेल बनाने के लिये सब से अच्छी मशीनरी क्या हो सकती है और मोरेल कहां इर्दगिर्द इकट्ठा होता है? युद्धकाल में मोरेल इकट्ठा होता है देश की सरकार और देश के नेतृत्व के इर्दगिर्द यानी मोरेल देश की सरकार की शक्तियां, उसकी नीतियां और उसके नेतृत्व का प्रतीक है। वह लाखों लोगों के अन्दर ,करोड़ों लोगों के अन्दर आस्था, आशा, विश्वास और कुरबानी करने की भावना पैदा करता है, जाग्रत करता है। अगर इस दृष्टि से इस प्रश्न को देखा जाय तो अपोजीशन के दोस्तों से जितना बल इस बारे में मिलना चाहिये था उतना बल नहीं मिला और बजाय इसके जो समूचा अपरोच मुख्यतः कई पार्टीज का और विशेषतः जनसंघ के दोस्तों का जो मुख्य अपरोच है वह अपरोच ए से लेकर जेड तक इस देश के नेतृत्व के अन्दर अविश्वास पैदा करना ,उसकी नीतियों को गलत साबित करना और हर कदम-कदम पर लोगों के दिमाग में इस चीज को भरना है कि यह नेतृत्व इस लड़ाई को अच्छी तरह से नहीं लड़ सकता है। इस सिलसिले में कोई मौका नहीं था, लेकिन मैं नहीं जानता कि किस वजह से २, ३ रोज से जनसंघ के हमारे दोस्त एक खास ढंग के प्रचार की प्रणाली अपना रहे हैं। जिन बातों का मुझसे सम्बन्ध है मैं उन बातों का ही जिक्र करना चाहता हूं ताकि किसी को गलत-फहमी न हो। जो मेरे सोचने का ढंग है और जिन बातों के लिये मैं खड़ा होता हूं उसके लिये दो माने लगाने की कोई गुंजायश नहीं है। मैं एक कांग्रेस मैन हूं और कांग्रेस के सिद्धान्त को मानता हूं। मुझे उसके लिये क्या करना है यह मैं जानता हूं। मुझे किसी से कांग्रेस मैन होने का सर्टिफिकेट नहीं लेना है और न मुझे देशभक्त होने का सर्टिफिकेट किसी से लेना है। जहां तक मैं कांग्रेस के सिद्धान्तों को जानता हूं उनमें मेरा अटूट विश्वास है। आज भी जिन बातों के लिये यह देश खड़ा है उसके बारे में मैं यह मानता हूं कि कांग्रेस के अलावा किसी दूसरी राजनीतिक पार्टी के जरिये से उन भौतिक उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकती है। इसलिये उस को बरकरार रखना, उसके लिये लड़ना, उसके सिद्धान्त के लिये लड़ना मैं अपना फर्ज समझता हूं। उस फर्ज को अदा करने के कारण अगर कुछ दोस्तों को मेरी बातें अच्छी न लगें तो मैं अपने रास्ते से हट नहीं सकता हूं।

जहां तक नीति का ताल्लुक है, हमारी जो मौलिक नीति है उसमें अगर आप यह कहें कि हम युद्ध में मदद तो करना चाहते हैं और इतना ही नहीं, बल्कि यह कहें कि हमें भी इस देश से प्रेम है और हमसे ज्यादा प्रेम है तो आप कम से कम अगर यह बात कह दें कि हमको भी देश से प्रेम हो सकता है तो आप को इसमें क्षति नहीं होगी, आपकी इज्जत खराब नहीं होगी और आप की नीति पर कोई शिकायत नहीं होगी। जहां तक देशभक्ति का सम्बन्ध है, यह सही है कि कांग्रेस ने देशभक्ति का और राष्ट्रीयता का जिस किस्म का विकास किया है उनसें जनसंघ की राष्ट्रीयता का रूप बिलकुल दूसरा है। उदाहरण के लिये मैं बताऊं, जनसंघ के साहित्य को जिन दोस्तों ने पढ़ा है उसमें हर दृष्टि से यह बताया गया है कि केवल अमुक धर्म में पैदा होने वाला आदमी ही देशभक्त हो सकता है। आपके देश भक्त की जो परिभाषा है उसके अनुकूल हममें से हरएक आदमी उसका विरोधी है। मैं समझता हूं मुझे इसमें कोई शिकायत नहीं है। मगर उसकी वजह से हमें बहस नहीं करनी चाहिये। सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि इस बात को उलझाने से कि कांग्रेस पार्टी में अंदरूनी इतने झगड़े हैं, इतने गुट हैं, कोई फायदा होने वाला नहीं है। पहले बराबर कहा जाता था कि अपोजीशन के झगड़ों का आप फायदा उठाना चाहते हैं और आज रोज अखबारों में कांग्रेस के झगड़ों का चर्चा होता रहता है। मैं समझता हूं कि इससे देश की राजनीति ठीक होने में, यह सुरक्षा का प्रश्न हल होने में कोई मदद मिलने वाली नहीं है। मैं समझता हूं कि हमको अपने लिए एक कोड आफ कंडक्ट तय कर लेना चाहिये। मोरेल बनते हैं नीतियों पर विश्वास पैदा करने से। इस सरकार को लड़ाई के जमाने में बहुत से अप्रिय काम करने पड़ेंगे। जब सवाल होता है कि आदमी कैसे बढ़े, रिसोर्सेज कैसे बढ़ें, तो उसके लिये लाजमी तौर पर लोगों पर हमें टैक्स लगाने पड़ेंगे, और अगर टैक्स बढ़ाने की बात की जाती है

तो उसका यहां विरोध किया जाता है, लेकिन उसके साथ ही कहा जाता है कि हम लड़ाई के लिये तैयार नहीं हैं। तो यह दोनों बातें साथ नहीं चल सकतीं। गाड़ी तभी चल सकती है कि जब हम सब मिल कर अपने लिये कुछ बेसिक बातों का एक कोड तैयार कर लें और वह यह होना चाहिये कि जहां तक देश में युद्ध प्रयास का सम्बन्ध है उसमें सभी पार्टियां मिल कर उसके लिये जनमत तैयार करेंगी क्योंकि उसके लिये लाखों, करोड़ों आदमियों को टैक्स देना पड़ेगा, कुर्बानी करनी पड़ेगी, अपने बच्चों को लड़ाई पर भेजना पड़ेगा, अपने मकानों को तबाह होते देखना पड़ेगा और यह सब उस समय तक नहीं हो सकता जब तक कि देश में एक संकल्प और उत्साह का वातावरण न हो। इसलिये मैं ज्यादा वक्त न लेता हुआ इतनी ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि जिन बातों पर हमारा कामन एग्रीमेंट हो उनमें व्यक्तिगत बातों पर न जा कर, हमें मूल बातों पर ही जोर देना चाहिये। अभी तो लड़ाई की शुरुआत नहीं हुई है। उसमें लाखों, करोड़ों आदमियों को बड़ी वेदना सहनी पड़ती है, देश की समूची जनता पर बड़ा भार पड़ता है। और उसे हम और आप तभी सह सकते हैं कि जब मूल बातों पर हमारा विश्वास हो।

अंत में मैं आशा करता हूं कि इस प्रयास में हमारे जनसंघ के भाई भी हमारा साथ देंगे। हमको बहस के लिये काफी मौका रहेगा, लेकिन उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जहां तक कांग्रेस का ताल्लुक है, उसमें भले ही आपस में मतभेद रहे हों, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने एक आवाज से उन बातों की निन्दा की है जो इस प्रयास में मतभेद उत्पन्न करने का कारण हुई हैं। मैं नहीं समझता कि उस प्रकार की बातें ठीक हैं और यह कोई नई बात नहीं है। हिटलर ने जर्मनी में इसी नीति को अपनाया था। सोशलिस्ट डेमोक्रेसी में आपस में तफरके होते हैं और उसने बड़ी होशियारी से माइनारिटी का नाम ले कर, लैफटिस्ट का राइटिस्ट का नाम ले कर, उनको लड़ा कर लाभ उठाया था। तो उस इतिहास को दोहराने से कोई फायदा नहीं होने वाला है। हम इतिहास से काफी सबक सीख चुके हैं और हम इसका फायदा आपको नहीं उठाने देंगे। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि पर्सनल बातों को ले कर इस काम में कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश न कीजिये।

श्री भगवानदास यादवेन्दु (जिला आगरा)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। हमारा प्रदेश सीमावर्ती प्रदेश है और इसलिये यहां के नागरिकों का मनोबल ज्यादा ऊंचा होना चाहिये। अभी हमारे मंत्री जी ने कहा कि बड़ी से बड़ी जरूरत हो तो हमारे पास उसके लिये फौजी शक्ति हो और बड़े से बड़े हमारे पास साधन हों और अच्छे हथियार हों। फिर भी, जैसा कि अभी मंत्री जी ने कहा कि अगर हमारे अन्दर मोरेल नहीं है और मनोबल की कमी है, तो हम उस लड़ाई में कामयाब नहीं हो सकते हैं। हमारे देश में आजादी आने से पहले जरूर एकता की भावना थी कि हम हिन्दुस्तानी एक हैं, हम इस तरह की बात जरूर सोचते थे और कहते थे परन्तु अब उसमें कमी हुई है। इन १५ सालों में इस कदर जातिवाद और तास्सुब, लोगों में आपस में तरह-तरह के भेद-भाव पैदा हुए हैं कि मैं समझता हूं कि हमारे देश और प्रदेश दोनों की ही रक्षा के लिये ये बातें बाधक हैं। मैं तो यह देखता हूं कि केवल भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया में आज एक हवा फैल गई है और सारी दुनिया की प्रतिक्रियावादी शक्तियों और प्रोग्रेसिव शक्तियां आपस में एक दूसरे को दबाने के प्रयास में लगी हुई हैं। आपने स्वयं देखा होगा कि हमारे देश की सीमा पर हमला होने के बाद देश में कुछ ऐसी घटनायें हुईं कि एक राजनैतिक दल ने दूसरे दल पर आरोप लगाये और ऐसा वातावरण पैदा किया गया जो कि देश और प्रदेश के हित में नहीं था। वह संकट कालीन स्थिति को देखते हुए उचित नहीं था। वह न तो हमारे विरोधीदल के लोगों को शोभा देता है और न हमारे सत्ताधारी दल के लोगों को ही। मैं यह देखता हूं कि जो अपने को देश का बड़ा शुभचिन्तक समझते हैं और जो देश की रक्षा के लिये अपने सम्भाषणों में बड़ी लम्बी चौड़ी बातें करते हैं और जो अपने को प्रगतिशील कहते हैं, उन्होंने ही आज जिस प्रकार से सदन का समय नष्ट किया, वह भी जरा सी बात

[श्री भगवानदास यादवेन्दु]

पर, वह क्या शोभा की बात है ? जरा सी बात पर वाक आउट दिन भर के लिए करना वह कहां तक उचित है ? इस तरह की बातें करना शोभनीय नहीं है ।

मैं माननीय मुख्य मन्त्री जी से यह निवेदन करूंगा कि वे अपना ध्यान जरा मेरी ओर आकर्षित करें कि आज भी जो पाकिस्तान से लोग पासपोर्ट ले कर आते हैं, वह अपने पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो जाने पर आज भी हजारों की तादाद में रह रहे हैं। मैं यह नहीं कहता हूं कि पाकिस्तान से आए हुए सभी व्यक्ति इस देश के अथवा प्रदेश के सीक्रेट और बातें वहां ले जायेंगे, परन्तु अधिक समय तक उनका रहना ठीक नहीं है । आप देखें कि पाकिस्तान और चीन का जो फौजी गठन हुआ है, उससे हमें एक सबक लेना चाहिए और जागरूक रहना चाहिए। इसके साथ ही साथ डिफेन्स की ओर भी हमारा उचित ध्यान जाना चाहिये । जो फिफ्थ कालमनिस्ट हैं, जिनसे हमारी आन्तरिक सुरक्षा को खतरा हो सकता है, उनसे हमको सावधान रहना चाहिए। मैं आप को बताऊं कि आज चीन ने हमारे सीमावर्ती क्षेत्र पर २२ ट्रांसमीटर लगा रखे हैं, जो कि दिन रात लोगों में भारत के विरुद्ध प्रचार किया करता है । वहां की सरकार उन सीमावर्ती लोगों में इस तरह का प्रचार किया करती है कि चीन की सरकार ही जनता की सरकार है । वह गरीबों की तरक्की के लिये काम करती है । उनके , इस प्रचार से उस इलाके के लोगों का मनोबल काफी घट रहा है । इसलिये मैं चाहता हूं कि हमारी सरकार को भी इस तरह का कोई प्रबंध करना चाहिए उन क्षेत्रों में, जिससे कि वह चीन का प्रचार रुक सके। मेरा इस सम्बन्ध में स्पष्ट सुझाव यह है कि हमारे नेताओं को उन सीमावर्ती क्षेत्रों में जा कर उनके प्रचार के विरुद्ध जनता को उनकी सुरक्षा का आश्वासन देना चाहिए और अपना प्रचार करना चाहिए, ताकि वहां जनता सच्ची हालत समझ सके ।

श्रीमन्, मैं एक बात और कहूंगा कि अभी कुछ दिन पहले २५ दिसम्बर को हमारे मुख्य मंन्त्री जी आगरा गये थे। वहां पर उनको किसी होटल का उद्घाटन करना था और उनके साथ एक एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर सूचना विभाग भी थे। वह शायद सूचना कलेक्ट करने के लिये गए थे। उसके बाद वह सूचना विभाग के एसिस्टेन्ट डाइरेक्टर महोदय ऐसी गन्दी जगह पर पकड़े गए, जो कि हमारे सब के लिए बड़े शर्म की बात है। उनको पुलिस ने उस गंदी जगह पर पकड़ा था। मैं कहूंगा मुख्य मन्त्री जी से कि मुझे पता चला है वहां के डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ने भी उसके लिए अपनी एक रिपोर्ट भेजी है कि ऐसे अधिकारियों पर हमें कम से कम निगाह रखनी चाहिए जो डिफ़ेन्स वर्क के लिए जिम्मेदार हैं और इस तरह के गलत कामों में पकड़े जाते हैं। जो इस कदर डिमोरेलाइज्ड हों कि मुख्य मन्त्री जी के साथ सूचना का काम करें और शाम को पुलिस उन्हें ऐसी जगह पकड़े जिसका नाम भी कोई नहीं ले सकता। मैं किसी दलगत भावना से नहीं कहता, इस पर हमें अवश्य विचार करना चाहिए। साथ ही जब भी डिफेंस कार्य से आप लोग जनता में जायें, प्राइवेट पार्टियों और फंकशंस में जाना नहीं चाहिये चाहे वह किसी भी वर्ग व पार्टी द्वारा आयोजित की गयी हो उससे आप को अलग होना पड़ेगा और आराम हराम करना पड़ेगा वह बड़ी-बड़ी पार्टियों की चमक-दमक की जिन्दगी को छोड़ना पड़ेगा, तब तक छोड़ना पड़ेगा जब तक हम उस चीनी हमलावर को अपनी मात्र भूमि से दूर नहीं भगा देते हैं।

समाजवादी दल के माननीय सदस्य सदन में नहीं हैं, लेकिन मैं आज इस विषय परके अवश्य कहूंगा कि एक दिन माननीय सदस्य द्वारा सवाल किया गया कि मार्शल रेस के व्यक्तियों को क्या सुविधा दी जा रही है । मैं कहता हूं कि मार्शल रैस और नान-मार्शल कौन हैं । उधर सत्ताधारी दल की तरफ से भी लाबी में कहा जाता है, लेकिन वे माननीय सदस्य हाउस में नहीं कहते हैं। अगर आप ऐस भेद रखते हैं तो मैं बता देना चाहता हूं कि भले ही वह महामना मनु और शुक्राचार्य के जमाने में यह व्यवस्था रही होगी जबकि विशेष वर्ग के लोगों को सुरक्षा का भार दिया गया हो ,लेकिन जबकि आज हमें देश में पीपिल्स वार डिक्लेयर करनी है, जन-जन के अन्दर लड़ाई की की भावना भरनी है, सुरक्षा की दृष्टि से हिन्दुस्तान का हर वह आदमी जो १८ वर्ष का बालिग

आदमी है वह मार्शल रेस का है। यह कोई शोभा की बात नहीं है उन प्रगतिशील कहलाने वाले तत्वों के लिये जो नारा लगाते हैं प्रगतिशीलता और समाजवाद का लेकिन काम और व्यवहार में प्रतिक्रियावादी सिद्ध होते हैं और फासिस्ट-वादी सिद्ध होते हैं, कि वह इस तरह से मार्शल और नान-मार्शल रेस की बात करें। ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि १८ परसेंट का रिज़र्वेशन है, सीटों पर आ गये हैं, विधान सभा और लोक सभा में डिप्टी मिनिस्टर और मिनिस्टर हैं लेकिन लड़ाई पर क्यों नहीं जाते। लेकिन मैंने तो उलटा देखा है, मेरे पास तो शिकायतें आयी हैं कि परिगणित जातियों के लोग भर्ती होने के लिये जाते हैं और उन्हें लेने से इन्कार किया जाता है। मैंने मुख्य मन्त्री जी से भी इसी सदन में प्रश्न किया था और यहां पर उसका जवाब देने के लिए स्पीकर साहब ने एलाऊ नहीं किया। अभी पिछले दिनों जो युद्ध चला तो महार बटालियन के, जिसके श्री अम्बेदकर थे, कामले ने लड़ाई लड़ी और फतह हासिल की। इससे पहले सी० एन० सी० आफ इंडिया Second World War में इन परिगणित जाति की बटालियन की बहादुरी की सराहना की थी।

श्री उपाध्यक्ष—

आपका समय समाप्त हुआ।

श्री जे० पी० मिश्र (जिला हरदोई)—

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मन्त्री जी ने जो अनुदान प्रस्तुत किया है उसके समर्थन में मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूं। इतनी देर से मैं बहस सुनते-सुनते इस नतीजे पर पहुंचा कि प्रतिक्रियावादी का जोर है, अभी दम है प्रतिक्रियावादी में। इमरजेंसी के युग में, माननीय मुख्य मन्त्री जी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जितनी ताकत लगा कर आप सुरक्षा का प्रबन्ध करना चाहते हैं, जहां वह कार्य आप करते हैं, वहां आप को उतनी ही ताकत लगा कर इन प्रतिक्रियावादी ताकतों को भी खत्म करना पड़ेगा। बिना उसके देश का भला होने वाला नहीं है। जिनके विचार और कार्यक्रम इस प्रदेश के साथ न रहे हों, इस देश के साथ न रहे हों, जिनका काम राष्ट्रीय संस्थाओं को चोट देने का रहा हो, जिनका काम इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर हमला करना ही रहा हो, उसे नीचे उतारने का ही लक्ष्य रहा हो, उनको माननीय मुख्य मन्त्री जी को निगाह में रखना पड़ेगा, उन्हें खत्म करना पड़ेगा। इमरजेन्सी के मौके पर जिस भाषा का इस्तेमाल यहां सदन में किया जाता है वह उनकी स्वयं की भाषा है, वह जनता की भाषा नहीं है। जनता में हम इमरजेन्सी के खिलाफ एक मिनट नहीं बोल सकते, सदन के बाहर यहां लखनऊ में या उसके मोहल्ले में कह सकते हैं, मगर देहात में नहीं बोल सकते हैं, देहात की जनता उसको अच्छी तरह से समझती है। संकटकाल में उत्तर प्रदेश की जनता ने समझ लिया है कि कौन हमारा हितैषी है। इस संकट के समय आप इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करके या प्रदर्शन आदि करके जनता का कोई लाभ नहीं कर सकते।

मैं, श्रीमन्, आपके माध्यम से माननीय मुख्य मन्त्री जी की सेवा में यह सुझाव पेश करना चाहता हूं कि जहां आप प्रदेश की सुरक्षा का प्रबन्ध कर रहे हैं, पी० आर० डी० और होम गार्ड्स को तरक्की दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं, वहां आप जरा इन लोगों पर भी कड़ी निगाह रखें। जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं और उन रास्तों पर चलते हैं जो यहां सदन में देखने को मिलता है, प्रजातंत्र के नाम पर हम उसको यहां सुनने के लिये मजबूर हैं, लेकिन इस भाषा का प्रयोग बाहर सड़क पर नहीं कर सकते। मैं यह निवेदन करूंगा कि ऐसी भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ आप सुरक्षा नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही करें, अगर इसमें ढील की गयी तो आप यह समझ लें कि आप, माननीय मुख्य मंत्री जी इस भाषा को सुन सकते हैं, माननीय उप-गृह मंत्री, श्री नवल किशोर जी, उस भाषा को सुन सकते हैं, मगर जनता उसको नहीं सुनेगी और वह उनको सबक देने लगेगी और फिर वह डर पैदा हो जायेगा कि कहीं हिंसा का प्रयोग होने न लगे। इसलिये मैं आपके माध्यम से सरकार को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इस किस्म के लोगों के खिलाफ वह कड़ी निगाह रखे और जो यह पौने तीन सौ के करीब आपके साथी हैं

[श्री जे० पी० मिश्र]

यह तो बराबर रहेंगे ही, बल्कि यह ४३१ हो जायेंगे, कोई घबराने की बात नहीं है, जो यह जनता के प्रतिनिधि होने का दावा करते हैं, इनमें से कोई लौट कर आने वाला नहीं है।

दूसरी बात जो मैं आपके माध्यम से श्रीमन् कहना चाहता हूं वह यह है कि जितना भी हमारा चीन की सरहद से मिला हुआ प्रदेश का इलाका है, मैं उसके लिए एक सुझाव आपको दे देना चाहता हूं। उस सारे इलाके में जो १०० मील का करीब बार्डर आपका है, उसके उपर आप एक-एक बालिग को हथियार दें, बगैर इस बात के लिहाज के कि आप हथियार सप्लाई नहीं कर सकते, यह आपकी जिम्मेदारी है। लड़ाई होगी, चीन हमला करेगा, पाकिस्तान का मामला अभी नाजुक है कोई नहीं जानता कि क्या परिस्थिति अप्रैल में पैदा हो। मैं आपके माध्यम से प्रदेशीय सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि दो दुश्मन हमारे हैं जिनकी निगाहें नीची नहीं हुई हैं। फौज केन्द्रीय सरकार का विषय है। प्रदेश की रक्षा का भार, माननीय गुप्ता जी, आप के कंधे पर है। इस बात का बुरा न मानिये अगर हम में से या बाहर कोई आप से कहे कि टैक्स ज्यादा है, आपने चूर कर दिया है, सरकार का खर्चा ज्यादा है। इन सब बातों पर आप तवज्जह न दें। सिविल डिफेंस के लिये आप एक पोर्टफ़ोलियो अलग बना दें। जिले-जिले में उसकी ब्रांच हों, जिले-जिले में पी० आर० डी० और होम गार्ड्स की ब्रांच हों। जो फौज में भरती होना चाहते हैं, अपना खून देना चाहते हैं, उनके लिये जिले-जिले में प्रबन्ध होना चाहिये कि उन्हें ऐसा करने में कोई कठिनाई का सामना न करना पड़े। इससे आप देखें कि जनता का मनोबल कितना ऊंचा होता है और वह कितनी आपके साथ है।

जिस तरह से इस सरकार ने, माननीय गुप्ता जी की सरकार ने, जनता में विश्वास पैदा किया है, वह ४–५ महीने में देखा जा चुका है। जिस जिले में माननीय मुख्य मन्त्री जी गये, बिना कहे लोगों ने उन्हें सुरक्षा कोष के लिये रुपया दिया। जनता ने उनका स्वागत किया है। हजारों की तादाद में लोगों ने उनके सामने आ कर रुपया दिया। मेरे जिले में वह गये थे। किसी से उन्होंने नहीं कहा और एक जगह जिला कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में जा कर बैठ गये। लोगों ने १०१, ५०१, ५०, १००, १० रु०, जैसा जो कोई दे सकता था, उसने दिया। हरदोई जिले के लिये मैं कह सकता हूं कि एक पैसा भी ऐन० डी० एफ० में आम जनता की मरजी के खिलाफ नहीं वसूल किया गया है। आप, माननीय मुख्य मन्त्री जी, विश्वास रखें कि हम लोग २५०, २७५ आपके साथ हैं, जनता आपके साथ है, ये लोग जो सामने बैठे हैं अब यहां नहीं आ सकेंगे। इन २५०, २७५ में से किसी ने भी शिकायत नहीं की कि नेशनल डिफ़ेंस फ़ंड में एक पैसा भी जबरदस्ती वसूल किया गया। इन १५० में से कुछ आदमियों की ऐसी शिकायत का मकसद ही दूसरा है। वे इस सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। इस बदनामी से अगर आप डर गये, माननीय मुख्य मन्त्री जी, तो यह प्रदेश कहीं का नहीं रहेगा और मुझे पूरा यक़ीन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। जो भाषा यहां प्रयोग होती है वह नहीं होनी चाहिये। हमारे जज़बात को उनसे ठेस पहुंचती है। इस प्रतिक्रियावाद को सरकार को रोकना ही होगा। लोहिया, मसानी, गुरु जी, राजा जी, इस ऐक्सिस की तरफ जरा निगाह रखें। ये खतरनाक लोग कहीं जयचन्द को भी मात न कर दें। इनसे खतरा है और प्रान्तीय सरकार को सावधान रहने की जरूरत है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस सुरक्षा सम्बन्धी अनुदान पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया है।

विपक्ष की ओर से जो कटौती का प्रस्ताव पेश हुआ है मैं उसका समर्थन करना चाहता हूं। श्रीमन्, इसके पहले कि मैं कुछ कहूं, मैं अपने माननीय जेल मन्त्री जी, गोविन्द सहाय जी, के भावों का स्वागत करता हूं और उनको यह बताना चाहता हूं कि जनसंघ और संघ के बारे में जो उनके विचार हैं वह आज से नहीं, ४६–४७ से ही इस देश भर की जनता जानती है। लेकिन

उनके ये विचार संघ और जनसंघ के बारे में वरदान ही सिद्ध हुए हैं। आज चीन और पाकिस्तान के पक्ष की बात कह कर जो कुछ लोग जनसंघ और संघ पर हमला करते हैं उनसे जनसंघ और संघ के लिये जनता में अनुकूल वातावरण ही पैदा होता है। इसलिये मैं उनको बधाई देता हूं।

चीन का भारत पर आक्रमण हुआ लेकिन कुछ कम्युनिस्ट विचाराधारा के तथा कथित प्रगतिवादी विचारधारा के कुछ लोग जो कांग्रेस में हैं वे कहते हैं कि इस आक्रमण के लिये चीन के साथ कम्युनिस्ट शब्द का प्रयोग न करो और उसका नतीजा यह हुआ है कि 'कम्युनिस्ट चीन ने आक्रमण किया' इस प्रकार के शब्द सरकार की ओर से कहने बन्द कर दिये गये हैं। मैं सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि साम्यवादियों की तो यह नीति है कि छिपकर हमला किया जाय। यह हमला जो भारत पर आज हुआ दिखाई पड़ता है वह आज नहीं, आज से १० साल पहले हुआ था। आज से १० साल पहले हिन्दी चीनी भाई भाई थे जबकि वहां पर बौद्ध धर्म था लेकिन जब से वहां कम्युनिस्ट आये उन्होंने उसको समाप्त कर दिया। और उसके बाद उन्होंने तिब्बत पर भी अपना कब्जा कर लिया और करोड़ों की संख्या में वहां के निवासियों को समाप्त करने के पश्चात् वहां के बच्चों के दिमाग को बदलने का अटेम्प्ट किया जा रहा है, यह सबको विदित ही है।

इसके अलावा यह जो बाहर से दिखाई देता है कि ख्रुश्चेव चीन का साथ नहीं देंगे, यह केवल बाहरी दिखावट की बात है। लेकिन किसी को इस भ्रम में नहीं रहना चाहिये, वह तो भाई भाइयों का झगड़ा है। यह किसको मालूम नहीं है कि रूस से जो मिग विमान हमारे यहां आये वे उड़कर नहीं आये, पानी के जहाज में आये और कितने दिन बाद, इसको मैं कहना नहीं चाहता। इसलिये यह समझते रहना चाहिये कि वह (रूस) सदा कम्युनिस्ट चीन का हामी रहेगा। जो भी कम्युनिस्ट विचाराधारा के लोग हैं, चाहे वे अलग पार्टी बना कर काम करते हों अथवा कांग्रेस में ही रह कर काम करते हों, उनसे हमें सतर्क रहना होगा, समय पड़ने पर उनके ऊपर पाबन्दी लगानी होगी और अगर आवश्यकता हो तो उनको जेल में भी बन्द रखना होगा, अन्यथा जनता का मनोबल ऊंचा नहीं हो सकता।

पंडित नेहरू के नेतृत्व के बारे में भी कहा गया। मैं उन लोगों से साफ-साफ पूछना चाहता हूं कि जनसंघ के किस आदमी ने, किस शाखा ने और कब कहा कि पंडित नेहरू को निकाल दिया जाय। प्रदेशीय जनसंघ की शाखा ने तो प्रस्ताव पास किया कि चन्द्रभानु गुप्त जी हमारे प्रदेश की रक्षा करें और अखिल भारतीय जनसंघ ने प्रस्ताव पास किया कि देश की रक्षा के लिये हमें पंडित नेहरू में विश्वास है। लेकिन डाक्टर जेड० ए० अहमद साहब किससे अपील करते हैं? वे अपील करते हैं वर्ल्ड कम्युनिस्ट फोर्सेज से। जिस पर उन्हें विश्वास है उसी से तो वे अपील करते। अगर उनको पंडित नेहरू में विश्वास होता तो वे पंडित नेहरू से अपील करते। वे कहते हैं कि चीन का दिमाग खराब हो गया है और हमारा जनवाद चीन का जनवाद नहीं है। लेकिन यह किसे मालूम कि आप किस जनवाद के समर्थक हैं? माननीय गोविन्द सहाय जी ने कहा कि कम्युनिस्टों पर विश्वास कीजिये। ठीक है, हम विश्वास कर लेते अगर कम्युनिस्ट पार्टी अपने उन ४० आदमियों को अलाहिदा कर देती जिन्होंने चीन का समर्थन किया था और कहा था कि वे इस बात को मानने के लिये तैयार नहीं हैं कि चीन ने आक्रमण किया है अथवा उन आदमियों को अलाहिदा कर देती जो न्यूट्रल रह गये थे। लेकिन जब तक इस प्रकार की खिचड़ी उनकी पार्टी में पक रही है तब तक उनके ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता। यहां पर सुरक्षा की बात उठाई गयी इसलिये यह बात मैंने कही। जब तक हम इस बात का ध्यान नहीं रखेंगे तब तक चीनी आक्रमण का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। जहां तक चीनी आक्रमण का सम्बन्ध है, कुछ तथ्यों को हमारी सरकार ने स्वीकार किया, प्रधान मन्त्री ने स्वीकार किया। परन्तु कम्युनिस्ट चापलूसी में उल्टी बात ही कहते हैं। रक्षा मन्त्री मेनन ने कहा कि हमारी फौजें

[श्री रक्षपालसिंह]

पाकिस्तान की तरफ लगी हुई थीं जिससे हमें धोखा हुआ, लेकिन यह उसका मतलब भी गलत ही लगाते हैं। यहां तक कि चीन के वापस जाने की बात को भी ये दूसरी तरह से ही कहते हैं। इनका कहना है कि ख्रुश्चेव का दबाव पड़ा इसलिये चीन वाले लौट गये। इस बात को वे नहीं मानते कि हमारे पास बाहर से इतनी सैनिक शक्ति आ गयी थी कि वे हमसे लड़ नहीं सकते थे और इस डर से चले गये। माननीय गोविन्द सहाय जी को इस पर भी ध्यान देना चाहिये। वह इस बात को स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं कि बाहर से हमारे पास आर्म्स आ गये थे और वे हमसे लड़ नहीं सकते थे इस वजह से चले गये। आपका कहना है कि वह तो साम्राज्यवादी देश है और जब हमने चिट्ठी भेजी तो वे अपने आप लौट गये। तो इस तरह की भ्रमात्मक बातों से जनता को जो गुमराह करने की चेष्टा की जाती है उससे देश का मनोबल भी गिरता है, इसलिये इससे भी सरकार को सतर्क रहने की जरूरत है।

पंडित जी से यह कहने पर कि कैबिनेट में मेनन के रहने से जनता को गुमराह करने की चेष्टा की जाती है, इसलिये उनको हटा दिया गया। और यह सही बात है कि इससे देश को बल मिला। जनसंघ को आप चाहे हजार गाली दे लें, उसे प्रतिक्रियावादी या जो कुछ कहना हो कह लें, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया कि केन्द्र के मन्त्री श्री केशवदेव मालवीय को कैबिनेट की ओर से यहां क्यों निमन्त्रित नहीं किया गया। श्री केशव देव मालवीय ने जिन लोगों के बीच में भाषण दिया उनमें वही ४०–५० आदमी भी थे जिनका सम्बन्ध श्री गोविन्द सहाय जी व कम्युनिस्ट पार्टी से है। वे लोग छिप कर वहां गये। इसके प्रमाण में मैं श्री कृष्णानन्द राय व श्रीमती सुशीला जी का नाम लेना चाहता हूं। जब श्री केशवदेव मालवीय जी ने यह कहा कि इस तरह से प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती तो माननीय कृष्णानन्द राय जी ने पूछा कि आप सेंटर में मन्त्री किस लिये बन कर बैठे हैं जब कि आपके होते हुए इस प्रदेश की उन्नति नहीं हो सकती। एक विचित्र स्थिति है। आज की स्थिति में इस पर विशेष दृष्टि रखनी है कि कौन देश का दुश्मन है और कौन साथी है। इस पर विचार करना होगा, तभी लड़ाई जीती जा सकती है।

अब नागरिक सुरक्षा परिषद् के सम्बन्ध में कुछ बातें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रत्येक जिले में सुरक्षा परिषद् बनी हुई है। श्रीमन्, मैं बड़े अदब के साथ विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सुरक्षा परिषदों में "पीस सम्मेलन" के लोग भरे पड़े हैं। तेजपुर में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट ही था जो वहां से भाग गया, जिसका असर यह पड़ा कि जनता में भगदड़ मच गयी। अगर जनता का मनोबल नहीं गिरता तो ऐसी बात नहीं होती।

मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि सरकार की तरफ से ही जनता के मनोबल को गिराने वाले अधिक कार्य किये जाते हैं। पहले तो चुनाव के सिलसिले में कहा गया कि आक्रमण हो गया है इसलिये चुनाव नहीं होगा लेकिन अब आपातकालीन स्थिति के रहते हुए भी चुनाव कराया जा रहा है। प्रधान मन्त्री तो कहते हैं कि चुनाव में क्रिटिसिज्म हो सकता है और लाल बहादुर शास्त्री कहते हैं कि नहीं हो सकता। आखिर जब चुनाव होगा तो लोग एक दूसरे को गाली देंगे। नतीजा यह होगा कि श्री लालबहादुर शास्त्री डी० आई० आर० के नाम पर लोगों को बन्द करना शुरू कर देंगे। तो यह सोचने की बात है कि इससे देश का मनोबल गिरेगा या बढ़ेगा। जहां तक प्रान्तीय सरकार की बात है, जोतकर बिल पहले वापस लिया गया लेकिन आपातकालीन स्थिति के कुछ कम होते ही २५ प्रतिशत लगान के ऊपर बढ़ाने का बिल पास करा लिया गया। तो इसका भी लोगों के ऊपर क्या असर पड़ता है, इसको आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं।

जहां तक चन्दे के लिये कोटा फिक्स करने की बात है, उसके कारण ही जोर जबरदस्ती होती है।

श्री राजनाथसिंह (जिला गाजीपुर)---

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इस वर्ष ने हमारे इतिहास में एक नया मोड़ उपस्थित किया है। चीन ने हमारे देश पर बर्बरतापूर्ण अकारण आक्रमण किया है। इसके कारण हमारे देश में एक विशेष परिस्थिति का सृजन हुआ है और एक विकट समस्या हमारे देश के सामने उपस्थित हो गई है। इसी कारण राष्ट्रीय संकट से संबंधित व्यय के अन्तर्गत ७ करोड़ रुपये की मांग माननीय मुख्य मंत्री जी ने सदन के सम्मुख प्रस्तुत की है और उसी का समर्थन करने के लिये मैं खड़ा हुआ हूं। बर्बर चीन ने अप्रत्याशित आक्रमण करके हमारी पावन भूमि को अपहरण करने की चेष्टा ही नहीं की है बल्कि हमारी संस्कृति को और हमारे प्रजातंत्र के ढांचे को ही बदलने का उसने प्रयास किया है। हमारे सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण को भी बदलने की उसने चेष्टा की है लेकिन हमारी सरकार उस के खिलाफ सचेष्ट रही है और अब भी सचेष्ट है। वास्तव में यह एक संकटकालीन परिस्थिति का जन्म और सृजन उसके कारण हुआ है। यह आक्रमण केवल भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है वरन् उसने हमारे देश के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और राष्ट्रीय जीवन के स्तर को भी प्रभावित किया है। अतः इस विकट परिस्थिति का सामना करने के लिये हमें अपनी सुरक्षा को संगठित करना होगा और उसमें हमें प्राणपन से योग देना होगा। हमें उसके लिये सुरक्षा कोष में भी मुक्त हस्त से दान देना होगा और ऐसे वातावरण का सृजन करना होगा जिस के द्वारा जनता का मनोबल बढ़े और सुरक्षा कार्यों केलिये दान देने में तनिक भी किसी प्रकार की हिचकिचाहट उत्पन्न न हो। हमको तो अपने प्रदेश में ऐसा वातावरण पैदा करना है कि आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश की जनता अधिक से अधिक कर-भार अपने ऊपर ग्रहण करने के लिये प्रस्तुत रहे और इस प्रकार का एक जनजागरण हमारे प्रदेश में रहे।

हमारे शासन के जो सुरक्षा के प्रयास हैं वह सब पर भलीभांति विदित हैं। यहां पर प्रांतीय रक्षक दल और ग्राम रक्षक दल की योजना बनी हैं। इस सम्बन्ध में मैं निवेदन करूंगा कि यह कार्य बहुत उत्तरदायित्वपूर्ण पुरुषों के हाथ में दिया जाना चाहिये। यह दो प्रान्तीय रक्षक दल और ग्राम रक्षक दल का जो संगठन किया गया यह अभी तक एक नया अनुभव है। हम कह सकते हैं कि प्रान्तीय रक्षक दल का पुनर्गठन हुआ है लेकिन जहां तक ग्राम रक्षक दल का सम्बन्ध है वह हमारा नया प्रयोग है। उनमें ब्लाक स्तर पर और पंचायत स्तर पर कभी-कभी प्रतिद्वन्द्विता होनी चाहिये और ग्राम रक्षक दलों की आपस में प्रतियोगिता होना चाहिये ताकि लोगों में जोश आये। इतना ही नहीं बल्कि इन दलों को समय-समय पर पुरस्कृत भी करना चाहिये ताकि लोगों में उत्साह बढ़े। जनता का मनोबल बढ़ाने के लिये यह आवश्यक कार्य है। यह एक बहुत उत्तम योजना है और उसको कार्यान्वित करने के लिये हमें प्राणपन से सहयोग प्रदान करना चाहिये। जहां तक बन्दूकों का सम्बन्ध है उनके वितरण करने में उदारता की नीति अपनानी होगी ताकि समय पर आयी हुई समस्याओं का निराकरण उचित ढंग से हो सके लेकिन इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि कहीं यह बन्दूक अवांछनीय तत्वों के हाथ में न पहुंच जायं। आज कल हमारे प्रदेश में अवांछनीय लोगों की कमी नहीं है। जहां राष्ट्र पर मरने वाले और बलिदान होने वाले तत्वों की अधिकता है वहीं हमारे बीच अवांछनीय तत्व भी मौजूद हैं। हमारे सदन में समय-समय पर कम्युनिस्ट जनसंघ की और जनसंघ कम्युनिस्ट की आलोचना करते हैं लेकिन मैं स्पष्ट शब्दों में कहता हूं कि जितना हमारे प्रदेश को कम्युनिस्टों से खतरा नहीं है उससे अधिक जनसंघ और सोशलिस्टों से है और यह हमारी जनता का मनोबल को नीचा करने के लिये प्रयत्न करते हैं। हमें हरएक से सावधान रहना है और अपनी सुरक्षा के कार्यों को ठीक से सम्पादित करना है। साथ ही साथ मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा है कि तिब्बत में चीन ने छोटे-छोटे गांव को भी सड़क से सम्बधित कर दिया है। हमारा प्रदेश ऐसी सीमा पर है जो उस भयावह परिस्थिति में पड़ा हुआ है। नेपाल अब बफर स्टेट नहीं रह गयी है। इसलिये नेपाल सीमा पर भी हमको सतर्कता बरतनी चाहिये और सड़कों द्वारा सारे स्थानों को सम्बन्धित कर देना चाहिये जिनको सुरक्षा के समय चीनी आक्रमण से मुकाबला करने के लिये जरूरत पड़ेगी।

श्री उपाध्यक्ष—

और आप कल बोलियेगा। अब हम उठते हैं और कल साढ़े दस बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन ५ बजकर ३० मिनट पर अगले दिन के १० १/२ बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

देवकीनन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊः
२१ मार्च, १९६३।

विधान सभा

## नत्थी 'क'

[देखिये नियम ३९ (२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१० पर]

### ७-८-६१ से २२-२-६३ तक इलाहाबाद के थाने वजिरगंज के अन्तर्गत हुये कत्ल व डकैतियों से सम्बन्धित विवरण

### कत्ल

| क्रम-सं० | मारे गये व्यक्ति का नाम व पता | नाम स्थान जहां घटना हुई | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| १ | एक औरत, नाम व पता अज्ञात | ग्राम असधा | दिनांक २४-९-६१ को धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करने की जांच की गई। लाश की शिनाख्त तथा अभियुक्तों का पता न चलने के कारण अंतिम रिपोर्ट लगाई गई। |
| २ | मु० चन्द्र पतिया नि० ग्राम लौंगवा | ग्राम लौंगवा | दिनांक १४-१०-६१ को धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई और मफरूरी में एक अभियुक्त (मृतक के शौहर) का चालान किया गया। |
| ३ | सरदार हरनेक सिंह नि० खीरी | ग्राम सेहसा | दिनांक १६-४-६२ को धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई और २ अभियुक्तों का चालान किया गया जो सेशन से छूट गये। |
| ४ | राम औतार नि० ग्राम मुम्हियावां | ग्राम कुम्हियावां | दिनांक २०-६-६२ को धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई और ६ अभियुक्तों का चालान किया गया जो सेशन से छूट गये। |
| ५ | देवराज उर्फ बउलर नि० ग्राम बरूआ | ग्राम बरूआ | दिनांक २९-७-६२ को धारा ३०२ भा० दं० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई और ४ अभियुक्तों का चालान किया गया जो सेशन से बरी हो गये। |
| ६ | मु० अंगनी पत्नी राम गुलाम नि० ग्राम० वैरागी का पुरवा | ग्राम वैरागी का पुरवा | दिनांक १६-१०-६२ को धारा ३०२ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई। इसमें एक अभियुक्त हाजिर अदालत हुआ। |

## डकैती

| क्रम-सं० | व्यक्ति का नाम जिसके यहां डकैती पड़ी | नाम स्थान जहां घटना हुई | की गई कार्यवाही |
|---|---|---|---|
| १ | अमृत लाल | इनदारापर नजरा मुस्तफाबाद | दिनांक ६-९-६१ को धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई और ११ अभियुक्तों का चालान किया गया जिसमें २ को सात-सात साल की सजा हुई, शेष ९ छूट गये। |
| २ | कन्हई लाल | ग्राम तड़ोरा | दिनांक १८-१०-६१ को धारा ३९५/३९७ भा० द० वि० का मुकदमा कायम करके जांच की गई और ५ अभियुक्तों का चालान किया गया जो सेशन से छूट गये। |
| ३ | माता बक्स | ग्राम घासीपुर | दिनांक १४-७-६२ को धार २९५/३९७ भा० द० वि० का मुकदमा कायम किया गया। ५ अभियुक्त गिरफ्तार हो चुके और अभी जांच जारी है। |

# नत्थी 'ख'

[देखिये नियम ३९(२) के अन्तर्गत तारांकित प्रश्न ६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९११ पर]

## तालिका

## नये क्षेत्रों की जिलेवार संख्या जिन्हें वर्ष १९६२–६३ में लाइसेंस दिये गये

| क्रम सं० | जिले का नाम | नये क्षेत्रों की संख्या | | |
|---|---|---|---|---|
| | | सुरक्षित क्षेत्रों में रिजर्व एरिया | अन्यर्पित (एसाइंड) क्षेत्र जो इस वर्ष सुरक्षित किये गये | असुरक्षित क्षेत्र फ्री एरिया |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | सहारनपुर | .. | .. | ८ |
| २ | मुजफ्फरनगर | १ | .. | १३ |
| ३ | देहरादून | ३ | .. | .. |
| ४ | मेरठ | २ | ९ | ३ |
| ५ | मुरादाबाद | ४ | १ | ४ |
| ६ | बिजनौर | .. | .. | १ |
| ७ | बरेली | १ | .. | ५ |
| ८ | पीलीभीत | १ | .. | ५ |
| ९ | एटा | .. | .. | ४ |
| १० | नैनीताल | २ | २४ | १ |
| ११ | शाहजहांपुर | २ | .. | ६ |
| १२ | खीरी | १ | .. | १ |
| १३ | सीतापुर | १ | .. | .. |
| १४ | देवरिया | २ | .. | .. |
| १५ | गाजीपुर | .. | .. | १ |
| १६ | आजमगढ़ | .. | .. | ८ |
| १७ | बस्ती | .. | १ | .. |
| १८ | मथुरा | .. | .. | २ |
| १९ | मैनपुरी | .. | .. | २ |
| २० | इटावा | .. | .. | १ |
| | | २० | ३५ | ६५ |
| | | | योग | १२० |

## नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न १ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९१९ पर)

## परिशिष्ट

## लघु उद्योगों का विवरण जिन्हें वाराणसी जिले में ऋण वितरित किया गया

| क्रम-सं० | उद्योग का नाम | स्थान |
|---|---|---|
| १ | मशीनरी व एलाइड आर्ट्स | कोनिया निकट काशी रेलवे स्टेशन, पी० बी० नं० ६३ |
| २ | रेलवे ट्रक का सामान व मशीन के हिस्से | मलघइया |
| ३ | खाद्य सामग्री | २६२/२६३ जनगमवारी |
| ४ | होजरी | ए२/३२ त्रिलोचन घाट |
| ५ | रसायन | सी० के० १३/४१ सुखलाल साहू गेट चौक |
| ६ | डाइंग सर्वियिंग तथा मेथमेटिकल इन्स्ट्रू-मेंट्स | कोहनूर बिल्डिंग, यूनिवरसिटी रोड |
| ७ | चर्म हड्डी व खाद्य | भदोही |
| ८ | साइकिल के हिस्से | चौक घाट |
| ९ | मेटलवेयर व ब्रास | सी-१५/३९० लालापुरा |
| १० | ,, ,, | ३८–लालापुरा |
| ११ | हैन्डलूम | खमरिया |
| १२ | खाद्य तथा हड्डी का चूरा बनाना | ग्राम खालिसपुर, पो० फलपुर |
| १३ | हड्डी खाद | पी० बी० नं० ७६, भदोही |

# नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २७ का उत्तर पीछे पृष्ठ १००७–१०१० पर)

## विषय-सूची

" २०-एम"—सचिवालय प्रशासन (विविध) विभाग

१—जिल्दसाजी का कार्य

सचिवालय के विभिन्न विभागों में रजिस्टरों की जिल्द बांधने की व्यवस्था और इसका भुगतान ।

२—पुस्तकें तथा पत्रिकायें

(१) सचिवालय पुस्तकालय (जिसमें विधि परामर्शी का पुस्तकालय भी सम्मिलित है) तथा अधिकारियों के लिये अपेक्षित पुस्तकों तथा पत्रिकाओं के निमित्त आय-व्ययक अनुमान तैयार करना ।

(२) पुस्तकालय समिति ।

(३) क्रम आदेश तथा देयकों (बिलों) का भुगतान ।

(४) सचिवालय पुस्तकालय से निर्गमित वापस न की गई पुस्तकों की वसूली तथा खोई हुई पुस्तकों का मूल्य वसूल करना ।

(५) सचिवालय के पुस्तकालय में पुस्तकें निर्गमित करने, अदत्त पुस्तकों की वसूली करने, पुस्तकों के अनुरक्षण करने तथा मांग आदि से संबंधित नियम और विनियम तथा अन्य संबंधित मामले ।

(६) बाहरी व्यक्तियों, जैसे शोध करने वाला छात्र (रिसर्च स्कालर), को सचिवालय पुस्तकालय में पुस्तकावलोकन के लिये अनुमति देना ।

(७) सचिवालय के विभागों तथा अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निर्देश प्रकाशनों की प्राप्ति ।

३—निर्गम (अनुभाग)

निर्गम अनुभाग पर नियंत्रण तथा उसका प्रबन्ध करना ।

४—वर्दियां तथा समवेश (liveries and uniform)

(१) वर्दियों तथा समवेश (यूनीफार्म) के लिये आय-व्ययक अनुमान ।

(२) सचिवालय के समस्त वर्गों के अवर वर्गीय सरकारी कर्मचारियों के समवेश के लिये वस्त्र तथा अन्य विभिन्न सामग्रियों के लिये मांग-पत्र ।

(३) समवेश (यूनीफार्म) की तैयारी तथा उनका वितरण ।

(४) वस्त्र, समवेश आदि की मालबही (स्टाक बुक) रखना ।

५—कैन्वास की बनी हुई वस्तुओं के वितरण की व्यवस्था

(१) कैन्वास के बने हुये डाक के थैले ।

(२) झाड़न ।

(३) छोटी दरियां ।

(४) वाटर प्रूफ ।

६--समाचार-पत्र

(१) ऐसे शासन सदस्यों तथा अन्य अधिकारियों द्वारा अनुमोदित समाचार-पत्रों की सूची रखना, जो सरकारी व्यय पर समाचार-पत्र पाने के अधिकारी हैं।

(२) समाचार-पत्रों के मासिक देयकों (बिलों) की जांच करना और उनका भुगतान करना।

७—डाक द्वारा प्राप्त सचिवालय की डाक

(१) डाकघर से सम्पूर्ण सचिवालय की डाक उठाना, उसे छांटना तथा सचिवालय के विभिन्न विभागों में उसका वितरण करना।

(२) ऐसे समय जबकि डाकघर खुला हो और सचिवालय बन्द हो, आवश्यक डाक सौंपने (डेलीवरी) तथा उसके वितरण की व्यवस्था करना।

८—अभिलेखालय

(१) अभिलेखालय पर नियंत्रण तथा उसका प्रबन्ध।

(२) शोध करने वाले छात्रों को सम्मिलित करके बाहरी व्यक्तियों को अभिलेखालय में कागज-पत्र देखने तथा निरीक्षण करने की अनुमति देना।

९—लेखन-सामग्री अनुभाग

(१) इलाहाबाद, लखनऊ और इलाहाबाद के बीच डाक ले जाना।

(२) लेखन-सामग्री तथा लेखन-सामग्री से संबंधित अन्य वस्तुओं की सम्पूर्ति (सप्लाई) करना।

१०—सचिवालय के अधिकारियों के तार के पते

सचिवालय के अधिकारियों के तार के पतों का निबंधन (रजिस्ट्रेशन)।

११--तार

कार्यालय समय के बाद भेजे गये तारों का भुगतान।

१२—बाइसिकिलें

(१) क्रय करना, किराये पर लेना, मरम्मत तथा तत्संबंधी देयकों (बिलों) का भुगतान।

(२) बाइसिकिलों को निष्प्रयोज्य घोषित करना तथा उनका नीलाम करना।

१३—सर्किट तथा निरीक्षण-गृहों के व्यय के देयक बिल

मंत्रियों, उपमंत्रियों, सभा सचिवों आदि द्वारा सर्किट तथा निरीक्षण-गृहों में अधिवास करने के संबंध में बिजली तथा कपड़ों की धुलाई संबंधी व्ययों के देयकों (बिलों) का भुगतान।

१४—बड़ी घड़ियां तथा टाइमपीसें

(१) बड़ी घड़ियों तथा टाइमपीसों का क्रय, मरम्मत तथा तत्संबंधी देयकों (बिलों) का भुगतान।

(२) उन्हें निष्प्रयोज्य घोषित करना तथा उनका नीलाम करना।

१५—साइक्लोस्टाइल अनुभाग

साइक्लोस्टाइल अनुभाग के कार्य का पर्यवेक्षण।

**१६--विधान भवन के लिये प्रवेश-पत्र**

विधान भवन में प्रवेश करने के लिये प्रवेश-पत्रों की व्यवस्था करना।

**१७--बिजली**

सचिवालय में बिजली की खपत पर नियंत्रण तथा तत्संबंधी देयकों (बिलों) का भुगतान।

**१८--विधान भवन में अग्निशामक सज्जा**

विधान भवन में अग्निशामक सज्जा की देख-रेख तथा अनुरक्षण।

**१९--फर्नीचर**

(१) फर्नीचर का क्रय, किराये पर लेना और उसकी मरम्मत तथा तत्संबंधी देयकों (बिलों) का भुगतान।

(२) सचिवालय के विभागों और अधिकारियों तथा अधिकारियों के निवास स्थानों में उपस्कर (फर्नीचर) का वितरण।

(३) निष्प्रयोज्य घोषित किये गये तथा पुराने उपस्कर (फर्नीचर) का नीलाम।

(४) कुर्सियों तथा बेंचों की बुनाई।

(५) लोहे की अलमारियों, फाइलें रखने के लिये लोहे की छोटी अलमारियों, लोहे की तिजोरियों तथा टाट के परदों का क्रय और वितरण।

(६) चिकों, और परदों तथा अन्य प्रकीर्ण वस्तुओं का क्रय तथा सम्पूर्ति।

(७) झाड़ू तथा टोकरियां क्रय करना तथा उनकी सप्लाई सम्पूर्ति।

**२०--ग्रीष्म तथा शीतकालीन व्यवस्था**

सचिवालय में खस-टट्टियों की व्यवस्था करना तथा पानी छिड़कने वालों की भरती करना।

**२१--खादी हुंडियां**

खादी हुंडियों की बिक्री।

**२२--सचिवालय भवन से सम्बद्ध दूर्वाक्षेत्र (लान)**

(१) उद्यान संबंधी औजारों का क्रय तथा उनकी मरम्मत।

(२) बीज, खाद तथा उर्वरकों (फर्टीलाइजरों) का क्रय।

(३) उद्यान के मजदूरों को काम में लगाना।

**२३--राज्य समारोह**

गांधी जयन्ती तथा गणतंत्र दिवस समारोह सम्मिलित करके सचिवालय भवन में राज्य समारोह।

२४--केयरटेकर (अवेक्षक), सहायक केयरटेकर, स्टोरकीपर, सहायक स्टोरकीपर, टाइपराइटर मैकेनिक, सहायक टाइप राइटर मैकेनिक, गेट सहायक और टेलीफोन आपरेटरों के कार्य का पर्यवेक्षण।

२५—चाय तथा जलपान

मंत्रिमंडल तथा समिति की बैठकों, सम्मेलनों तथा राज्य समारोहों में चाय तथा हल्के जलपान, दिन का भोजन ( Lunch ), रात का भोजन ( Dinner ) आदि की व्यवस्था करना ।

२६—टेलीफोन

(१) सचिवालय के अधिकारियों तथा शासन के सदस्यों के निवास स्थान को सम्मिलित करके सम्पूर्ण सचिवालय के लिये टेलीफोन लगाना तथा हटाना और उनके कनेक्शन काटना ।

(२) टेलीफोन संबंधी देयकों (बिलों) का सत्यापन करना और उनका भुगतान ।

(३) शासन के सदस्यों के लिये, जब कि वे दौरे पर हों, आकस्मिक टेलीफोन लगाना ।

(४) टेलीफोनों के लिये लम्बी डोरी (Cord) और अन्य सहायक वस्तुओं की व्यवस्था ।

(५) विधान भवन टेलीफोन एक्सचेंज टेलीफोनों से संबंधित अन्य नीति विषयों पर नियंत्रण तथा प्रबन्ध ।

२७—टंकण यंत्र तथा प्रतिलिपि यंत्र (टाइपराइटर तथा डुप्लीकेटर)

(१) उन्हें क्रय करना किराये पर लेना, मरम्मत करना तथा तत्संबंधी देयकों (बिलों) का भुगतान ।

(२) सचिवालय में टंकण यंत्रों (टाइपराइटरों) तथा प्रतिलिपि यंत्रों (डुप्लीकेटरों) का बंटन ।

(३) टंकण यंत्रों तथा प्रतिलिपि यंत्रों को निष्प्रयोज्य घोषित करना और उनका नीलाम ।

२८—स्टाक और स्टोर का सत्यापन

(१) सचिवालय के अधिकारियों के निवासस्थानों को सम्मिलित करके समस्त सचिवालय के लिये स्टाक और स्टोर का वार्षिक सत्यापन ।

(२) ऐसे वार्षिक सत्यापनों से प्रकट होने वाली समस्त न्यूनाधिकताओं का समाधान करना तथा तत्संबंधी पत्र-व्यवहार ।

२९—विधान भवन

(१) विधान भवन की स्वच्छता तथा सफाई ।

(२) विधान भवन को खोलना तथा बन्द करना ।

(३) विधान भवन में ध्वजारोहण ।

३०—रद्दी कागज (Waste paper)

रद्दी कागज को इकट्ठा करना तथा बेंचना, जिसमें पुराने समाचार-पत्र भी सम्मिलित हैं ।

---

## नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९२८ पर)

### घटना का विवरण

ग्राम अहरा थाना मुन्डेरवा, जिला बस्ती, में वहां के भूतपूर्व जमींदार श्री राघव कुमार पाल व हरिजनों के बीच खेतों के बारे में कुछ झगड़ा है। श्री पाल के आदमी हरिजनों को कुछ गन्ने की फसल काटने से रोकते थे। इससे वैमनस्यता और बढ़ गई और शांति भंग की आशंका हुई। अतः स्थानीय पुलिस ने दोनों पार्टियों के व्यक्तियों का चालान भारतीय दं० वि० संग्रह की धारा १०७/११७ के अन्तर्गत दि० ५-१०-६२ को किया, जो न्यायालय के विचाराधीन है।

दिनांक १४-२-६३ को ८ १/२ बजे रात में विश्राम हरिजन ने थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उस दिन वह मुन्डेरवा बाजार गये थे और वहां से लौट कर जब वह अपने गांव पहुंचे तो उस पर दूसरी पार्टी के लोगों ने हमला कर दिया। इस रिपोर्ट पर एक मुकदमा भा० दं० वि० की धारा १४७/१४८/३२४ के अन्तर्गत दूसरी पार्टी के व्यक्तियों के विरुद्ध कायम हुआ और जांच के पश्चात् अभियुक्तों का चालान अदालत किया गया। इस घटना के फलस्वरूप ३ व्यक्तियों को लाठी एवं ३ को बल्लम की चोटें आई थीं।

विधान परिषद

## नत्थी 'च'

(देखिये तारांकित प्रश्न ८१–८२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३५ पर)

## विवरण

दिनांक १५–२–६३ को हलीम मुस्लिम इंटर कालेज का एक छात्र सुशील कुमार पुत्र शिवरामनागर, निवासी १०/१७५ खलासी लाइन, कानपुर, गायब हो गया था। इस आशय की रिपोर्ट थाना सीसामऊ, कानपुर पर १६–२–६३ को दर्ज करायी गयी थी। इस रिपोर्ट पर लड़के की तलाश प्रारम्भ की गई।

दिनांक १८–२–६३ को उक्त छात्र स्वयं अपने घर आ गया। उसने अपने एक मित्र को बताया कि वह दो अनजान व्यक्तियों के साथ, जिनसे उसका परिचय १,२ दिन पूर्व हुआ था, पहले पुखरायां तथा फिर झांसी एक शादी के संबंध में गया था और १७-२-६३ को झांसी से कानपुर आया। चूंकि लड़का अस्वस्थ था, अतः उसके पिता उसे पहले प्राइवेट डाक्टर के पास इलाज के लिये ले गये। बाद में उसे उर्सिला अस्पताल में १८-२–६३ को भरती किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गयी।

लड़के की लाश को पंचायतनामा भरने के बाद पोस्ट मार्टम के लिये भेजा गया। पोस्ट मार्टम से लड़के की मृत्यु का कारण ज्ञात नहीं हो सका। उसका विसरा (Viscera) रासायनिक विश्लेषण (केमिकल अनालिसिस) के लिये भेजा गया है।

लड़के से प्राप्त सूचना के आधार पर एक मुकदमा ३६३ भा० दं० वि० के अन्तर्गत थाना अनवरगंज, कानपुर पर कायम किया गया है। अब तक की जांच स अपहरण के अपराध होन की पुष्टि नहीं हो सकी है। जांच जारी है।

## नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ९२ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९३७ पर)

**अक्तूबर, १९६२ से २८ फरवरी, १९६३, तक मन्त्रियों द्वारा बाराबंकी जिले में किये गये दौरों की तालिका**

| क्रम संख्या | नाम एवं पद | तिथि जिनमें दौरा किया गया | स्थान जहां का दौरा किया | यात्रा पर व्यय | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | मोटर गाड़ी द्वारा | दैनिक भत्ता आदि | कुल व्यय |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १ | श्री चन्द्रभानु गुप्त, मुख्य मंत्री | ६-१०-६२ | टिकैतगंज | कोई बिल नहीं बना | | |
| | | १८-१०-६२ | देवा शरीफ | | | |
| २ | श्री हुकुम सिंह विसेन, राजस्व मंत्री | २-१-६३ | बंसौली | ३३.७५ | .. | ३३.७५ |
| ३ | श्री अली जहीर, न्याय मंत्री | १४-१०-६२ | देवा शरीफ | १७.२५ | .. | |
| | | १८-१०-६२ | ,, | १८.७५ | .. | |
| | | २०-१०-६२ | ,, | २२.५० | .. | ५८.५० |
| ४ | श्री हरगोविन्द सिंह, नियोजन मंत्री | ६-१०-६२ | बाराबंकी | २६.२५ | .. | |
| | | २५-१-६३ | ,, | ३२.२५ | .. | |
| | | २७-१-६३ | ,, | २६.२५ | | ८४.७५ |
| ५ | आचार्य जुगल किशोर, शिक्षा मंत्री | ४-१०-६२ | हरख | १८.०० | ३.०० | २१.०० |
| | | | (एक्चुअल आउट आफ पाकेट एक्सपेंसेज) | | | |
| ६ | श्री विचित्र नारायण शर्मा, स्वशासन मंत्री । | २३-१२-६२ | बाराबंकी | ७.५० | | ७.५० |
| ७ | श्री मुजफ्फर हसन, परिवहन मंत्री | २०-१०-६२ | देवा | ३०.७५ | .. | |
| | | २६-१०-६२ | बाराबंकी | | | ३०.७५ |
| ८ | श्री अलगूराय शास्त्री, वन मंत्री | १७-१-६३ | मसौली | १३.५० | .. | १३.५० |
| ९ | श्री चतुर्भुज शर्मा, सहकारिता मंत्री | २१-१०-६२ | देवा | ७.५० | .. | |
| | | ८-११-६२ | त्रिवेदीगंज | १०.०० | | १७.५० |
| १० | श्री महावीर प्रसाद श्रीवास्तव, स्वास्थ्य मंत्री । | ५-१२-६२ | बाराबंकी | १५.०० | .. | १५.०० |
| ११ | श्री बनारसी दास, सूचना मंत्री | २७-१०-६२ | उधवापुर | ११.२५ | .. | ११.२५ |

## नत्थी 'ज'

(देखिये अतारांकित प्रश्न ११ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९४० पर)

### तालिका

| क्र० सं | जिले का नाम | चीनी मिल का नाम | सैस तथा क्रय कर की मद के अन्तर्गत सहारनपुर जिले की विभिन्न मिलों पर ३१-१०-६२ को बकाया रकम (लाख रु० में) | ३१-१-६३ तथा कथित मद के अन्तर्गत उक्त मिलों से वसूल की गई रकम (लाख रु० में) |
|---|---|---|---|---|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ |
| १ | सहारनपुर | सहारनपुर | ८.०० | ६.०० |
| २ | सहारनपुर | इकबालपुर | ४७.२८ | ५.६५ |
| ३ | सहारनपुर | देवबन्द | २४.४३ | ७.३८ |
| ४ | सहारनपुर | लक्सर | कुछ नहीं | कुछ नहीं |
| ५ | सहारनपुर | सरसवां | कुछ नहीं | कुछ नहीं |

# नत्थी 'झ'

(देखिये अतारांकित प्रश्न २० का उत्तर पीछे पृष्ठ ६४२ पर)

## सूचना डायरी १९६२

| प्रतियां | व्यय | | आय | | लाभ/हानि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रु० | न० पै० | रु० | न० पै० | रु० | न० पै० |
| १८,००० | २६,२४७ | ०० | २३,३२४ | १९ | (अनुमानित) हानि | |
| | | | | | २,९२२ | ८१ |

## सूचना डायरी १९६३

| प्रतियां | व्यय | | आय | | लाभ/हानि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रु० | न० पै० | रु० | न० पै० | रु० | न० पै० |
| ५०,००० | ७२,५०० (अनुमानित) | ०० | ७९ ३०० (अनुमानित) | ५० | ६,८०० (अनुमानित) | ५० लाभ |

## पाकेट डायरी १९६३

| प्रतियां | व्यय | | आय | | लाभ/हानि | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | रु० | न० पै० | रु० | न० पै० | रु० | न० पै० |
| ८९१ | २,२०२ | १४ | इसकी प्रतियां निःशुल्क बांटी गईं। अतः आय अथवा लाभ/हानि का प्रश्न नहीं उठता। | | | |

## नत्थी 'ञ'

(देखिये पीछे पृष्ठ ९५१ पर)

**२१ मार्च, १९६३ को विधान सभा में राजस्व मन्त्री द्वारा उपलवृष्टि के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष की आज्ञानुसार पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य**

**१४ मार्च, १९६३ को दी गई नियम ५२ के अंतर्गत नोटिसें**

(१) श्री उग्रसेन, सदस्य विधान सभा, ने सूचित किया है कि भीषण आंधी, ओले ए वर्षा के कारण गोरखपुर एवं देवरिया जनपद में रबी की फसल को बहुत क्षति पहुंची है जौ, गेहूं तथा अरहर की फसलों को तो आंधी से अधिक क्षति पहुंची है। इसका प्रभाव तराई क्षेत्र पर विशेष पड़ा है। पड़रौना, हाटा तथा महराजगंज तहसीलों में भी भारी क्षति हुई है परिणामस्वरूप एक विषम स्थिति उत्पन्न हो गई है।

(२) सर्व श्री नरसिंह नरायन पांडेय तथा दुर्योधन प्रसाद ने कहा है कि गोरखपुर जनपद के फरेंदा तथा महाराजगंज तहसील के लगभग ३०० गांव ११ मार्च की रात्रि में हुई उपलवृष्टि से प्रभावित हुये। इनमें समस्त खड़ी फसल तथा मकानों को क्षति पहुंची। देवरिया त बरेली जिले की भी यही दशा है। गोरखपुर के ये क्षेत्र बाढ़ ग्रस्त भी रहे, साथ ही रबी की फस नष्ट हो जाने से भुखमरी की भी स्थिति व्याप्त है। लगान तथा तकावी की वसूली से स्थिति और चिन्ताजनक हो गई है।

(३) श्री जगन्नाथ राव, सदस्य विधान सभा, ने सूचित किया है कि इस मास के दूसरे सप्ताह में ओले से प्रदेश के विभिन्न भागों में विशेषकर पूर्वी क्षेत्र में, रबी की फसल को भारी क्षति पहुंची है। गोरखपुर की फरेंदा तथा महाराजगंज तहसीलों में, रबी के अतिरिक्त वृक्षों के गिरने तथा खपरैलों के टूटने से भी बड़ी क्षति हुई है। सरकार द्वारा अब तक कोई भी सहायता न दिये जाने के कारण जनता में पर्याप्त असंतोष है।

(४) सर्व श्री केशवसिंह तथा सुरेंद्र विक्रम ने कहा है कि ओले तथा वर्षा से शाहजहांपुर की जलालाबाद तहसील में रबी की फसलों को भारी क्षति पहुंची है। इसके लिये उचित सहायता की व्यवस्था होनी चाहिये।

(५) श्री जगदीश प्रसाद पांडेय ने सूचित किया है कि बस्ती तथा गोरखपुर के उन क्षेत्रों में जो बाढ़ से पहले ही प्रभावित हो चुके थे, उपलवृष्टि ने बड़ी शोचनीय स्थिति पैद कर दी है। भुखमरी की भी संभावना व्याप्त है, विशेषकर बस्ती तथा नवगढ़ तहसील (पूर्वी क्षेत्र) जो बुरी तरह प्रभावित हुये हैं।

**वक्तव्य** **नियम ५२ की उपर्युक्त नोटिसों के संबंध में राजस्व मंत्री का वक्तव्य**

सर्वश्री उग्रसेन, नरसिंह नरायन पांडेय, दुर्योधन प्रसाद, जगन्नाथ राव, केशव सिंह, सु विक्रम तथा जगदीश प्रसाद पांडेय ने नियम ५२ के अन्तर्गत नोटिस देकर सरकार का ध्या गोरखपुर, देवरिया, शाहजहांपुर, वस्ती तथा बरेली में ओले से हुई क्षति की ओर आकृ किया है।

शासन द्वारा जांच कराई गई है। इस विषय में स्थिति निम्न प्रकार है:—

**गोरखपुर—**

फरेंदा तथा महाराजगंज तहसील में १० मार्च को ७.३० बजे प्रातः के लगभग ओ गिरे।

फरेंदा तहसील में कुल १८६ ग्राम प्रभावित हुये जिनमें ९० ग्रामों में फसलों की क्षति ७५ नये पैसे से ऊपर, १६ में ५० तथा ७५ नये पैसे के बीच तथा शेष ८० में ५० नये पैसे से कम का अनुमान है ।

महाराजगंज तहसील में १८३ ग्राम प्रभावित हुये जिनमें से ६२ गांवों में रबी को ७५ नये पैसे से अधिक, १० में ५० तथा ७५ नये पैसे के मध्य तथा शेष १११ में ५० नये पैसे से कम की क्षति का अनुमान है ।

इसके अतिरिक्त महाराजगंज के उत्तरी क्षेत्र में साधारण उपलवृष्टि हुई जिससे ११७ ग्राम प्रभावित हुये किन्तु क्षति नगण्य सी रही ।

फरेंदा तथा महाराजगंज तहसील के क्रमशः ४३ तथा १२ ग्राम ऐसे हैं जो इसी वर्ष बाढ़ से भी प्रभावित हुये थे ।

ओले से प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण संबंधित तहसील के परगनाधीश, तहसीलदार तथा नायब तहसीलदार ने किया ।

स्वयं जिलाधीश ने भी इमरजेंसी रिलीफ अफसर के साथ समस्त प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया ।

बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में सभी सरकारी देयधनों की वसूली रोक दी गई है ।

जिलाधीश को २०,००० रु० की धनराशि अहेतुक सहायता के रूप में बांटने की स्वीकृति दे दी गई है ।

स्थानीय अधिकारियों द्वारा आपदा में सहायता पहुंचाने के लिये अविलम्ब कार्यवाही की गई ।

**बस्ती—**

१०,११ मार्च की रात्रि में बांसी, नवगढ़, डोमरियागंज तथा खलीलाबाद में ओला गिरा । कुल १३६ ग्राम (१०७ बांसी में तथा २९ नवगढ़ में) प्रभावित हुये ।

नवगढ़ तथा बांसी के बुरी तरह प्रभावित कुछ गांवों का जिलाधीश ने निरीक्षण किया ।

सामान्यतया फसलों में २५ नये पैसे से कम ही क्षति की सूचना मिली है । कुछ में इससे अधिक भी संभव है । नियमानुकूल जांच के पश्चात् ही वास्तविकता का पता लग सकेगा । जिलाधीश ने, तहसीलदारों तथा परगनाधीश को प्रारम्भिक जांच के आदेश (Preliminary Enquiry) दे दिये हैं ।

**बरेली—**

फरीदपुर तथा बरेली तहसील में ओले गिरे । फरीदपुर तहसील में राजा पारसपुर ग्राम के समीप साधारण ओले गिरे जिससे किसी भी प्रकार की क्षति नहीं हुई ।

बरेली तहसील के ६ गांव (बारूपुर, परतासपुर, सुन्दरपुर, राजपुरी नवादा, थिरिया, निजावतखान तथा तहसील इस्माइलपुर) प्रभावित हुए । इसमें धन जन की कोई क्षति नहीं हुई । फसलों में क्षति नगण्य सी रही ।

**शाहजहांपुर—**

हाल में जिले में ओले गिरे हैं । पर जलालाबाद तहसील (जैसा नोटिस में कहा गया था) तिलहर तथा पोवेपन में फसलों को कुछ भी क्षति नहीं पहुंची ।

शाहजहांपुर तहसील के १७ गांव अवश्य प्रभावित हुये है इनमें से तीन गांवों में ५० नये पैसे से ऊपर की क्षति का अनुमान है । शेष १४ में क्षति नगण्य रही । जिलाधीश द्वारा विभिन्न सहायता दी जाने की कार्यवाही की जा रही है ।

देवरिया--

१० मार्च को उपलवृष्टि हुई जिससे हाटा तथा पडरौना तहसीलों के उत्तरी क्षेत्र प्रभावित हुये ।

हाटा तहसील के ५५ ग्राम प्रभावित हुये जिनमें रबी की खड़ी फसलों को २५ से ५० नये पैसे के बीच क्षति पहुंची ।

पडरौना तहसील के १३५ ग्राम प्रभावित हुये । ४६ गांवों में फसलों में ५० नये पैसे से ऊपर की क्षति का अनुमान है । शेष ८९ गांवों में क्षति ३७ नये पैसे से भी कम है । एक भी व्यक्ति वा पशु की जीवन हानि की सूचना नहीं है । प्रभावित क्षेत्रों में सहायता कार्य किये जा रहे हैं ।

वास्तविक क्षति के निर्धारण के लिये स्थानीय निरीक्षण किये जा रहे हैं ।

प्रेस अकादमी

पी० एस० यू० पी० ए० पी०--१५ एल० ए०—१९६३—(प्रो०)--८५० ।